खण्ड-296, अंक-7
सोमवार, 28 चैत्र, शक संवत् 1894
(17 अप्रैल, 1972 ई0)

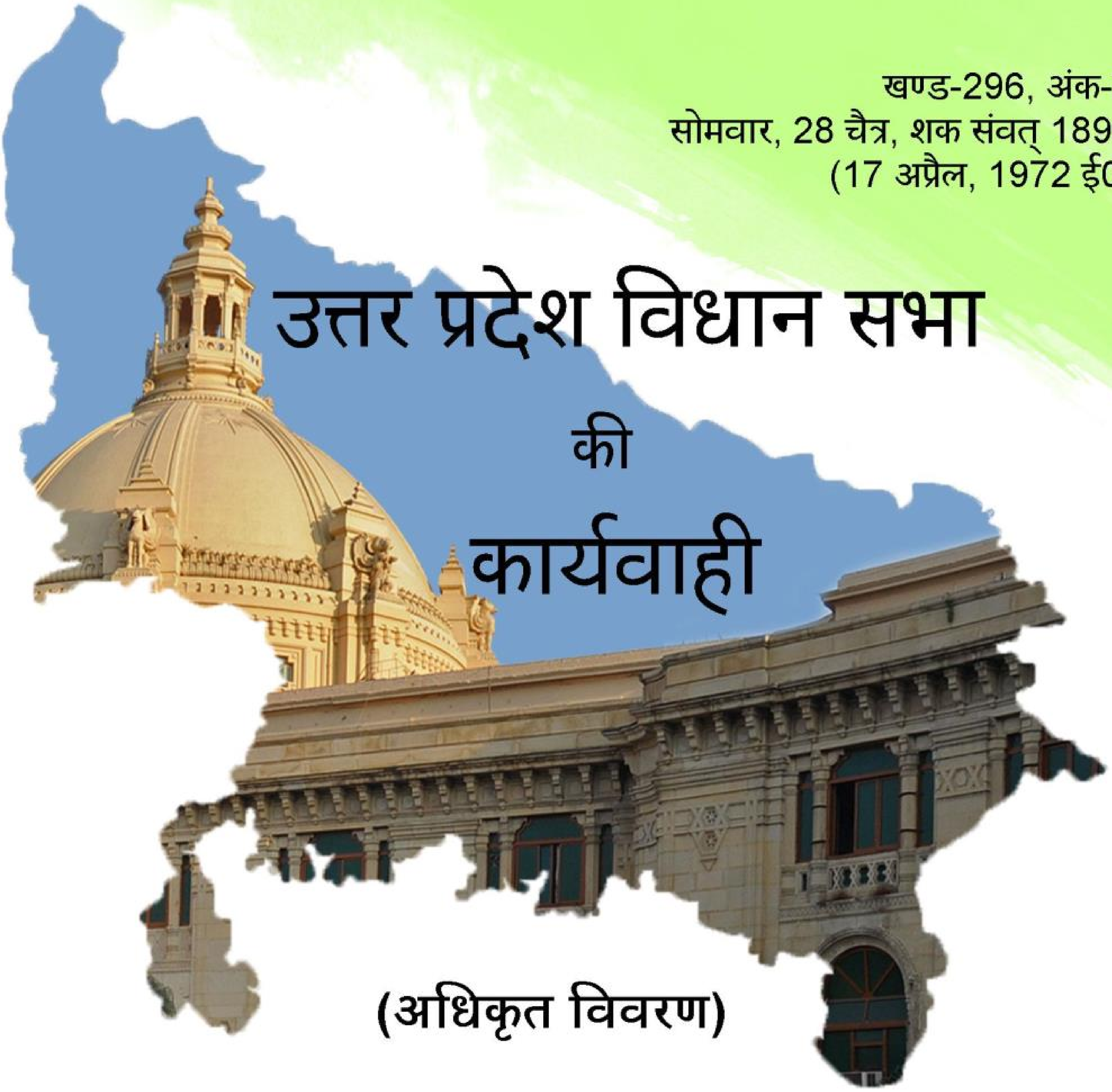

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	६७१–६७५
श्रीमती सौभाग्यवती की मृत्यु के समाचार के सम्बन्ध में जानकारी ..	६७५
प्रश्नोत्तर	६७५–७०२
भूतपूर्व सदस्य श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित के निधन पर शोकोद्गार.. ..	७०२–७०४
११ अप्रल, १९७२ को श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री बशीधर पांडेय को इंगित करने की घटना के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना	७०४–७१४
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, १९७२ (सदन के पटल पर रखी गयी)	७१४
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	७१४
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) निमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	७१४
धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन संबंधी पत्र ..	७१४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	७१५
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	७१५
१९७२–७३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा (जारी)	७१५–७५५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	७५५–७५७
११ अप्रैल, १९७२ को श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री बंशीधर पांडेय को इंगित करने की घटना के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष की व्यवस्था	७५७–७५८
नत्थियां	७५९–७६२

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार १७ अप्रैल, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५७

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली),
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल; सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुष धारी पांडेय, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रातप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)

भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह, चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल, यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा श्री,
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह,श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध ,श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर श्री
रामकिशोर शुक्ल
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामरचण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम विलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री

रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम श्री
लोकपित, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्म्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम अहमद, खां श्री
शमीम अलाम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरण पिंडारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
सुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सुरज लाल, श्री
सूर्यानाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री

हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुउल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा,)

नोट :—श्री बलदेव सिंह आर्य पंचायती राज मंत्री भी उपस्थित थे ।

श्रीमती सौभाग्यवती की मृत्यु के समाचार के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के अखबार में माननीया सौभाग्यवती जी के बारे में कुछ खबर है । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे कृपया सदन को अवगत करायें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पूछा था । अभी तक कोई निश्चित सूचना नहीं आई है, इंक्वायरी हो रही है क्योंकि कलकत्ते की बात है । वहां के मुख्य मंत्री से भी पूछा है और चीफ सेक्रेटरी से भी बातचीत हो रही है । जानकारी पूरी मिल जाय तब बतायेंगे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १७ अप्रैल, १९७२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य में बिजली की संस्थापित क्षमता

**१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री राम करन यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में राज्य में बिजली की संस्थापित क्षमता १५७२ मेगावाट है, जब कि राज्य को चतुर्थ योजना को सफल बनाने के लिये २८०० मेगावाट संस्थापित क्षमता की आवश्यकता है ? यदि हां, तो इसकी पूर्ति के लिये सरकार कौन-सा कदम उठाने जा रही है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

जी हां, वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता १५७२ मेगावाट है और चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक २८०० मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी परन्तु सीमित वित्तीय संसाधन तथा अब तक की भौतिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक यह लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं प्रतीत होता है । फिर भी शासन इस दिशा में कार्यरत प्रायोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करके तथा भारत सरकार से केन्द्रीय सेक्टर में वाष्प तथा आणुविक विद्युत् गृह बनवाने का प्रयास किया जा रहा है । भारत सरकार को एक "टर्न की" प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी भेजा गया है ।

बिजली की कमी को पूर्ण करने के लिये पड़ोसी राज्यों से विद्युत् शक्ति के आयात का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

जिन प्रायोजनाओं पर निर्माण कार्य जारी है उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि हम इनकी गति तेज करेंगे तो वर्तमान समय में जो योजनायें हैं उनके बारे में क्या उनको मालूम है कि ओबरा मुरादनगर और हरदुआगंज में जो विद्युत् संचार थे वे कई वर्षों तक बेकार पड़े रहे जिससे ६१–७२ में विद्युत्परिषद् को ढाई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ ? यदि इस तरह में विद्युत् संचार यंत्र बेकार पड़े रहेंगे तो कैसे इनकी गति तेज होगी ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि विद्युत् संचार यंत्रपड़े रहे और इतना नुकसान हुआ । ओबरा और हरदुआगंज में काम तीव्र गति से चल रहा है और हम इन योजनाओं में लगे हुये हैं और इनको पूरा कर रहे हैं ।

श्री दीननारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि अगली योजनाओं में काम पूरा करने के लिये वे विचार कर रहे हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि देवरिया में गंडक कैनाल पर कप्तानगंज में बिजली देनी थी वह विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्या वे इसको जोड़ेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, विचाराधीन है । निश्चित तथ्य अभी नहीं बने हैं ।

श्री त्रिलोकचन्द्र—

मान्यवर, पिछले वर्ष २०० करोड़ रुपये की हानि हुई क्योंकि किसानों का गेहूं खलिहानों में पड़ा रहा और बिजली की कमी होने पर भी उद्योगों को बिजली दी जाती रही तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जब तक किसानों का गल्ला खलिहानों में पड़ा है तब तक उनको २४ घंटे बिजली मिलेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, किसानों को प्राथमिकता हमेशा दी जाती ही है और दी जा रही है और सचिव तथा चीफ इंजीनियर को निश्चित आदेश दे दिये गये हैं कि क्रशर चलाने के लिये जो बिजली का प्रयोग हो रहा है उसमें ब्रेक डाउन न हो ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी भारत सरकार को जो प्रोजेक्ट भेजा है उसकी रूपरेखा बतावेंगे और उससे कितनी बिजली मिलेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, एक पावर हाउस की योजना भेजी जिसको उन्होंने स्वीकार-सा कर लिया है इसमें ४०० मेगावाट बिजली मिलेगी। साइट सिलेक्शन की रूपरेखा दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल सैक्शन में एक पावर हाउस की मांग की है और वित्त मंत्री तथा विद्युत मंत्री इसके प्रयास में लगे हुये हैं ।

भारत सरकार से हमने एक "टर्न की" प्रोजेक्ट की मांग की है । क्योंकि हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल और हरिद्वार हमारी संयंत्रों की मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं । इसलिये "टर्न की" प्रोजेक्ट के द्वारा हम बाहर से संयंत्र आयात करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

हरदुआगंज पावर हाउस की पूरी कैपेसिटी कितनी थी और उसके चतुर्थ चरण में उसका टारगेट कितना था, वह पूरा हो पाया या नहीं ? पूरी कैपेसिटी तक न पहुंच सकने का क्या एक कारण यह भी था कि उसके सारे संयंत्र बेकार पड़े रहे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

चौथ चरण में ११० म० वा० की क्षमता का प्रस्ताव था जिसमें से ५५ मे० वा० तो पूरी हो गयी है और ५५ पूरी होने जा रही है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अभी यह जो सूचना प्राप्त हुई है कि एटोमिक संचालित विद्युत् पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उस संबंध में क्या प्रगति हुई है ? क्या यह सिद्धान्ततः तय हो चुका है ? यदि हां तो किस प्रकार से यह संचालित किया जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

माननीय सदस्य ने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी विद्युत् और सिंचाई मंत्री ने यह कहा था कि यू० पी० के लिये अटामिक पावर स्टेशन मंजूर किया जा चुका है लेकिन कौन सी साइट हो इसके बारे में विशेषज्ञों की दो रायें थीं। एक साइट थी नरौरा और दूसरी साइट खोजी जा रही थी माताटीला में। अब मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने साइट के बारे में भी तय कर लिया है। संभवतः शीघ्र ही घोषणा हो जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों की राय यह थी कि विद्युत की कमी को दूर करने के लिये गंगा परियोजना के लिये प्रयत्न किया जाय परन्तु के०एल० राव साहब गंगा को गोदावरी और कावेरी से मिलाना चाहते हैं, इस कारण इस योजना को चालू नहीं होने देना चाहते ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह आक्षेप अनुचित है, यह मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं। गंगा को कावेरी से मिलाने की योजना तो इससे बिलकुल भिन्न है। उसके द्वारा गंगा अथवा जमुना पर पावर हाउस बनाने में कोई रुकावट नहीं डाली जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कौन-कौन सी योजनायें हैं और चालू वर्ष में कितनी क्षमता की योजनायें पूरी हो जायंगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

छिबरों में २४० मे० वा० और ओबरा में थरमल से ७२--७३ के अन्त तक ३०० मे० वा० और हरदुआगंज चतुर्थ के चरण सेकिंड स्टेज में ५५ मे० वा० पूरी होने की आशा है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो गतिरोध ओवरा में हो गया था वह कितने दिनों तक रहा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, ओबरा में ब्रेक डाउन हुआ था लेकिन २४ घंटे के बाद ही एक के बाद एक मशीन रेस्टोर होने लगी और कार्य क्षमता अपने ढंग पर आने लगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हरदुआगंज चतुर्थ चरण में ११० मे० वा० की अतिरिक्त क्षमता होने वाली थी, उसमें से केवल आधी ही हो पायी, क्या उसका कारण यह था कि वहां संयंत्र बेकार पड़े रहे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ऐसी कोई सूचना नहीं है लेकिन ५५ मेगावाट की क्षमता से हमें लाभ उपलब्ध हो रही है।

श्री त्रिलोक चन्द---

यह जो बिजली की ८०० मेगावाट की कमी बतायी गई है वह चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा करने के लिये कौन कौन है सी योजना प्रस्तावित है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इस कमी को पूरा करने के लिये हम दूसरे प्रदेशों से भी बिजली आयात करेंगे, दूसरे हमारे छिबरा, ओबरा, जमुना, रामगंगा और पंकी की योजनायें हैं, जिनसे हम अपनी क्षमता को पूरा करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेहरी बांध परियोजना के लिये सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन की स्वीकृति मिल चुकी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

उसकी स्वीकृति करीब-करीब मिल चुकी है, उस के कार्य की रूप रेखा भी बन रही है और इस सम्बन्ध में विचार विनिमय हो रहा है लेकिन शुरू में कुछ कठिनाई होती है, बड़ी-बड़ी मशीनों को ले जाने के रास्ते, पुल और जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही में कठिनाई होती है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)---

क्या पर यूनिट कास्ट कम करने के लिये ओवर हेड एक्सपेंसेज कम करने के वास्ते कोई सुझाव है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

हमेशा यही प्रयास रहता है कि कम से कम खर्च हो और पर यूनिट कम से कम उत्पादन का खर्च हो ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

गेहूं के मूल्य वृद्धि में स्थिरता

*१---श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त, (जिला लखनऊ)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय शासन के गेहूं भण्डारों से गेहूं की नीलामी राज्य के व्यापारियों के हाथ सीधे वर्ष १९७२ में की जा रही है जिसे वे निर्धारित मूल्य पर विक्रय करने के लिए बाध्य नहीं हैं और मनमाने ढंग से बिक्री कर रहे हैं जिससे बाजार में गेहूं का मूल्य चढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इसके विरोध में कोई पत्र भेजा है ? यदि नहीं, तो क्यों, और सरकार गेहूं के चढ़ते हुए मूल्य को वृद्धि को रोकने के लिये वर्तमान समय में कौन सा कदम उठाने जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री बेनी सिंह)---

जी हां भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय शासन के गेहूं भण्डारों से गेहूं की नीलामी राज्य के व्यापारियों के हाथ वर्ष १९७२ में की गई है । खाद्य निगम द्वारा यह नीलामी देश में गेहूं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से की गयी और मूल्य स्थिर करने में इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है । यद्यपि यह योजना निगम ने बिना राज्य सरकार की पूर्व सलाह अथवा सहमति से चालू की थी किन्तु योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने इस योजना का विरोध करना उचित नहीं समझा। राज्य सरकार ने अपनी ओर से गेहूं के चढ़ते हुए मूल्यों की प्रवृत्ति को रोकने के लिये दो कदम उठाये । प्रथम तो जैसे ही गेहूं के भावों में वृद्धि आरम्भ हुई, राज्य के अनौपचारिक राशनिंग क्षत्रों में राशन कार्ड पर दिये जाने

वाले गेहूं की मात्रा ४ किलों से बढ़ा कर ६ किलो प्रति यूनिट प्रति माह कर दी तथा कुछ ही दिनों पश्चात यह उच्चतम सीमा हटा कर उपभोक्ताओं को यह सुविधा दे दी गई कि राशन कार्ड पर जितना चाहे गेहूं निर्धारित मूल्य पर प्राप्त कर ले । जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें यह सुविधा दी गई कि एक समय में दो किलो ग्राम आटा सस्ते गल्ले की दूकानों से निर्धारित मूल्य पर बिना राशन कार्ड प्राप्त कर लें ।

इस बात की भी व्यवस्था की गई कि गेहूं तथा आटा पर्याप्त मात्रा में दुकानों पर उपलब्ध रहे जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

भारत सरकार को एक दूसरी योजना गेहूं के चढ़ते हुए मूल्य को रोकने के अभिप्राय से भेजी गई इस के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय भंडार में से २००० टन गेहू उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को एक निश्चित मूल्य पर बेचने हेतु दिया गया । यह बिक्री संघ की लार्ज साइज्ड सोसायटीज तथा मार्केटिंग सोसाइटीज के माध्यम से, एक परिवार के लिये अधिकतम एक कुन्तल तक तथा एक व्यक्ति के लिये ५० किलोग्राम तक की मात्रा में की गई । इसके फलस्वरुप गेहूं के चढ़ते हुए मूल्यों में स्थिरता आयी तथा विशेषतौर से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी कुछ सुविधा प्राप्त हुई ।

इन उपायों के फलस्वरूप गेहूं के चढ़ते हुए मूल्य में न केवल स्थिरता आयी अपितु दाम नीचे गिरने लगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मंत्रिगण जब लम्बे उत्तर देते हैं १ या २ पृष्ठ का,तो क्या यह उचित न होगा कि इस प्रकार के उत्तर को वे माननीय सदस्यों में वितरित कर दें ताकि माननीय सदस्य उससे लाभ उठा सकें ?

श्री अध्यक्ष—

पहले आप इस सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछने दें, उसके बाद आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार की योजना से अनुकूल प्रभाव हुआ, दूसरी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बढ़ते हुए गेहूं के मूल्य को रोकने के उलिए उचित कदम ठाना पड़ा । तो उस योजना से कौन-सा अनुकूल प्रभाव पड़ा ?

श्री बेनी सिंह—

मैं कह चुका हूं कि भाव में कमी आयी, यह अनुकूल प्रभाव पड़ा । इसलिए कहा कि केन्द्रीय सरकार की योजना से अनुकूल प्रभाव पड़ा और राज्य सरकार ने भी उचित कदम उठाया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी में जब सरकार नीलाम कर रही थी, उस समय गेहूंका क्या भाव था और अब क्या है ?

श्री बेनी सिंह—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने प्रदेश में व्यवस्था की राशनिंग की दुकानों पर गहू बिकवाने की और खाद्य निगम द्वारा जो व्यापारियों को गेहू बेचा गया, उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री बेनी सिंह—

भाव बढ़ते हैं जब बाजार में माल नहीं होता है। माल की पहुंच या आमद पर भाव गिर जाता है। एफ० सी० आई० ने नीलाम द्वारा व्यापारियों को नीलाम किया और हमने फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा बिकवाया। तो इससे बाजार में भी गेहूं पहुंचा और फेयर शाप्स से भी मिलने लगा। तो गेहूं का भाव गिरा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं का नीलाम किस दर पर किया गया और किस दर पर उनको बेचने का अधिकार दिया गया ?

श्री बेनी सिंह—

एफ० सी० आई० में जो नीलामी की है, अलग-अलग बाजार भाव पर की है और जो भाव उनको मिलता उसको बेचा। कोई निश्चित नहीं था कि किस दर पर हो। व्यापारियों ने जो नीलामी बोली, उनको बेचा गया।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि आजमगढ़ जिले में फरवरी के महीने में जो गल्ले की नीलामी हुई तो वह एफ० सी० आई० के कोई आफीसर हैं बनर्जी उनसे न होकर प्राइवेट आदमी द्वारा हुई ?

श्री बेनी सिंह—

आप लिख कर देंगे डिटेल में तो जांच अवश्य करा ली जायेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार सहकारी विभाग को जो २ हजार टन गेहूं बेचा गया वह एक निश्चित भाव पर बेचा गया था, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, तो क्या कारण थे कि व्यापारियों को जो अनाज दिया गया वह एक निश्चित भाव पर नहीं दिया गया जिस प्रकार सहकारी विभाग को दिया गया, क्या माननीय मंत्री जी उस पर प्रकाश डालेंगे और केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

यह आल इन्डिया पालिसी थी कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं बाजार में आ जाये। इसका एक ही तरीका था कि बाजार में जाकर उसकी नीलामी हो और जो भाव हो बेंच दें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं केन्द्रीय सरकार को इस विषय में लिख चुका हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भंडार से जो २ हजार टन गेहूं उत्तर प्रदेश के सहकारी विभाग को मिला वह किस भाव पर उनको मिला और उनको किस भाव से बेचने के लिये कहा गया ?

श्री बेनी सिंह—

८४ रु० के भाव दिया गया और ८६ रु० के भाव बेचने के लिये कहा गया।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

जसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाजार भाव को रोकने के लिये काफी मात्रा में सप्लाई की गई तो क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पौढ़ी-गढ़वाल और चमोली में इस वक्त लोग बरतन बेच रहे हैं और गेहूं उनको देखने को नहीं मिल रहा है ?

श्री बेनी सिंह—

पिथौरागढ़ के आस पास से यह खबर आई है और जब-जब जितनी-जितनी मांग आई, हमने नैनीताल और बरेली से दिया। हमारे यह आदेश हैं कि जितनी मांग आये, उतनी ही सप्लाई दी जाय जिससे दिक्कत न हो।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कुछ वर्षों के लिये एक निश्चित भाव तय कर देंगे जिससे किसानों को जानकारी हो सके गेहूं के भाव की ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन् अभी हाल में यह सब चीजें आई थी और यह काम गवर्नमेंट आफ इंडिया का है और उनसे कहा है कि कम से कम ५ वर्ष के लिये कोई भाव तय कर दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो भाव बढ़ रहे और आप कह रहे हैं कि नियंत्रण कर रहे हैं तो क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि उपभोक्ता को ऊंचे भाव पर मिले और होर्डिंग के लिये जो पाबन्दी है उसको लागू किया जाय, तो क्या मुख्य मंत्री सम्मेलन में इस पर विचार हुआ था ?

श्री बेनी सिंह—

इस पर विस्तार से विचार नहीं हुआ, लेकिन उद्देश्य यही था। जहां तक पाबन्दी का सवाल है तो इस सब के कायदे-कानून बने हुए हैं, स्वामी जी उनको देख लें तो मालूम हो जायेगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि सहकारी विभाग को ८४ पर दिया गया और ८६ पर बेचने के लिये कहा गया तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आटा मिलों को किस भाव गेहूं बेचा ?

श्री बेनी सिंह—

इस समय यह नहीं बता पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप नोटिस मांग लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आपने कहा कि सहकारी संघ को ८४ के भाव पर दिया जाता है और वे ८६ के भाव पर उसको बेचते हैं। आप स्वयं सस्ते गल्ले की दुकानों पर इसको ८६ के भाव में बिकवा रहे हैं जब कि आपने ७६ के भाव पर इसको खरीदा था। क्या आप भी दो रुपया लाभ लेकर ७८ के भाव इसको बिकवायेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

हमको और एफ० सी० आई० को रख-रखाव पर तथा अन्य इन्सीडेंटल व्यय करने पड़ते हैं। P.C.F. को यह सब नहीं करना पड़ता है इसीलिये यह फर्क पड़ जाता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ओबरा पावर हाउस मिर्जापुर तथा हरदुआगंज पावर हाउस, अलीगढ़ के ब्वायलर

*२—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज पावर हाउस अलीगढ़ तृतीय चरण में दो ब्वाइलर स्थापित करने में जो विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराया गया उसमें कितना व्यय हुआ ? इतनी ही क्षमता वाले उसी स्थान पर चतुर्थ चरण के अन्तर्गत बनाये जाने वाले ब्वायलरों के स्थापित करने में कितना व्यय आयेगा ? इन दोनों में कितने रुपये का अन्तर है ? तृतीय चरण में लगे ब्वायलरों का उत्पादन कैसा हो रहा है ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

२,२२० टन प्रतिघन्टा वाष्प उत्पादन क्षमता तृतीय चरण के दोनों ब्वायलरों के स्थापन (इरेक्शन) करने का व्यय ५८.५६ लाख लाख रुपये है।

२,२६० टन प्रतिघन्टा उत्पादन क्षमता के हरदुआगंज चतुर्थ चरण के अन्तर्गत दोनों ब्वायलरों के स्थापन करने का अनुमानित व्यय ६०.६३ लाख रुपये है।

तृतीय तथा चतुर्थ चरण के ब्वायलरों के स्थापन करने के व्यय में २.०७ लाख रुपये का अन्तर है।

तृतीय चरण के अन्तर्गत स्थापित दोनों वायलरों का उत्पादन सन्तोषप्रद है।

*३—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या वित्त मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज पावर हाउस, जिला अलीगढ़ जहां दो रूसी ब्वायलर लगे हैं, और ओबरा पावर हाउस, जिला मिर्जापुर में जहां ५ सी ब्वायलर लगे हैं उनके स्थापित करने में अलग-अलग कितनी लागत आई है और प्रति वायलर की व्यय तथा बिजली उत्पादन क्षमता जून, १९६७ से आज तक क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

हरदुआगंज तृतीय चरण के दोनों व्यलरों के स्थापन का खर्च ५८.५६ लाख रुपये है। व्यय का ब्योरा दोनों ब्वायलरों का एक साथ हुआ है, इसी कारण अलग-अलग ब्वायलरों के खर्च का ब्योरा देना सम्भव नहीं है। ये खर्च के आंकड़े अन्तिम नहीं है, क्योंकि तृतीय चरण के समस्त कार्य का प्राक्कलन अभी समाप्त नहीं हुआ है।

ओबरा ताप परियोजना के ५×२२० टन प्रति घन्टा वाष्प उत्पादन क्षमता के पांचों ब्वायलरों के स्थापना करने का व्यय १४१.९० लाख रुपये हुआ है। यह व्यय अंतिम नहीं है क्योंकि मेसर्स कपूर इंजीनियर कारपोरेशन के साथ आरबीटेशन चल रहा है और उसके निर्णय पर ही अन्तिम आंकड़े मालूम हो सकेंगे।

हरदुआगंज तृतीय चरण एवं ओबरा वाष्प परियोजना में लगे ब्वायलरों द्वारा जनित विद्युत इकाई तथा उस पर हुआ मरम्मत तथा नवीकरण पर व्यय का विवरण तालिका 'ग' तथा 'ण' में क्रमशः दिया गया है, जो कि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५९–७६० पर)

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जबाव दिया गया है यह बिल्कुल ही अस्पष्ट है। मान्यवर, यहां की हमेशा ही इस प्रकार की परम्परा रही है कि इस प्रकार का उत्तर दिया जाय जो समझ में ही न आ सके।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उसका उत्तर दिया है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

यह बिलकुल ही स्पष्ट नहीं है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप इसको चर्चा के लिये स्वीकार कर लें । उत्तर असन्तोषजनक है । जैसा कि मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया है वह समझ में ही नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष--

जो उत्तर है उसको उन्होंने पढ़ा । आप अन्य प्रश्न कर लें ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि तृतीय चरण में लगे ब्वायलर का उत्पादन असन्तोषजनक है । आडिट रिपोर्ट जो ६९-७० की है उसके पृष्ठ १०८ पर लिखा है कि १९७.०८ का लक्ष्य था और उसकी पूर्ति हुई है ५९.९८ । इस प्रकार से कमी है १३९ की । इस प्रकार से केवल १/३ की ही पूर्ति हुई है । मंत्री जी कहते हैं कि सन्तोषप्रद है । अब इसमें कौन सा सही है, आडिट रिपोर्ट अथवा मंत्री जी की सूचना जो उन्होंने सदन को दी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, उस समय तो कमी थी लेकिन बाद में दूर हो गई और इस स्तर तक पहुंच गई कि संतोषप्रद कहा गया है ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी--

१९६९ में यह प्रश्न आया था और उस समय उत्तर मिला था कि विभागीय अधिकारी ने गलत लगाया था । श्री देशमुख ने प्रश्न किया था और श्री कमलापति त्रिपाठी ने जवाब दिया था कि गलत ढंग से बना था और आज कह रहे हैं कि संतोषप्रद है तो उस उत्तर को देखते हुये क्या फिर से जांच कराई जावेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैंने पहले से ही अनुरोध किया था कि उसमें मेकेनिकल कमियां आ गई थीं जिसके कारण उत्पादन नहीं होता था । उनको दूर कर दिया गया है और अब उत्पादन ठीक से चल रहा है और इस सीमा तक पहुंच गया है कि उसे संतोषप्रद कहा गया है ।

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या विद्युत मंत्री बतलायेंगे कि यह जो ५ रूसी ब्वायलर्स लगे हैं उनको स्थापित करने में अलग-अलग कितनी लागत आई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, ओबरा पावर हाउस में ५ रूसी ब्वायलर्स लगे हैं । इनमें बहुत सी आक्जीलरीज कामन होती हैं और दो-दो तीन-तीन ब्वायलर्स साथ-साथ इरेक्ट किये जाते हैं इसलिये खर्चे का अलग-अलग उत्तर देना कठिन है । कुल लागत १४१.९० लाख आई है ।

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो १४१.९० लाख रुपया खर्च किया गया है, तो और कितना रुपया मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग कारपोरेशन का है जिनका आरबीट्रेशन में मुकदमा गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग की निश्चित धनराशि नहीं दे सकता हूं । उनका एक लेबर डिस्प्यूट है जिसके बार में कहा गया था कि वह पूरा नहीं किया गया था, इसलिय डिपार्टमेंटली काम हुआ है और आरबीट्रेशन में मामला गया है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

ब्वायलर्स की त्रुटियों को ठीक करने में कितना धन व्यय करना पड़ा और उसमें कितना इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने वहन किया है और कितना ठेकेदारों ने ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह नवीनीकरण और उसकी मरम्मत में खर्च हुआ है। लेकिन कितना किसने वहन किया है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

विद्युत मंत्री जी क्या बतलाने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज पावर हाउस में ब्वायलर १९६० में १ करोड़ घाटे में चल रहे थे, तो क्या वह घाटा पूरा हो गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समय उसका उत्पादन अपनी सीमा तक है और उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए उसमें किसी प्रकार का घाटा इस समय नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय—

इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दें।

अधिशाशी अभियन्ता हाईडिल, बदायूं की बनायी हुई योजना

*४—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता हाईडिल, बदायूं ने हाल में कोई योजना ऐसी बना कर सरकार को दी है कि जिसके जरिये ग्राम बिनावर से आगे नसेनी इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिये सब-स्टेशन कायम किये जायें ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी नहीं, अधिशासी अभियन्ता हाईडिल बदायूं ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है, अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले एक साल के अन्दर यह योजना मंजूर हो गयी है और नहीं तो वहां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जमीन लेने के लिये क्यों कोशिश कर रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन अब बदायूं जिले के ब्लाक राजपुरा, गुन्नौर एवं सहसवान के विद्युतीकरण कार्यों के लिये ८९.६२७ लाख रुपये की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अगस्त, १९७१ में स्वीकृत हेतु भेजी गयी है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिनावर सब-स्टेशन बनाने के लिये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जमीन लेना चाहते हैं और योजना मंजूर हो गयी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ३७.५/११ के० वी० ए० का विद्युत उप केन्द्र बनाये जाने की योजना है और उसके बनने के पश्चात बिनावर तथा आसपास के क्षेत्रों में बिजली दी जायेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, अभी बताया गया कि योजना नहीं है और अब कहा जा रहा है कि योजना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमें धोखा क्यों दिया जा रहा है ? मान्यवर, आपके सामने इसका जबाव समझा कर दिया जाय।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह विद्युत उप ग्रह बनाने की योजना है। इस समय बिनौरा और नसेनी के विद्युतीकरण का प्रश्न नहीं है। उप ग्रह बनाने का प्रश्न है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या शासन को यह जानकारी है कि यहां जितने नलकूप स्थापित हो गये हैं, वे औसतन ६ घन्टे भी नहीं चल पाते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य सूचित करेंगे तो देखेंगे कि ऐसी अनियमिततायें न हो सकें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये सब-स्टेशन कब तक चालू हो जायेंगे और इसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी इसके लिये जमीन उपलब्ध की जा रही है। जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जायेगी, कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और शीघ्र पूरा हो जायेगा।

तहसील डेरापुर, जिला कानपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

*५—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के कहिंजरी मंगलपुर, कचौसी, बाजार सिठमरा गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के ग्राम कहिंजरी, मंगलपुर, कंचौसी बाजार एवं सिठमरा गांवों का विद्युतीकरण प्राविधिक एवं आर्थिक दृष्टि से अभी उपयुक्त नहीं है, भविष्य में निर्धारित प्रतिलाभ प्राप्त होने पर इनका विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

*६—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर तहसील में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और किन-किन गांवों के विद्युतीकरण की इस समय योजना है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

डेरापुर तहसील में अब तक २२ गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष ग्राम किशोरा एवं बनीपारा–डगराहा के विद्युतीकरण की योजना है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मन्त्री जी ने अभी कहा कि भविष्य में प्रतिलाभ होने पर इनका विद्युतीकरण किया जायेगा तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने हरिजनों की आबादी के विद्युतीकरण के लिये जो प्रतिलाभ का आधार नियत किया है, उसी आधार पर इन गांवों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—
अगर ये उस आधार के अन्तर्गत आ जायेंगे तो इन गांवों को लाभ हो जायेगा ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—
क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रतिलाभ प्राप्त करने की योजना है, उस को प्राप्त करने के लिये शासन की ओर से कौन से उपाय किये जाते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—
मान्यवर, जहां पर बिजली की मांग होती है, उन लोगों से २५ रु० सेक्योरिटी मनी जमा कराते हैं और जैसी बिजली की मांग होती है, उसी आधार पर वहां का सर्वे होता है । वहां के लोगों की आवश्यकता को देखा जाता है, और इस आधार को प्रतिलाभ से आंका जाता है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—
क्या मंत्री जी अनिवार्य रूप से ऐसे आदेश देंगे कि जिन गांवों में बिजली पहुंच गयी है और जहां हरिजन बस्तियां हैं वहां इलैक्ट्रीफिकेशन तुरन्त किया जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—
हरिजन बस्तियों के लिये विद्युतीकरण की तो हमारी निश्चित योजना है ही । उसके लिये प्रयास जारी हैं और रहेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—
मैंने यह पूछा है कि क्या आप ऐसे आदेश देंगे कि जहां बिजली पहुंच गयी है वहां हरिजन बस्तियों में बिजली लगा दी जाये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—
विभिन्न जनपदों के अधिशासी अभियन्ताओं को आदेश दे दिये गये हैं कि वे तत्काल ऐसी सूचना कि जहां हरिजन बस्तियां हैं और बिजली पहुंच गयी है विद्युत परिषद् को दें । उस सूचना के आते ही तुरन्त कार्यवाही इलैक्ट्रीफिकेशन की की जाती है ।

श्री बंशीधर पांडेय—
यह निश्चित उत्तर मान्यवर नहीं देना चाहते । मैं चाहता हूं कि क्या आप इसके लिये निश्चित आश्वासन देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—
श्रीमन्, सिद्धान्ततः यह निश्चय कर लिया गया है कि जहां हरिजन बस्तियां होंगी वहां उनका विद्युतीकरण किया जायेगा । उसके लिये प्रयास जारी हैं ।

श्री सुखपाल पांडेय—
क्या मंत्री जी को ऐसी जानकारी है कि प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली तो पहुंच गयी है, मगर वहां की हरिजन बस्तियों में वह नहीं पहुंची है और क्या हरैया तहसील का इस संबंध में एक शिकायती पत्र भी प्राप्त हुआ है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—
ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—
मान्यवर, सरकार ने हरिजनों के केस में ८ प्रतिशत रिटर्न वाली जो कन्डीशन रखी है उसे अधिकांश गरीब हरिजन पूरा नहीं कर पायेंगे और उसके कारण विद्युतीकरण करना उनकी बस्तियों का सम्भव नहीं होगा तो क्या इसकी भी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस दिशा में काफी तेजी से कार्य बढ़ रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी ऐसे गांवों की जांच करायेंगे कि जहां बिजली पहुंच गयी है किन्तु हरिजन बस्तियों में वह नहीं पहुंची है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जहां ऐसे गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, विद्युतीकरण करने के लिये निश्चित आदेश भेज दिये गये हैं । अधिशासी अभियन्ताओं से कहा गया है कि वे शीघ्र योजना बना कर प्रस्तुत करें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

डेरापुर तहसील के किन-किन गांवों में बिजली पहुंच गयी है, उनके नाम बताने की कृपा करें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

४ गांवों तो यह हैं झींझक, चिलौली, रसूलाबाद और डेरापुर । इसके बाद १८ और हैं । चिलौली, उलरापुर, जिगनिश, गलवापुर, दस्तमपुर, बड़ा गांव, विक्खी, बीनापारा, डगरहा, बीनापारा जिनई, गड़िया, करिया माला, किशोरा, आदमपुर खेड़ा, सलेमपुर महेरा, रसूलाबाद सेहंथा, खरदुआ, आजीपुर, भवनपुर ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

जिन हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने की योजना है, वहां से यदि ८ प्रतिशत रिटर्न नहीं आया तो आप वहां बिजली लगायेंगे या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इस समय तो यही योजना है, ८ प्रतिशत रिटर्न की शर्त है, तो करीब-करीब पूरी हो रही है । यदि कोई समस्या आयेगी तो उस पर भी विचार किया जायगा ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

जो २५ रुपया जमा करके फार्म भरने की शर्त है, क्या उसमें भी छूट देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

अभी तो सिर्फ स्ट्रीट लाईट की योजना है गांव सभा से अनुबन्ध करके उसे देने का प्रयास किया जा रहा है । फिर व्यक्तिगत यूज के लिये लेंगे तो उन्हें फार्मेलिटी पूरी करनी ही पड़ेगी ।

[१७ अप्रैल, १९७२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सेल्स टैक्स अधिकारी के पद की परीक्षा

*१---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार बतायेगी कि लोक सेवा आयोग ने मई, १९७० में सेल्स टैक्स अधिकारी के पद के लिये परीक्षा ली थी तथा प्रत्येक परीक्षार्थी से ४० रु० लिया था ? क्या यह भी सच है कि अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

संसदीय कार्य उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)---

जी नहीं । बिक्री-कर अधिकारी के पद के लिये मई, १९७० में लोक सेवा आयोग ने कोई परीक्षा नहीं ली थी । शेष सूचना का प्रश्न नहीं उठता है ।

जून, १९७० में लोक सेवा आयोग ने सहायक बिक्री-कर अधिकारी के पद के लिये परीक्षा ली थी और ४० रुपया परीक्षा शुल्क प्रत्येक परीक्षार्थी से लिया गया था। इस परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हो चुका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की जो परीक्षा जून, ७० में हुयी थी, उसका परीक्षाफल कब घोषित किया गया था ? उसके घोषित करने में देरी का कारण क्या है ? क्या इस प्रश्न के प्राप्ति के बाद परीक्षाफल घोषित किया गया ?

श्री गुलाब सिंह---

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, कौन-सी सूचना की आवश्यकता है ? परीक्षाफल कब घोषित हुआ और विलम्ब का कारण क्या है ? यह तो बता दें।

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)---

मान्यवर, १०५ परीक्षाफल घोषित हुए हैं, १०० घोषित होने को थे। २ स्थान शेड्यूल ट्राइब्स के लिये छोड़े गये, ६९ के नाम लोक सेवा आयोग से शासन के पास पहुंचे हैं, उनको मेडिकल बोर्ड में भेज दिया गया है। उनका मेडिकल हो चुका है। अब जब उनकी रिपोर्ट आयेगी तो उनके नियुक्ति की कार्यवाही होगी। ३६ अभ्यर्थियों से वांछित प्रमाण-पत्र लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुये हैं, इसलिये यह नहीं हो पाया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैंने यह पूछा है कि कब परीक्षाफल घोषित हुआ और माननीय मंत्री इधर-उधर की बात बता रहे हैं। क्या मंत्रियों को बिलकुल ही ट्रेनिंग नहीं दी गई है ? मैं यह पूछ रहा था कि परीक्षाफल कब घोषित किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

आप मंत्रियों की ट्रेनिंग के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या यह मेरा अधिकार नहीं है कि हम लोग सही उत्तर पायें मेरा प्रश्न सीधा सादा यह है कि जून, ७० में परीक्षा ली गई थी, तो इसका परिणाम कब घोषित किया गया था ? और देरी का कारण क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

यह निवेदन किया जा चुका है कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

आप इस परीक्षा क आधार पर कितने बिक्री-कर अधिकारी जिलों में नियुक्त कर चुके हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

अभी किसी की नियुक्ति नहीं हो पायी है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट किसी की नहीं पहुंची है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जो परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये गये क्या इनकी तिथि भी इनके पास नहीं है और जो देरी का कारण है क्या सही नहीं है कि लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के मानने के बजाय कुछ अन्य लोगों की नियुक्ति करने की इन्होंने कोशिश की है?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

सूचना नहीं है और दूसरे प्रश्न में वह हमारी जानकारी में सही नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जब लोक सेवा आयोग ने परीक्षायें लीं इनकी तो कोई इन पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ?

श्री गुलाब सिंह---

यह तो बताया गया कि कोई नियुक्ति नहीं हुई, इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने स्थान की आवश्यकता थी और कितने आयोग के द्वारा आये हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी-

१०७ स्थान भरे जाने थे और १०५ के परिणाम घोषित हुए ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी को मालूम है कि बराबर लोक सेवा आयोग में परीक्षायें होती हैं और परीक्षाफल बरसों तक नहीं निकलते हैं, तो क्या सरकार सोच रही है कि कोई अवधि बांध दी जाय कि परीक्षा लेने के निश्चित समय बाद परीक्षाफल निकालना आवश्यक हो जाय ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

यह वित्त मंत्रालय से संबंधित प्रश्न नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड---

मंत्री जी ने कहा कि परीक्षा ७० में हो गयी, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आयी है तो आखिर कितने साल उसमें लगेंगे रिपोर्ट आने में ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

अपेक्षा मेडिकल बोर्ड से की जाती है कि शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट भेजे ।

श्री निन्यानन्द स्वामी---

व्यवस्था चाहता हूं । क्या आप मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हैं ? नियम ४९ के अन्तर्गत इस पर चर्चा करायें, सारे प्रदेश का सवाल है, दो दो साल तक परिणाम नहीं निकलते और लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध कार्य करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आपको सैटिस्फैक्शन नहीं है तो उनसे पूछिये, या लिख कर दीजिये । मैं कोई प्रश्न नहीं पूछता ।

श्री रामगोपाल संड---

आप व्यवस्था कीजिये कि वह . . .

श्री अध्यक्ष---

मैं कोई राय नहीं देता हूं ।

ब्राइट लेबोरेटरी, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा को स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट का कोटा

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्राइट लेबोरेटरी, मोती लाल नेहरू रोड, आगरा को २०,००० लीटर का स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट का असाधारण कोटा स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या विशेष कारण था ?

कारागार उप मंत्री (श्री रामपूजन पटेल)—

जी नहीं ।

ब्राइट लेबोरेटरीज, आगरा को केवल १५,००० बल्क लिटर स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट प्रतिमाह का कोटा स्वीकृत किया गया है । यह कोटा असाधारण या स्पेशल नहीं है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि २० हजार लीटर तो नहीं दिये लेकिन १३ हजार लीटर जरूर दिये गये हैं तो असाधारण अगर कारण नहीं थे तो कौन से ऐसे कारण थे जिन कारणों से इतने लीटर स्प्रिट दे दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

१५,००० लीटर है, १३,००० नहीं है ।

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जैसे कि हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण की ओर शासन का विशेष ध्यान है इसलिये लघु उद्योगों के लिये इंडस्ट्रियल डायरेक्टर ने उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया था, इस कारण से उनको यह कोटा दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस लैबोरेटरी को प्रतिवर्ष जो कोटा दिया जाता था वह कितना था और किन विशेष परिस्थितियों में यह १५ हजार लीटर इस लैबोरेटरी को दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह लैबोरेटरी अभी नयी शुरू हुयी है । और जब तक उसकी बिल्डिंग और सामान सज्जा नहीं हो जायगा तब तक उसको कोटा नहीं दिया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की शिकायत मिली है कि यह जो स्प्रिट है इस लैबोरेटरी में इस्तेमाल न हो कर बाजार में बेची गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अभी कोई लैबोरेटरी नहीं, इमारत नहीं, मशीनें नहीं, कोटा एक लीटर नहीं दिया गया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्नगत लैबोरेटरी काहे का उत्पादन करती है और क्या यह जांच करवायेंगे कि उनकी वास्तविक आवश्यकता क्या है और अगर कोटा आवश्यकता से ज्यादा होगा तो उसको कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, १५ हजार लिटर का कोटा दिया गया है। पांच हजार लिटर हाइड्रोक्लोरल बनाने के लिये और १० हजार लिटर क्लोरोफार्म बनाने के लिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसी प्रकार से और भी किसी इंडस्ट्री को कोई कोटा दिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना की आवश्यकता होगी । माननीय सदस्य अगर नाम बता सकें तो पूछा जा सकता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लैबोरेटरी के मालिक का क्या नाम है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

नाम के लिये तो सूचना चाहिये । इसमें सिर्फ यह है कि प्राइवेट लैबोरेटरी आगरा की है । १५ हजार लिटर का कोटा दिया गया है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा है कि विशेष परिस्थिति में लैबोरेटरीज के लिये स्प्रिट देते हैं, इसी आधार पर सेक्शन किया है, क्या आगरा के कुछ और लोगों ने भी आवेदन पत्र दिया था और उनके आवेदन-पत्र पर ध्यान न दे कर इन्हीं को ही स्वीकार किया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि औरों का खारिज कर दिया । इंडस्ट्रीज डाइरेक्टर ने रेकमेंड नहीं किया तो खारिज कर दिये गये होंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री--

जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया, जब लैबोरेटरी नहीं है, उसकी कोई इमारत नहीं है, तो उसके नाम पर कोटा क्यों अलाट किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मुझको अफसोस है। जब तक उस का कोटा मंजूर नहीं होगा तब तक वह इतनी बड़ी मशीनें, उसका सामान, कच्चा माल रखने का स्टोर अगर कोटा पहले मंजूर नहीं किया जायगा इस आशा में मकान वगैरह नहीं बना सकता है, बाद में कोटा मंजूर हो या न हो । इसलिये पहले कोटा मंजूर करना लाजिमी होता है । जब कोटा मंजूर हो जाता है तब सब सामान तैयार करता है ।

पौड़ी-गढ़वाल जिले में कोटद्वारा से लैन्सडाउन तक की बिजली लाइन

*३--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल में कोटद्वारा से लैन्सडाउन तक ३७ के० वी० की बिजली लाइन कब स्वीकार की गई थी और कब उसका आगे के लिये विस्तार होगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वारा से लैन्सडाउन तक ३७ के०वी० विद्युत लाइन की स्वीकृति सन् १९६९ में प्रदान की गई थी ।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

इस लाइन पर प्रारम्भिक मार्ग निरीक्षण हो चुका है और जरूरी सामान का प्रबन्ध किया जा रहा है । इस लाइन में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा क्योंकि भू-मार्ग बहुत दुर्गम है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जैसा माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है यह लाइन १९७० में स्वीकृत कर दी गयी । उन्होंने कहा कि अभी भी इसमें दो वर्ष और लगेंगे । क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि स्वीकृति से दो वर्ष बाद यह लाइन पूरी होगी या अब से दो वर्ष बाद पूरी होगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इसका सर्वेक्षण हो गया है । सामग्री उपलब्ध की जा रही है । जैसा मैंने निवेदन किया मार्ग दुर्गम है इसलिये अभी उसमें दो वर्ष और लगने की संभावना है ।

विभिन्न विभागों के सहायक लेखा अधिकारियों के प्रस्तावित कैडर

*४—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या वित्त मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में सहायक लेखा अधिकारी के पद हैं उनका एक कैडर बनाने का निर्णय शासन ने जून, १९७० में किया था ? यदि हां, तो उक्त निर्णय को कार्यान्वित न करने का क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। प्रश्नगत निर्णय को कार्यान्वित करने के पूर्व शासन को इस बात का भी निर्णय लेना है कि सहायक लेखा अधिकारियों के प्रस्तावित कैडर में विभिन्न विभागों के सहायक लेखा अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता किस प्रकार अवधारित की जानी चाहिये तथा भविष्य में होने वाली रिक्तियां कैसे भरी जानी चाहिये ताकि कैडर बनने पर अधिकारियों में असंतोष न हो एवं भविष्य में होने वाली रिक्तियों के लिये सामान्य नीति अपनाई जा सके। इस विषय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करना भी अनिवार्य है और उनके समक्ष शासन के विचार रखे गये हैं । आयोग की सम्मति की प्रतीक्षा की जा रही है । अन्तर्विभागीय विचार विमर्श के कारण ही प्रश्नगत निर्णय को कार्यान्वित करने में विलम्ब हो रहा है।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत्-अनुरक्षण खण्ड, अलीगढ़ द्वारा फार्मों को दिया गया सप्लाई आर्डर्स

*५—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७०-७१ और १९७१-७२ में अब तक (दिनांक ३१ जनवरी, १९७२) तक अधिशासी अभियंता, विद्युत-अनुरक्षण खंड, अलीगढ़ ने किस-किस फर्म को कब-कब कितनी कितनी धनराशि के सामान की सप्लाई के आर्डर्स दिये हैं ? क्या यह सच है कि उपरोक्त सप्लाई आर्डर्स विभाग द्वारा अधिकृत धनराशि से अधिक के हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अधिशासी अभियंता, विद्युत अनुरक्षण खंड अलीगढ़ ने वर्ष १९७०-७१ में लगभग रु० ८६,९८९.०० व ७१-७२ में दिनांक ३१-१-७२ तक लगभग रु० २४,८३९.०० की धनराशि के सामान की सप्लाई के आर्डर्स जिन फार्मों को दिये उनका विस्तृत विवरण सदस्य महोदय मेरे कक्ष में पधार कर देख सकते हैं ।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

केवल मार्च, १९७१ में अधिशासी अभियंता ने सिर्फ रु० ३५६.५० पैसे का सामान अपनी अधिकृत धनराशि से अधिक का खरीदा है जिसको नियमित (Regularised) करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत् विभाग, बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायतें

*६---श्री कल्याण सिंह---

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह नवम्बर, १९७१ में अधिशासी अभियंता, जल विद्युत विभाग, बुलन्दशहर (दक्षिण) के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध आरोप क्या-क्या हैं तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां, इस पत्र में मुख्यतः गलत बिल बनाने बाद में उसे ठीक करने, शिविर सहायक के माध्यम से धनोपार्जन करने, नयी कांग्रेस के प्रति विरोध तथा बी० के० डी० के प्रति पक्षपातपूर्ण भाव रखने आदि की शिकायतें थीं । जांच कराने पर आरोप सही नहीं पाये गये ।

व्यापारियों की एक सूत्री कर-व्यवस्था की मांग

*७---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के व्यापारियों की इस मांग को कि बिक्री-कर को एक सूत्री तथा सरल बनाया जाय, के स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ? सरकार ने इस विषय में क्या अन्य प्रदेशों में लागू बिक्री-कर प्रणाली का अध्ययन कर कोई सरल तरीका अपनाने पर विचार किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

व्यापारिकवर्ग से यह मांग अक्सर प्राप्त होती रही है कि प्रदेश में एक सूत्री कर व्यवस्था अपनाई जाय । उत्तर प्रदेश बिक्री-कर समिति (१९६२-६३) तथा उत्तर प्रदेश कर जांच समिति (१९६८-६९) के समक्ष भी ऐसी मांग रखी गई थी । उपरोक्त दोनों समितियों ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करके यह मत व्यक्त किया था कि प्रदेश की वर्तमान बिक्री-कर प्रणाली जिसमें बहु-सूत्री एवं एक सूत्री बिक्री-कर एवं क्रय-कर का समिश्रण है, प्रदेश की वर्तमान स्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप है । प्रदेश की वर्तमान स्थिति में पूर्णतः एक सूत्री कर-प्रणाली लागू करके उसे सरल बनाना संभव नहीं पाया गया है । विभिन्न वस्तुओं पर बहु-सूत्री के स्थान पर एक सूत्री कर की व्यवस्था संबंधी सुझावों पर समय समय पर उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है अतः जहां ऐसा संभव हो, वहां एक-सूत्री कर की व्यवस्था की जाती है । अन्य प्रदेशों की बिक्री-कर प्रणाली का अध्ययन करके बिक्री-कर अधिनियम में व्यापक संशोधन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और उसी के साथ बिक्री-कर विधि को यथासंभव सरल बनाने का प्रयास किया जायगा ।

आबकारी डिस्टेलरी, सिकन्दराबाद, जिला अलीगढ़ का उपमंत्री द्वारा निरीक्षण

*८---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह---

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपमंत्री ने आबकारी डिस्टेलरी, सिकन्दराबाद, जिला अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक ३१ अगस्त, १९७१ को किया था ? यदि हां, तो क्या उस निरीक्षण रिपोर्ट में २५ लाख रुपये का गोलमाल का उल्लेख किया है तथा सहायक आयुक्त, आबकारी ने उक्त डिस्टेलरी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट की थी जिसके कारण उसका स्थानान्तरण कर दिया गया ? यदि हां, तो आबकारी उपमंत्री तथा सहायक आयुक्त के रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सिकन्दराबाद, जिला अलीगढ़ में कोई आबकारी डिस्टिलरी नहीं है। अतः उपमंत्री जी द्वारा उसके निरीक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

*९-१०--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

बलिया में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य में विधायकों की राय

*११--श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया) तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत कार्य के संबंध में विधायकों की राय ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों जबकि मंत्री ने विद्युत् स्थायी परिमर्शदात्री समिति में स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि विधायकों की राय जिले स्तर के सभी कार्य के लिये ली जायेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बलिया की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ३०-१०-१९७१ को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेज दी गई थी जबकि विद्युत स्थायी परामर्शदात्री समिति की बैठक, जिसमें इस बात की चर्चा हुयी थी कि जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति से लाइनों के विषय में राय ली जाय, १३-११-१९७१ को हुयी थी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विचारार्थ विद्युतीकरण योजना भेजते समय, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उस समय तक प्राप्त समस्त सुझावों एवं प्रस्तावों को ध्यान में रखा गया था।

*१२--श्री राम सिंह खन्ना--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*१३--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

विद्युत् बोर्ड के वर्क चार्ज कर्मचारी

*१४--श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिला कानपुर)--

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत बोर्ड के जी०ओ० के अनुसार तीन वर्ष पूरे होने पर वर्क चार्ज को रेगुलर कर दिया जाता है परन्तु इस समय बोर्ड में चार और पांच साल के वर्क चार्ज कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको अभी तक रेगुलर नहीं किया गया इसका क्या कारण है? तथा उनको सरकार कब तक रेगुलर कर देगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, परिषदाज्ञा दिनांक १२ अक्तूबर, १९७१ में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी किये गये थे। अब मुख्य अभियंता से आवश्यक विवरण परिषद् में आ रहे हैं और उन पर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से की जा रही है और नियमित पदों के सृजन का कार्य परिषद् द्वारा किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है।

संसोपा सत्याग्रहियों पर जिला कारागार, कानपुर में लाठी चार्ज

*१५--चौ० रामपाल सिंह यादव--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में दिनांक २२ अगस्त, १९७० को भूमि बांटी आन्दोलन के संसोपा सत्याग्रहियों पर जेल कर्मचारियों द्वारा लाठी चार्ज के

संबंध में विधान सभा के तृतीय सत्र १९७१ के २रे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में बताया गया कि जेलर के गम्भीर चोटें आई और उनकी उंगली टूट गई और प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में सिटी मजिस्ट्रेट, कानपुर द्वारा संलग्न जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जेलर को कालिया नम्बरदार ने भीड़ से बाहर निकाल लिया था लेकिन जेलर के गम्भीर चोटें और उंगली टूटने का उसमें कोई जिक्र नहीं है ? यदि हां, तो जेलर ने उंगली टूटने की फरजी चोट बनाकर जालसाजी की है क्या इस संबंध में जेलर के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला कारागार, कानपुर में लाठी चार्ज की घटना के संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट, कानपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट घटना की तिथि अर्थात् २२–८–७० को ही दे दी थी परन्तु जेलर, श्री जी० सी० सक्सेना की उंगली की डाक्टरी जांच २५–८–७० को हुयी और उंगली में फ्रैक्चर होने का ज्ञान २७–८–७० को सरकारी अस्पताल, कानपुर में उंगली का एक्स-रे होने के पश्चात् हुआ। जेलर की चोट फरजी बनाई गई प्रतीत नहीं होती। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद बिजली घर की क्षमता

*१६—श्री राम गोपाल संड—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद बिजली घर की कितनी क्षमता है ? क्या उन्हें पता है कि इस बिजली घर की बिजली प्रायः फेल हो जाती है ? क्या सरकार कोई नया जेनरेटर इलाहाबाद बिजली घर में लगाने की योजना बना रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इलाहाबाद बिजली घर की अधिष्ठापित क्षमता (इन्स्टाल्ड कैपेसिटी) १२ हजार किलोवाट है परन्तु मशीनों के पुराने हो जाने के कारण इस बिजलीघर से केवल ६/७हजार किलोवाट बिजली का उत्पादन हो सकता है।

ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में विद्युत वितरण लाइनों पर कभी-कभी खराबी हो जाने के कारण ही उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पाती है। जिसे सूचना मिलते ही जल्द से जल्द ठीक करवा दिया जाता है।

इलाहाबाद में नया जेनरेटर लगाने की कोई योजना नहीं है। परन्तु वहां २२० के०वो० का ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किया गया है जहां से इलाहाबाद की बिजली की बढ़ती हुयी आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है।

थर्मल पावर स्टेशन तथा रिहन्द बांध से बिड़ला बन्धुओं को बिजली देने का विचार

*१७—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिड़ला बन्धुओं को हिन्दुस्तान अल्युमुनियम कारखाने के विस्तार हेतु ओवरा थर्मल पावर स्टेशन तथा रिहन्द बांध से एक सौ मेगावाट और बिजली देने जा रही है ? यदि हां, तो किस दर से ? इससे प्रतिवर्ष राज्य सरकार को कितना घाटा होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न विचाराधीन है।

बांट तथा नाप विभाग के इन्सपेक्टर के पद का चयन

*१८—श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कि बांट तथा नाप विभाग में दिसम्बर, १९७१ में इन्स्पेक्टर के पद के लिये चयन किया गया था ? यदि हां, तो कितने पदों के लिये और उसमें अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी लिये गये ?

श्री बेनी सिंह—

दिसम्बर, १९७१ में इन्सपेक्टर के २१ पदों के लिये चयन किया गया जिसमें ४ अनुसूचित जाति अभ्यर्थी के लिये गये ।

इटावा बिजली कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं से वसूला गया न्यूनतम चार्ज

*१९—श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इटावा बिजली कम्पनी अपने उपभोक्ताओं से ८ रु० ५० नै० पै० प्रति हार्स पावर न्यूनतम चार्ज वसूल कर रही है जब कि शासनादेश दिनांक ९ दिसम्बर, १९६६ के अन्तर्गत न्यूनतम चार्ज ५ रु० प्रति हार्सपावर है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह अतिरिक्त राशि वापिस करने के संबंध में विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

९ दिसम्बर, १९६६ को कोई ऐसा, शासनादेश प्रेषित नहीं हुआ । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*२०—श्रीमती मसाली देवी—

[५ वें सोमवार के लिये स्थगित]

सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु दिया गया अग्रिम धन

*२१—श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के अग्रिम की सीमा २ साल के वेतन से बढ़ाकर चार साल के वेतन के बराबर देने का आदेश जारी किया है । यदि हां, तो क्या वह ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी इस शासनादेश से लाभान्वित करने का विचार कर रहे हैं जिन्हें पिछले २–३ वर्षों में भवन निर्माण के लिये अग्रिम स्वीकार किया हो ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

शासन ने इस पर विचार किया, किन्तु इसको स्वीकार करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि शासन की नीति वित्तीय सुविधाओं को पूर्वगामी प्रभाव से देने की नहीं है और जो भी आदेश निर्गत किये जाते हैं, वे या तो राजाज्ञा के निर्गत होने के दिनांक से या जिस महीने में वह निर्गत होती है, उसकी पहली तारीख से लागू किये जाते हैं । इसी आधार पर प्रश्नगत आदेश एक जुलाई, १९७१ से प्रभावी किये गये हैं ।

*२२—श्री कल्याण सिंह—

[७वें सोमवार के प्रश्न सं० ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर बिक्री-कर कार्यालय द्वारा बिक्री-कर असेसमेन्ट

*२३—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फाइन आर्ट फर्नीचर सप्लायर्स ४४/३०१, मछली टोला, कानपुर नामक फर्म पर १९७०–७१ का बिक्री-कर असेसमेंट कानपुर बिक्री-कर कार्यालय द्वारा किया गया जब कि इस नाम की फर्म का कोई वजूद नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की हो रही कानपुर कार्यालय की धाधलियों की तुरन्त जांच कराने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन के पास २०–३–७२ को माननीय सदस्य के माध्यम से इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुयी है, जिस पर जांच की जा रही है।

*२४—श्री महीलाल—

[६ठे बुधवार में प्र०सं० ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जेल वार्डेन, लखनऊ का अलीगढ़ के जेल के अन्दर अवैध रूप से घुसना

*२५—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९–३–७२ को श्री राम जी दास जेल वार्डेन, लखनऊ तथा अन्य दो व्यक्तियों ने अलीगढ़ जनपद की जेल के अधिकारियों की सहायता से अवैध तथा गैरकानूनी तरीके से जेल के भीतर घुस कर विचाराधीन कैदी श्री टोढ़ी सिंह को बुरी तरह से मारा-पीटा तथा उसको मुर्गा बनाया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जेल के सुपरिंटेंडेंट को तुरन्त हटा कर उसकी खुफिया तौर पर किसी उच्चाधिकारी द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक ९–३–१९७२ को श्री रामजीदास जेल वार्डर लखनऊ अपने भाई के साथ जिला जेल, अलीगढ़ के अधीक्षक से मिलने जेल अधीक्षक के कार्यालय में गये थे परन्तु विचाराधीन बन्दी श्री टोढ़ी सिंह को मारने पीटने अथवा उसे मुर्गा बनाये जाने की बात सही नहीं है । अतएव अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

रेन्ट कन्ट्रोल कार्यालय, लखनऊ में हरिजनों के एलाटमेंट के प्रार्थना-पत्र

*२६—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर के रेंट कंट्रोल कार्यालय में कितने एलाटमेंट के प्रार्थना-पत्र १९६९–७०, १९७०–७१ में हरिजनों के आये और उनमें से कितने हरिजनों को मकान तथा दुकान एलाट किये गये ?

श्री बेनी सिंह—

सन् १९६९–७० तथा १९७०–७१ में कुल १३५५ प्रार्थना-पत्र मकानों तथा दुकानों के एलाटमेंट हेतु जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुये । ४९३ व्यक्तियों को मकान तथा ९२ व्यक्तियों को दुकानें एलाट की गई । प्राप्त प्रार्थना पत्रों में दिये गये विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि कौन प्रार्थी हरिजन है और इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि कितने हरिजनों ने प्रार्थना पत्र दिये और उनमें से कितनों के पक्ष में एलाटमेंट आदेश जारी किये गय ।

वेतन आयोग के विचारणीय विषयों में पेंशन का मामला

*२७—श्री मैनेजर सिंह—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग पेंशन प्राप्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने या उनके पेंशन में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं। वेतन आयोग के विचारणीय विषयों में पेंशनर्स का मामला सम्मिलित नहीं है और आयोग केवल सेवा-रत कर्मचारियों की उपलब्धियों पर विचार करने के लिये गठित किया गया है।

श्री गोरे लाल दोहरे, लाइनमैन, बिजली विभाग की करेन्ट लगने से मृत्यु एवं उनकी पत्नी का प्रार्थना-पत्र

*२८—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री गोरेलाल दोहरे, लाइनमैन, बिजली विभाग, बकेवर (इटावा) में पावर में कार्य करते समय करेंट से तारीख ५-५-७० को सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में मृत्यु हो गई थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

*२९—श्री बसन्तलाल

क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि उक्त मृतक की पत्नी, श्रीमती रामकुमारी देवी, जालौन ने अनेक प्रार्थना-पत्र में अधिसाशी अभियंता, जल एवं विद्युत विभाग प्रखंड, इटावा तथा जिलाधीश, इटावा से प्राविडेंट फंड, सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि और सरकारी आर्थिक सहायता की मांग की ? लेकिन 2 वर्ष बाद भी आज तक कोई सहायता नहीं मिली ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री गोरे लाल, लाइन मैन के परिवार को वर्कमेंस कम्पेनसेशन ऐक्ट, १९२३, के अनुसार मुआवजे के रूप में ७,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। यह धनराशि वर्कमेंस कम्पेनसेशन कमिश्नर को चेक द्वारा दिनांक ७ अप्रैल, १९७२ को भेज दी गई है।

श्री गोरे लाल का प्राविडेंट फंड नहीं कटता था अतः इसका कोई पैसा उनकी पत्नी को देय नहीं है।

मृतक की पत्नी को कर्मचारी भविष्य निधि की वापसी के संबंध में आवश्यक कार्य-वाही की जा रही है।

विद्युत विभाग के अपरेन्टिस सुपरवाइजर्स के चुनाव में अनुसूचित जाति का कोटा

*३०—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग ने माह जनवरी व फरवरी, १९७२ में कितने अपरेंटिस सुपरवाईजर्स को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया ? और उनमें कितनों को मूल रूप से चुन लिया गया ? क्या यह सच है कि चुने हुए अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति

के अभ्यर्थियों को अठारह फीसदी संरक्षण के हिसाब से नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि १८ प्रतिशत लिया गया है तो क्या मंत्री इसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

साक्षात्कार के लिये ११२३ अभ्यर्थी बुलाये गये जिन में ३५० चुने गये। अनुसूचित जाति के ६३ अभ्यर्थी १८ प्रतिशत कोटा के हिसाब से चुने गये हैं। चुने गये अभ्यर्थियों की †तालिका की प्रति सदन के पटल पर रखी है।

*३१—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री धर्मवीर सिंह तथा श्री महाबीर सिंह चौहान—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सस्ते गल्ले की दुकानों पर चावल का न दिया जाना

*३२—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जनपदों में ग्रामीण अंचलों के दुकानदारों को गेहूं के साथ चावल नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बेनी सिंह—

ग्रामीण अंचलों में पहाड़ी जिलों को छोड़कर, जहां अनौपचारिक राशनिंग व्यवस्था है, आमतौर से सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा कोई खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाता है। मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बाढ़ सूखा आदि अथवा अन्य दैवीय आपदा के कारण अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा गेहूं/आटा वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति प्रायः क्षीण हो जाती है और वह सस्ता अनाज ही आसानी से खरीद सकते हैं। इसी कारण से यदि सस्ता मोटा चावल अथवा मोटा अनाज उपलब्ध हो और मांग हो तो उनकी भी पूर्ति की जाती है। एक और कारण यह है है कि चावल के मामले में राज्य की स्थिति ऐसी है कि शहरी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अनौप-चारिक राशनिंग व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में चावल इशू किये जाने का उत्तर-दायित्व नहीं लिया जा सकता है।

*३३—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

[५वें सोमवार में प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चीफ इन्जीनियर हाइडिल के विरुद्ध शिकायतें

*३४—श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चीफ इंजीनियर हाइडिल के बारे में यह शिकायतें है और हाउस में भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि उन्होंने अपने भाई, मां और घरवाली के नाम से एक कम्पनी बना रखी है जिसके द्वारा विभाग को माल सप्लाई करना और ठेके दिलाने का काम करते रहे हैं ? यदि हां तो सरकार ने अब तक उसकी जांच कराई है या नहीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो इस समय चीफ इंजीनियर हाइडिल हैं उनके बारे में न तो कोई ऐसी शिकायत आई है और न ही कोई जांच हो रही है।

भूतपूर्व चीफ इंजीनियर, हाइडिल के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयी थीं जिन पर जांच चल रही हैं।

विवरण देना जनहित में उचित नहीं होगा।

*३५-३६—श्री नौनिहाल सिंह—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित]

---

†छापी नहीं गई।

नैनीताल जिले के कठधारियां में बिजली के टेम्पोरेरी कनेक्शन

*३७—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल ने शारदा हाइडिल हल्द्वानी के स्थान कठधारिया में कितने व्यक्तियों को बिजली के टेम्पोरेरी कनेक्शन माह सितम्बर, सन् १९७१ से ३१-१२-७१ तक दिये गये और तब से अब तक कितनी आय विद्युत विभाग को प्राप्त हुयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला नैनीताल में विद्युत अनुरक्षण खंड, हलद्वानी स्थान कठधरिया में केवल एक टैम्पोरेरी कनक्शन दिनांक ६ सितम्बर, १९७१ से ३० अक्टूबर, १९६१ तक दिया गया था। इससे राज्य विद्युत को रु० ९९.७० पै० की आय विद्युत बिक्री से हुयी।

*३८—३९—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री मोती लाल देहलवी—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित]

*४०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

अतांराकित प्रश्न

आबकारी मंत्री द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानों का निरीक्षण

१—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कष्ट करेंगे कि उन्होंने माह जनवरी व फरवरी, १९७२ में किस-किस नगर में एक्साइज विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया था और उन दुकानों में किस-किस प्रकार की अनियमितायें पायीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आबकारी मंत्री जी ने २ फरवरी, १९७२ को मेरठ नगर की लालकुर्ती तथा हत्ता अली रजा (नील गली) में स्थित भंग व पोस्ते की ढोढी की दो दुकानों का निरीक्षण किया था। इन दुकानों में पाई गई अनियमिततायें की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ७६१–७६२ पर)

सरकार द्वारा राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त ऋण

२—श्री राम गोपाल संड—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६९–७० एवं १९७०–७१ तथा ३१–१–७२ तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया और उपरोक्त वर्षों में कुल कितने-कितने रुपये की हानि राज्य विद्युत परिषद को हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य विद्युत परिषद् को निम्न ऋण राज्य सरकार से प्राप्त हुए:—

वर्ष	धनराशि (करोड़ों में)
१९६९–७०	५७.२२
१९७०–७१	६५.७४
१९७२–७१	७८.३२

उपरोक्त वर्ष में राज्य विद्युत परिषद् को निम्न हानियां हुई हैं:—

वर्ष	धनराशि (करोड़ों में)
१९६९–७०	६.८६
१९७०–'७१	१५.५२
१९७१–७२	४.१०

इलाहाबाद सर्किल में विद्युत विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश

३—श्री रामगोपाल संड—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्किल इलाहाबाद में कुल कितने राजपत्रित विद्युत् विभाग के अधिकारी है जिनको इलाहाबाद में ३ वर्ष से अधिक हो गये हैं ? और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके स्थानान्तरण किये गये परन्तु बाद में रद्द कर दिये गये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी

इलाहाबाद में दो विद्युत् मंडल हैं । इन में केवल ४ राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं, जिनको तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं ।

उपरोक्त में से केवल एक अधिकारी के स्थानान्तरण के आदेश सितम्बर, १९६९ में हुये थे परन्तु बाद में काय हित में रद्द कर दिये गये थे ।

हाइडिल डिवीजन, इलाहाबाद द्वारा रेलवे को दिया गया डेमरेज

४—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि हाइडिल विभाग, इलाहाबाद डिवीजन द्वारा डेमरेज के रूप में वर्ष १९६९–७०, १९७०–७१ तथा ३१–१–७२ तक कितनी धनराशि रेलवे विभाग को देनी पड़ी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हाइडिल डिवीजन, इलाहाबाद में वर्ष १९६९–७०, १९७०–७१ तथा ३१–१–७२ तक निम्नलिखित धनराशि डेमरेज के रूप में रेलवे विभाग को अदा की गई—

	रु०
१९६९–७०	४१७–४०
१९७०–७१	३,०२४–५०
३१–१–७२ तक	१७५–२०

हाईडिल विभाग के इलाहाबाद भंडार का सत्यापन

५—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बतायेगी कि हाइडिल विभाग, इलाहाबाद के इलाहाबाद, स्थित भंडार का वार्षिक सत्यापन कब से नहीं हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हाइडिल विभाग के इलाहाबाद स्थित विद्युत अनुरक्षण खंड, इलाहाबाद के केंद्रीय भंडार का वार्षिक सत्यापन २४ मार्च से २७ माच, १९७२ तक अंतिम बार हुआ है। प्रसारण निर्माण खंड, इलाहाबाद तथा इलाहाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उपक्रम इलाहाबाद के केंद्रीय भंडारों का वार्षिक सत्यापन २ फरवरी, १९७२ तथा मार्च, १९७२ के अन्त में क्रमशः हुआ है ।

गोरखपुर जिले के कौड़ीराम बांसगांव में चीनी के विक्रेता

६—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में स्थित बांसगांव, तहसील के अन्तर्गत कौड़ीराम बांसगांव में चीनी के कितने थोक एवं फुटकर बिक्रेता हैं ? उनमें कितने लाइसेंस हलवाइयों को दिये गये हैं ?

श्री बेनी सिंह—

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर जिले में स्थित बांसगांव तहसील के अन्तर्गत नियंत्रित दर पर उपभोक्ताओं को वितरित की जाने वाली चीनी के कौड़ीराम में तीन थोक एवं तीन फुटकर बिक्रेता हैं तथा बांसगांव में दो थोक एवं दो फुटकर बिक्रेता हैं ।

कौड़ीराम के थोक विक्रेताओं में से एक बिक्रेता की हलवाई की दूकान है और बांसगांव के एक थोक बिक्रेता हलवाई की दूकान में साझीदार है ।

७—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्री त्रिलोक चन्द्र—

(५ वें सोमवार के प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

भूतपूर्व सदस्य, श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, यह मेरा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के एक कर्मठ सार्वजनिक कार्यकर्ता, कानपुर के निवासी, श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित की १५ अप्रैल, १९७२ को कैंसर के रोग से मृत्यु हो गयी । दीक्षित जी से हम सब पूरी तरह से परिचित हैं । वह बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं । स्वाधीनता संग्राम के वह एक बड़े प्रतिष्ठित सैनिक रहे हैं । और उस युग में जब स्वाधीनता के लिये देश लड़ रहा था, उन्होंने जेल की यातनायें भोगीं और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग तथा सत्याग्रह आन्दोलनों में हिस्सा लिया ।

वह बराबर सार्वजनिक सेवा करते रहे और हमारे इस सदन के भी १९५२ से १९५७ तक वह विधायक रहे हैं । कानपुर के मजदूर क्षेत्र में तथा मजदूरों की सेवा सुश्रुषा के संबंध में जो आन्दोलन हुये उनमें वह विशेष रूप से भाग लेते रहे हैं और वहां वे कांग्रेस संगठन में वह अच्छे-अच्छे पदों पर रहे हैं । इस समय भी वह कानपुर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष थे ।

उनकी अवस्था ६१ वर्ष के लगभग थी । कुछ दिनों से वह कैंसर रोग से पीड़ित थे । उनको बम्बई भेजा गया था और टाटा इंस्टीट्यूट में काफी दिन रहने के बाद वहां से वह वापस आये थे । कानपुर के सरकारी अस्पताल में भी काफी समय तक वह रहे थे । इधर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार है। दो चार दफा कानपुर जाने पर उनसे भेंट भी हुई । एक दो बार लखनऊ में भी उनसे मुलाकात हुयी लेकिन यह रोग इतना भीषण है इतना धोखा देने वाला होता है कि इसकी थोड़ी बहुत रोक थाम हो गयी तो रोगी घूमने-फिरने तथा काम करने लगता है लेकिन किसी क्षण उसका विस्फोट हो जाय, यह अन्दाज नहीं लगता । दुर्भाग्य की बात है कि इस रोग का अब तक कोई भी ऐसा उपचार नहीं निकला जिसे इस रोग से रोगी को बचाया जा सकता हो । यकायक विस्फोट हुआ उनका इस रोग में और १५ अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गयी ।

पुरानी पीढ़ी में स्वतंत्रता संग्राम के युग में वह एक कर्मठ व्यक्ति रहे हैं और चूंकि पर्याप्त जन सेवा में उन्होंने अपने को लगाया था, आज भी इस रुग्णावस्था में वह जनता की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सेवा के काम में बराबर लगे रहे। हमारे भूतपूर्व विधायक तो वह थे ही, इस प्रदेश के वह सम्मानित सार्वजनिक सेवी भी रहे हैं। उनकी मृत्यु से उस श्रंखला में एक कमी आई जो सार्वजनिक सेवाओं में हमारे प्रदेश में रहती है और आज भी है। उनके उठ जाने से हम सब को बड़ा हार्दिक क्लेश पहुंचा है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक सम्वेदना प्रकट करते हुये यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें शांति प्रदान करे और आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी इन भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दें।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पंडित ब्रह्मदत्त दीक्षित जी के सार्वजनिक जीवन से न केवल कानपुर के ही बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में रहने वाले अधिकांश लोग उनसे परिचित थे। श्रीमन्, जब कभी मुझे यदा-कदा कानपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है तो पंडित जी की सेवायें और सार्वजनिक जीवन में उनका जो विशेष स्थान रहा है, उनको देखकर मोटे तौर पर किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता को उनसे प्रेरणा सी मिलती थी। श्रीमन् काल तो सबके लिये काल है लेकिन ऐसी स्थिति में जिसका वर्णन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है उसमें जब कोई ऐसा व्यक्ति उठ जाता है जो सार्वजनिक जीवन में ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से एक अगुवा व्यक्ति रहा हो, उससे हमें बड़ा कष्ट पहुंचता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके शोक सन्तप्त परिवार को यह कष्ट बरदाश करने की शक्ति दे और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि जो भावनायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुये आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित के संबंध में माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है कि दीक्षित जी एक असाध्य रोग से ग्रस्त हो गये थे और अब ये हमारे बीच नहीं रहे। मुझे भी उनके साथ इस सदन में तथा सदन के बाहर काम करने का मौका मिला था और मेरा उनके साथ बहुत निकट का संबंध रहा है। वे स्वतंत्रता संग्राम के अच्छे सेनानी थे, जन सेवी थे और जनता की सेवा में बराबर लगे रहते थे। उनके उठ जाने से हमारे इस प्रदेश की बड़ी क्षति हुयी है। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि मेरी और हमारे दल की संवेदनायें संतप्त परिवार के पास भेज दी जायं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय दीक्षित जी ऐसे सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय सेवक के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ है। उनके संबंध में जो हमारे माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने का तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुए परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही आपसे भी यह निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके हमारी इन भावनाओं को संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित के निधन पर मेरा दल और मैं बहुत दुखी हूं। नेता सदन ने और विरोधी पक्ष में बठने वाले नेतागणों ने जो विचार इस संबंध में व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुये आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों की संवेदना संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय दीक्षित जी के बारे में जो भावनायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । माननीय दीक्षित जी जैसा कि बताया गया न केवल स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे बल्कि मजदूर वर्ग के एक रहनुमा भी थे । यह दुर्भाग्य है कि आज जब कानपुर के मजदूर वर्ग को उनके नेतृत्व की आवश्यकता थी तो वह उनके बीच में नहीं रहे। मेरा भी आपसे निवेदन है कि हमारी संवेदना को उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दें ।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन और नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने भाई ब्रह्मदत्त दीक्षित के निधन पर जो भावनायें और सहानुभूति उनके कुटुम्ब के प्रति यहां पर व्यक्त की हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मेरा तो विशेष सम्बन्ध उनसे बराबर ३० वर्षों से चला आ रहा है क्योंकि वह सदैव कानपुर शहर के भारत सेवक समाज के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कई रचनात्मक काम किये हैं । वहां पर जो गन्दी बस्ती है उसमें म्युनिसिपैलिटी से मिल कर एक औषधालय कायम कराना, वहां सफाई करा कर नल लगवाना, वहां पर एक ऐसा स्थान तैयार करना घूमने फिरने के लिये, गरीब आदमियों के लिये इसके अलावा एक स्कूल भी उन्होंने खोला जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है ।

रचनात्मक काम में भी वह अग्रणी रहे हैं । और शांतिप्रिय इतने थे कि कोई बड़ी दिखावट तो वह करते ही नहीं थे बल्कि सौम्य स्वभाव होने के कारण सबसे मिलनसार रहे हैं । इसलिये अन्ततोगत्वा उनको वहां की कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुना था । तो ऐसे सज्जन पुरुष का समाज में से निकल जाना बड़ी दुखद घटना है । कैंसर एक बड़ा धोखेबाज रोग है। आदमी बीच में अच्छा मालूम होता है लेकिन कुछ दिनों के बाद चल बसता है। ४–५ महीने की बात है मैं वहां गया था । उनकी स्त्री भी मिलीं, वह भी मिले । जैन साहब जो हार्ट के एक्सपर्ट हैं, उनको अपने को दिखाना था । तो वह मेरे साथ चले । वह कहने लगे कि मैं अब करीब-करीब अच्छा हो रहा हूं और आशा करता हूं कि पूरी तरह से अच्छा हो जाऊंगा । बम्बई जाऊंगा वहां पर जो मुझे जैन साहब ने सलाह दी उसके हिसाब से दवा कराऊंगा । मुझे तो आशा थी कि शायद उनका एक एक्सेप्शनल केस हो जाय और वह अच्छे हो जायं लेकिन अचानक परसों रेडियो पर जब मैंने सुना कि उनका निधन हो गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ । सदन ने जो अपनी संवेदना और दुख प्रकट किया है उससे तो मैं अपने को सम्बद्ध करता ही हूं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना रचनात्मक कार्य करने वाला और गरीबों का ख्याल करने वाला कार्यकर्ता हमारे बीच में से निकल गया । मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से सदन की संवेदना उनके कुटुम्ब के प्रति भेज दूंगा और आशा करता हूं कि अब सदन दो मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करेगा ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये)

११ अप्रैल, १९७२ को श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री बंशीधर पांडेय को इंगित करने की घटना के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं आपको सुना देना चाहता हूं । यहां पर कुछ दिन पहले एक दुखद घटना घटित हो गई । डिप्टी स्पीकर यहां पर अध्यक्षता कर रहे थे उस वक्त माननीय बंशीधर पांडेय जी सदन को छोड़कर जा रहे थे, किसी व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर उन्होंने कहना शुरू किया था और शायद वह माननीय वीरेंद्र वर्मा जी के प्रश्न के बारे में था कि उनको क्यों

लगातार चार सवाल करने दिये और दूसरों को नहीं करने दिये । प्रोटेस्ट में वे सदन छोड़कर जा रहे थे । इसके ऊपर कहीं डिप्टी स्पीकर साहब ने कुछ कह दिया । उनके यह शब्द थे कि मैं आपको इंगित करता हूं । इंगित शब्द का जो अर्थ होता है वह इसलिये होता है कि इंगित करने का मतलब यह होता है कि उनको सजा दिलाई जाय । लेकिन वह तो खुद ही जा रहे थे ऐसी अवस्था में डिप्टी स्पीकर से पूछने पर, और पार्टियों के नेता भी मौजूद थे, हमने मीटिंग बुलाई थी, डिप्टी स्पीकर का आशय कि मैं आगाह कर दूं सूचना दे दूं इस बात के लिये था। अध्यक्ष की किसी बात के प्रोटेस्ट में यदि कोई सदस्य बाहर जाते हैं तो वह कंटेम्प्ट आफ दि हाउस होता है। यह बात सही है लेकिन डिप्टी स्पीकर का इरादा इस विषय में नहीं था कि उनको सजा दिलायें बल्कि वे चाहते थे कि पांडे जी सदन में बैठें । उनको सजा देने की इच्छा नहीं थी । लेकिन ये यह शब्द उपयोग में लाये "इंगित" करना, जिसके बारे में वह अब कहते हैं कि इसमें चूंकि उक्त शब्द के ऊपर आक्षेप होने की वजह से वह पुनरीक्षण करेंगे, ऐसी अवस्था में जिसमें यह अर्थ निकले कि उनको सजा दिलानी है, उपयोग में नहीं लाये । ऐसी अवस्था में इतनी छोटी सी बात रह गई, इसके ऊपर इतनी देर तक झगड़ा हो यह अच्छा नहीं मालूम होता । इसलिये हमने तय किया और सब पार्टियों के नेताओं ने कि हम लोग इसके लिये प्रोसीडिंग्स देखेंगे और जो निर्णय करेंगे कि इस तरह से कार्यवाही चलनी चाहिये, उससे हम भी बाध्य होंगे और डिप्टी स्पीकर भी बाध्य होंगे और अधिष्ठाता भी बाध्य होंगे ।

ऐसी अवस्था में इसको आगे न बढ़ाया जाये और मैं आशा करता हूं कि इस बात को यहीं खत्म करें । अध्यक्ष उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता कोई भी कुर्सी पर बैठे, उसमें और सदन के माननीय सदस्यों में एकात्मभाव होना चाहिये कि एक घर में हम सब बैठे हैं और घर के हम सब घटक हैं और एक ही हमारा कुटुम्ब है और सब के साथ न्याय और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिये । ऐसी भावना हम लोगों में बढ़े, इस बात के लिये कमेटी बैठी है। वह जो अपना निर्णय देगी वह उनको स्वीकार होगा, मुझे भी होगा और उस रास्ते पर हम चलेंगे ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय . . . . .

श्री अध्यक्ष

मैं अभी बोल रहा हूं । हम लोगों ने निर्णय किया कि इस तरह से गलतफहमी हो गई है उसको बल नहीं देना चाहिये ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)

हम लोगों का निवेदन सुन लीजिये उसके बाद मुख्य मंत्री विचार रखेंगे हम लोगों को भी सुन लीजिये . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपको यहां नहीं सुनेंगे, आप से बात करेंगे । जब हम उस चीज को ले रहे हैं तो फिर इस सदन में उसके विरुद्ध कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिये । हमें मिलजुल कर बातचीत करना चाहिये ।

श्री बांकेलाल—

अध्यक्ष जी, पिछले दो सालों से टीका टिप्पणी सुनते-सुनते, डाट खाते-खाते हम परेशान हो गये हैं । हम लोग अब इसको एक दिन के लिये भी बरदाश्त नहीं कर सकते । उनकी जो बोलने की आदत है, सदन की मर्यादा को बिगाड़ने की आदत है, माननीय सदस्यों को जो डाटने की आदत है, उससे ऐसा मालूम होता है कि मानों हम विद्यार्थी हों और वे एक टीचर हों । हम अब सदन को एक तमाशा नहीं बनने देंगे, उसकी हैसियत को नहीं बिगड़ने देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

उस कमेटी में तो आपके नेता जायसवाल जी भी मौजूद हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं भी आदरणीय सदन से यह अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस मसले को कि भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार से कार्यवाही हो, ताकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हीं न होने पाये, इस विषय को माननीय सदन के नेताओं के ऊपर छोड़ दिया जाय। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज आपने यह घोषणा की कि यह समिति विचार करके जो भी निर्णय लेगी, उसके अनुसार भविष्य में कार्य करने के लिये आप और उपाध्यक्ष जी दोनों ही अपने आपको बाध्य समझेंगे। मैं समझता हूं कि इससे अधिक हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से और कोई बात नहीं हो सकती जब कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि विभिन्न दलों के नेताओं का जो परामर्श होगा, जो उनका निर्णय इस विषय में होगा कि सदन की कार्यवाही भविष्य में किस प्रकार से की जाय, उसके अनुसार हम काम करेंगे।

उस दिन जो घटना हुई वह एक दुखद घटना हुई। यद्यपि यह भी शोभा की बात नहीं है किन्तु ऐसा अवसर हो जाता है कि सरकार और प्रतिपक्ष के लोगों में कुछ खींचातानी हो जाय या कोई तनाव किसी बात पर पैदा हो जाय। जब ऐसा तनाव पैदा हो जाय या कोई माननीय सदन के सदस्यों का यह वधानिक अधिकार है कि वह विशेषाधिकार का प्रश्न उठावें अथवा बहिर्गमन करें या दूसरे किसी प्रकार से अपना विरोध या रोष प्रकट करें। लेकिन मान्यवर, इस प्रकार का कोई तनाव अगर सदन के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष और सदन के बीच में पैदा हो जाय तो यह सदन के गौरव और गरिमा के प्रतिकूल होता है।

उस रोज जो बात हुई उसके बारे में आपने कहा कि उपाध्यक्ष जी ने अपनी उस दिन की स्टैंड को पुनरीक्षित करने का भी आश्वासन दिया है और यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में जैसा आप तय करेंगे कैसी ही कार्यवाही की जायगी।

ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इस मसले को यहीं समाप्त करना चाहिये। अगर इस बारे में और अधिक टीका टिप्पणी की जायगी अथवा उपाध्यक्ष जी पर कोई आरोप लगाया जायगा तो वह भी नियमों के अनुसार और सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं होगा बल्कि प्रतिकूल ही होगा। इसलिये मेरी माननीय सदन के सभी सदस्यों से यही प्रार्थना है कि अब सदन का काम चलने दिया जाय और अब इस विषय को सदन के नेताओं की उस समिति को जो आपने गठित कर दी है, उसके ऊपर छोड़ दिया जाय और विचार करने के बाद जैसा वह उचित समझें, जैसा वह निश्चित कर दें उसके अनुसार जैसी कि आपने घोषणा कर दी है, उसका पालन खुद अध्यक्ष सदन से होगा। और भविष्य में इस प्रकार की फिर कोई स्थिति जो हम सब के लिये जनक हो, न उत्पन्न हो। काम करने का यही एक ढंग हो सकता है कि अगर कभी सदन में कोई बात हो जाय तो उसको हम भूलें और चाहे विरोधी पक्ष के लोग हों या इधर के लोग हों सब में पारस्परिक सम्बन्धी भाई चारे के बने रहें, वह सम्बन्ध चाहे कभी सदन में कुछ गर्मा गर्मी हो जाय तो वैसे ही रहने चाहिये। सदन में कभी-कभी आक्षेप और टीका एक दूसरे पर हम लोग किया करते हैं लेकिन सदन के बाहर एक प्रकार से स्नेहपूर्वक हम सब मिलते जुलते हैं और सद्व्यवहार एक दूसरे के प्रति करते हैं। सदन में ऐसी कभी कोई घटना हो जाय और कुछ उससे दुख पहुंच जाय तो उस को भूल जाना हमारी और इस सदन की परम्परा रही है। इस लिये अच्छा हो कि उस बात को हम भूलें और उन प्रश्नों को न उठायें क्योंकि उससे एक अनावश्यक वातावरण बनता है जिससे सदन के गौरव को ठेस लग सकती है और वह सब यहां की परम्पराओं और नियमों के प्रतिकूल भी हो जायगा। इस लिये मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह की अनेक घटनायें हुई है और सदन ने उन कठिनाइयों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

कहने सुनने के बाद स्वयं ही समाप्त किया है । मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार इस मामले को समाप्त किया जाय और इसको नेताओं की समिति के सुपुर्द किया जाय जो सारे कायदे कानून को देखे कि ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की जाय मुझे आशा है कि वह समिति इस पर सुविचारित निर्णय लेगी और अब शांतिपूर्वक सदन की कार्यवाही चलेगी । अतः मेरी सभी दलों के माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि अब इस विषय को न उठाया जाय और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

कोई समय तो निश्चित कर दें ताकि उस समिति की रिपोर्ट जल्दी से आ जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इसी हफ्ते में तय हो जायगा ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हुई इस विषय में....

श्री बांके लाल—

मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—

माननीय जायसवाल जी उनको रोकें, नेता विरोधी दल बोल रहे हैं ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आकर कहें ।

चौधरी गिरधारी लाल—

मान्यवर, वैसे तो सब बातें आपने सदन के सामने रख दीं और नेता सदन ने भी अपने विचार सदन के सामने रखे । एक समिति बनी है और वह इस प्रश्न पर विचार कर रही है । मैं समझता हूं कि इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । हां, जैसा आपने कहा और मैं समझता हूं कि केवल नियम और कायदों की बारीकी में जाकर सदन का इतना अच्छा काम नहीं चल सकता जब तक कि हम एक परिवार रूप में स्नेह भाव से यहां काम न करें, हमें डेमोक्रेटिक भावना से चलना है, हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा। मैं माननीय नेता सदन और आपकी बात को मानते हुए सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह भी इस बात को मानें ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे दस वर्ष से सदन में बैठने का अवसर मिला है लेकिन इंगित करने का अर्थ माननीय उपाध्यक्ष ने यह समझा, उन को सदन ने एक विद्वान समझ कर उस पद पर आसीन किया है लेकिन उनके द्वारा कहीं कोई भूल हो जाय, यदि भूल ही हुई है तो श्री वासुदेव, उपाध्यक्ष जी की इतनी हिम्मत होना चाहिये कि वह उस भूल को स्वीकार करते लेकिन इंगित का अर्थ इस तरह से समझने की बात उपाध्यक्ष जी द्वारा, समझ में नहीं आती ।

श्री अध्यक्ष—

गलतफहमी में दुनिया में सब चीजें होती हैं ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, इस सदन की एक महान गरिमा और पीठासीन अधिकारी की एक प्रतिष्ठा है और सदन के हर एक सदस्य की भी प्रतिष्ठा होती है। सभी सदस्यों की इच्छा रहती है कि सब की प्रतिष्ठा बनी रहे और उनकी इच्छा यह भी रहती है कि पीठासीन अधिकारी की भी बनी रहे और इसमें उनका सक्रिय सहयोग हर समय उपलब्ध करें। फिर भी उस दिन वह घटना हो गयी जो सब की इच्छा के विरुद्ध हुयी। उससे बड़ी-बड़ी घटना भी हुयी है और उन्हें माननीय सदन ने सुलझाया है। उस दिन जो घटना हुयी है, उस पर वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं है और उसको भूल जाना चाहिये और आपने यह घोषणा की है कि विभिन्न दलोंके नेताओं की ओर से आगे की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो सुझाव आयेंगे, उन्हें आप स्वीकार करेंगे इससे सदन की गरिमा बढ़ती है और मैं समझता हूं कि आपकी इस घोषणा के बाद फिर सदन की गरिमा बढ़ी है और मैं समझता हूं आपकी इस घोषणा के बाद फिर किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती है। आगे की कार्यवाही ठीक से चल सकेगी, हर एक सदस्य को विश्वास होना चाहिये। अब इस पर चुप्पी साध कर आगे की कार्यवाही करनी चाहिये।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दुःखद घटना के समय संयोगवश मैं नहीं था परन्तु उसका पूरा विवरण प्राप्त हुआ। उस सम्बन्ध में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारे नेता विरोधी दल ने और माननीय जयराम वर्मा जी ने विचार व्यक्त किये, उनसे मैं सहमत हूं। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सोच कर बड़ी चिन्ता होती है कि आज कल प्रजातंत्र हर प्रकार से लड़खड़ाता ही दिखाई देता है। हमारा कार्य है कि हम उसकी रक्षा करें और उसकी रक्षा के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। इसका गौरव रखना हमारा गौरव है। सारे सदन का प्रतिनिधित्व करता है हमारा अध्यक्ष। इसलिए सारे सदन का गौरव लेकर अध्यक्ष रहता है लेकिन अध्यक्ष के गौरव में हमारा भी गौरव है। इसलिये हमारा गौरव है तो अध्यक्ष का भी गौरव है। इस नाते हमारे नियम बने हुए हैं कि परस्पर दोनों के सम्बन्ध वैसे ही रहेंगे जिनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। एक बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि नियमों का पालन करते समय मान्यवर, हमें कभी भी टैक्निकलिटी में न जायें। हमारा कार्य सदन का कार्य है। अगर कोई सदस्य कुछ ऐसी बात कह देता है जो टैकनीकल दृष्टि से अवमान की परिभाषा में आती है तो आपको इगनोर कर देना चाहिये और हम को सचेष्ट रहना चाहिये कि हम आप का गौरव रखें।

जहां तक उस दिन का सम्बन्ध है मुझे बड़ा दुःख हुआ कि यह बात बहुत आगे बढ़ गयी। आज जो निर्णय हुआ कि हम विचार करेंगे कि आगे क्या करना चाहिये हम लोगों को, कौन तरीके अपनाना चाहिये कि यह पारिवारिक सम्बन्ध हमारा और आपका आगे चलता है और सदन का कार्य भी ठीक से चलता रहे, इस पर हम विचार करें। कितने समय में सदन के सदस्य रिपोर्ट देंगे, हम शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट देंगे परन्तु यह तो उनको भी मानना पड़ेगा कि जो हम निर्णय लेंगे, वह निर्णय हमारे और उनके ऊपर दोनों पर लागू होगा। हो सकता है कि उससे कोई सहमत न हो लेकिन मान्य होगा। जो निर्णय होता है उसका आधार होता है। तो इसलिए मैं कर बद्ध प्रार्थना करूंगा अपने पक्ष के माननीय सदस्यों से कि वे कोई ऐसा कार्य न करें कि बाहर हम किसी एक हंसी का विषय बन जायें। अगर यहां पर कोई समस्या उत्पन्न हो जाय तो जो हमारे नियम हैं, उनके अनुसार उनको सुलझाया जाय। हम किसी नियम को अपने हाथ में न लें। जो नियम बनायेंगे या निर्णय करेंगे, उन्हीं का ध्यान में रख कर आप और हम चलेंगे। हमको दृष्टि में रखते हुये यह करबद्ध प्रार्थना है कि सदन इस पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार करे और माने इस बात को कि जो निर्णय होगा वह ऐसा न होगा जिससे किसी प्रकार की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचे या उसमें कमी आये, इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा। इस समय इस विषय को समाप्त किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, सदस्यों और नेताओं ने जो यहां पर भावना व्यक्त की है इस विशिष्ट प्रश्न को लेकर, मान्यवर, तो उसको अगर आप ध्यान से देखें तो किसी एक घटना विशेष का सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि यह काफी दिनों से जो मवाद जमा हुआ था वह एकाएक विस्फोट हो गया और माननीय मुख्य मंत्री एवं नेता सदन ने आपके कक्ष में कहा था और हमने भी निवेदन किया था कि आपके कमरे में या लाबी में, जिस तरह से सम्भव हो, एक बातचीत का कोई अवसर आप निकालेंगे ताकि उनको भी सान्त्वना हो जाय और आपकी प्रतिष्ठा, इस सदन की प्रतिष्ठा और माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा बनी रहे और सदन की कार्यवाही भी चले। किसी को किसी तरह का क्लेष न पहुंचे और इस मामले का निस्तारण भी हो जाय। मैं समझता हूं कि यह आपने जो बहुत अच्छा उपाय निकाला था, वह हो जायेगा और मैं समझता हूं कि हर माननीय सदस्य इस बात को दिल से मानेगा। कहीं ऐसा न होगा कि उपाध्य जी आयें तो कोई माननीय सदस्य जैसे श्री बांके लाल जी उठ कर बोलने लगें तो उनको मनाना ही मुश्किल हो जायेगा तो उसके लिये हमारा अनुरोध है कि आप इसको स्वीकार करें और लोगों से बात करें जिससे लोगों को सन्तोष हो जाय, सदन भी ठीक से चले और जब रिपोर्ट आयेगी तो लोगों से बात कहें वह काम हो जायेगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जिस दिन यह घटना हुई, दुर्भाग्य से मैं सदन में नहीं था, लेकिन जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, माननीय सदस्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी, जो भी हो, उनके प्रति अपना आदर रखें। मान्यवर, माननीय सदस्य भी यह अपेक्षा करते हैं कि वही आदर पीठासीन अधिकारी की तरफ से माननीय सदस्य के प्रति होना चाहिये। जहां तक व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह बहुत व्यवस्था होगी। यह तो बहुत छोटी घटना थी। हमने देखा कि माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था पर इस सदन में पुलिस भी आई और सदस्यों को बाहर भेजा गया लेकिन उसके बावजूद भी चीजें हटीं। मैं भी यह अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था को देखते हुये जब माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति इस सदन के माननीय सदस्यों पर छोड़ दी है, वह अध्याय को खत्म कर देना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री ने जो सुझाव प्रस्तुत किया है उसका मैं भी समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इंगित शब्द का सर्वमान्य अर्थ संसदीय नियमों एव परम्परायों में है। उसका आशय माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, पीठासीन अधिकारी और माननीय सदस्य यदि अलग-अलग अपना अर्थ करेंगे तो इस सदन में अव्यवस्था हो जायेगी। इस लिये 'इंगित' शब्द का अर्थ जो सर्व मान्य अर्थ है, जो उसकी महत्ता है हमारे संसदीय व्यवस्था में, उस पर ज्यादा लीपा पोती करने की कोशिश नहीं होनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष के खिलाफ बहुत असन्तोष है, लेकिन उस असन्तोष को व्यक्त करन का यह अवसर भी नहीं है। दो दिन तक उनका निष्कासन हुआ····

श्री अध्यक्ष—

यह शब्द न लें। यह अच्छा नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं इसको वापिस लेता हूं। उन्हें दो दिन बाहर रखा गया, यही काफी है। माननीय उपाध्यक्ष जी अध्यापक रहे हैं। तो वे यह न समझें कि उनके सामने स्कूल के बच्चे बैठे हुये हैं और उनको डाटकर ही बैठा सकते हैं। पीठासीन अधिकारी को कभी गुस्सा या रोष नहीं आना चाहिये। सदस्यों की अपनी समस्यायें हैं, क्षेत्र की समस्यायें हैं और कभी-कभी वे उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसा स्वाभाविक है। परन्तु पीठासीन अधिकारी भी इसी प्रकार से क्रोध करने लगे तो उचित नहीं हो गा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सुझाव का समर्थन करता हूं। जब समिति बैठे तो जो माननीय सदस्य उस समिति के सामने जाना चाहें जा सकें और उनकी बात सुन कर ही समिति अपना निर्णय करे।

श्री बांकेलाल—

माननीय अध्यक्ष जी जो आप या नेता सदन चाहेंगे वही निर्णय होगा। इसमें हम लोग क्या करें। आप लोग जो सुझाव देंगे उसको मानना ही पड़ेगा लेकिन खूब सोच समझ कर सलाह दीजियेगा। हम लोगों की बड़ी दुर्गति माननीय उपाध्यक्ष ने की है।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन और विभिन्न दलों के नेताओं की ओर से जो सुझाव आये हैं और उसमें जो संकेत किया गया है उसको हम लोगों ने सुना। जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह ने कहा कि "इंगित" शब्दा का क्या अर्थ है। यह एक टैक्नि नकल शब्द है और उसकी गरिमा बनी रहे तो अच्छा होगा। उस दिन अप्रिय घटना घटित हुई। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उस दिन की घटना की चरम सीमा थी और लोगों ने उठ कर इससे अपनी असहमति प्रकट की। आप स्वयं उस दिन की प्रोसीडिंग्स को देख लें। माननीय उपाध्यक्ष ने नियम ५१, ५२ या ५६ के प्रश्नों के सम्बन्ध में अपनी क्या व्यवस्था दी। इससे हम लोगों को दुख है। मैं क्या अन्य सदस्य भी यही समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को स्वीकार करने में निश्चित रूप से भेदभाव रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आप आक्षेप करते हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उस दिन की घटान एक संकेत मात्र थी और उसका एक विस्फोट उस दिन हुआ। नियम ५१, ५२ के कितने मामले उस दिन मंजूर हुये। हमारे सदन की एक परम्परा है और अध्यक्ष के ऊपर ज्यादा अधिक बोझ है। हम सभी को इस बात की चेष्टा करनी है कि सदन की गरिमा को सदा बनाये रखें और नियमों का पालन करें। अगर सदस्य जाना चाहते हैं तो उनको रोकने का क्या सवाल है। यह तो कन्वेन्शन है। सन १९६९ से मैं भी सदस्य हूं परन्तु इतनी ही बार तो सदन के विभिन्न दलों ने सदन का त्याग किया होगा।

श्री अध्यक्ष—

यह सब ठीक है लेकिन आप डिटेल्स में जा रहे हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह प्रश्न समिति के नेताओं के सुपुर्द है, वाक आउट करना उचित है या अवमान है या नहीं। दूसर भी प्रश्न हैं जिन पर विचार होना चाहिये। नेता सदन की ओर से उसके बाद कोई प्रस्ताव नहीं आया इसका क्या समझा जाय ? यह समिति जितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट दें, अच्छा है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन इस समय तक जो व्यवस्था चल रही है, वह चलती रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था इस वक्त चल रही है वही चले तो अच्छा होगा जब तक कि समिति का निर्णय न आ जाय।

श्री अध्यक्ष--

गुप्ताजी, आप कुछ कहना चाहते हैं कहिये।

श्री चन्द्र भानु गुप्त (जिला आल्मोड़ा)--

अध्यक्ष महोदय, कदाचित मेरे लिये यह धृष्टता की बात होगी कि जब नेता सदन, नेता विरोधी दल और विभिन्न दलों के नेता इस प्रश्न पर जो कि इस समय सदन में उपस्थित हैं, अपने विचार प्रकट कर चुके है, तो मैं अपने विचार आपके समक्ष रक्खूं। चूंकि मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और इस सदन गरिमा और उस कुर्सी की गरिमा जिस पर आप बैठे हुए है, उसका हिमायती हूं और चाहता हूं कि उसकी गरिमा में कोई कमी न आने पावे। मैं इस अवसर पर बोलने की धृष्टता कर रहा हूं। मैं तो उस दिन उपस्थित नहीं था जिस दिन की आज यहां सदन में चर्चा हो रही है, परन्तु जो कुछ मैंने अभी आपकी बातों से सुना उसका यह नतीजा निकाला कि उस दिन कोई व्यक्ति या पांडेजी बोल रहे थे और उन्हें उपाध्यक्ष की बात कुछ पसन्द नहीं आई और उसके विरोध में वह बाहर जाने लगेंगे। उपाध्यक्ष जी ने बाद में आवेश में आकर उन्हें इंगित करने का विचार सदन के सामने रक्खा। अभी जो कुछ आपने बतलाया है उससे यह विदित हुआ कि वास्तविकता यह है कि उनके इंगित करने के शब्द का प्रयोग कुछ गलत ढंग से हो गया और वह आवेश में हुआ। तो अब जो चीज आवेश में हुई है उसके लिये कमेटी बने और उस पर विचार करे। मैं समझता हूं कि उससे सदन की गरिमा कोई बढ़ेगी नहीं। हर व्यक्ति चाहे वह सामने की कुर्सी पर बैठता है या इधर बैठता है, भूल कर सकता है और आवेश में गल्ती कर सकता है। बड़प्पन इस बात में होता है कि आवेश में कोई बात कह दे यदि वह इस सदन के समक्ष कह दे कि मैंने आवेश में कह दिया और भूल की तो उसको माफ कर देना चाहिय। इससे इस सदन की गरिमा बढ़ती है बजाय चीजों को तूल तबील करने के। इससे न उस कुर्सी की प्रतिष्ठा बढ़ती है और न इन बातों का हल निकलता है। यह बात तो मैं उस दिन की घटना के विषय में कहता हूं परन्तु ऐसा लगता है कि यहां के बहुत साथी से उपाध्यक्ष जी से रोष रखते हैं, उनके विभिन्न कार्यों के विषय में। अब उसके विषय में साथीगण मुझे माफ करेंगे कि जब उपाध्यक्ष जी चुने गये थे तो वह ऐसे दल से लिये गये थे जिसकी ख्याति रही है बहुत सी बातों में, जिनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। और जिनकी भिन्न अदायें रही हैं।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

गुप्ता जी हमारे दल को अभी भूले नहीं हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि वह इन कमियों को नजरन्दाज कर दें। उपाध्यक्ष जी का ऐसा दल रहा है जिसकी शिक्षा दीक्षा भिन्न प्रकार की रही है। तो मैं इस कारण से आपके द्वारा इस सदन के साथियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह उस बात को भूल जायं यदि उपाध्यक्ष जी इस सदन में आकर कह दें कि उन्होंने रोष में आकर कह दिया था और ऐसा मतलब नहीं था। मैं अन्यथा इस मामले में नेता सदन की बातों का समर्थन करता हूं। यह मामला अब खतम किया जाय। कोई भी व्यक्ति अगर उस कुर्सी पर बैठकर अपनी गल्ती स्वीकार करता है तो हमें उसके कथन को स्वीकार करना चाहिये और वह सदन के समक्ष कहे कि मेरा यह करने का मन्शा नहीं है। इसी में सदन की गरिमा है और यही वह तरीका है जिससे उत्तर प्रदेश अपनी खोई ख्याति को फिर वापस ला सकता है जिसके अन्तर्गत ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति कभी कभी अपनी हठवादिता के कारण अपनी भूल स्वीकार नहीं करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना विचार प्रकट करता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने अभी गुप्ता जी की बातें सुनीं। मैं समझता हूं कि करीब-करीब वैसे ही बात माननीय उपाध्यक्ष जी ने स्वयं कह दी है। उन्होंने यह कह दिया कि उस रोज जो रूलिंग उन्होंने दी, उसका मैं स्वयं पुनरीक्षण करूंगा और पुनरीक्षण करने को तैयार ही हैं। हमारे नेताओं के समक्ष जो बातचीत हुई, उसमें उन्होंने यह भी कहा कि मैं स्वयं उसका पुनरीक्षण करने को तैयार हूं। तो उनको अवसर दिया जाय और वे पीठासीन हैं तो हमें यह विश्वास तो रखना ही चाहिये। तो उनको अवसर दिया जाय। जो पुनरीक्षण के बाद उचित बात होगी, वह यहां घोषित करें। यह एक संसदीय परम्परा है।

जहां तक समिति का प्रश्न है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो समिति बनी है, उसमें भ्रम न हो।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

समिति कोई जांच करने के लिये नहीं बनी है। ऐसे ही प्रश्नों के सम्बन्ध में सदन में क्या परिपाटी अपनायी जाय, क्या प्रक्रिया अपनायी जाय, यह परामर्श, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दे दें। इस माननीय सदन के जो प्रतिनिधि लोग हैं, नेता लोग हैं, वे इस बात को स्वीकार कर लें कि इस प्रकार से चला जाय कि हम उस प्रकार से चलने के लिये अपने को बाध्य समझें। अतः यह समस्या अब समाप्त की जाय और अब इस बिषय पर विवाद करना मुनासिब नहीं है ताकि यह सदन ठिकाने से चल सके।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, उपाध्यक्ष आ गये हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, वे अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष (श्री बासदेव)—

मान्यवर, मैं माननीय गुप्ता जी की एक-एक बात से सहमत हूं और अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाय तो उनकी बात इस सदन की गरिमा और गौरव के अनुरूप थी। वे बातें जो नेता सदन ने कृपा पूर्वक कहीं और आपने कहीं, उन बातों के प्रति मुझे कुछ कहना नहीं है, सिवाय इसके कि जो मर्यादित विचार गुप्ता जी ने यहां रखे, मैं उन विचारों का आदर करता हूं और समर्थन करता हूं। उस दिन की घटना के बारे में आपने स्वयं निर्णय ले लिया है। मैं पीठासीन अधिकारी था। मेरे अलावा किसी को अधिकार नहीं है कि व्यवस्था का पुनरीक्षण करे और मेरे बारे में जो बातें कहीं गयी उनके बारे में मैं यही कहूंगा—"कापर करूं सिंगार, पिया मोर बाऊर"। मैं अपने मन में यह बात सही समझता था कि जब कोई जाने लगता था और यह कहता था कि मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में जा रहा हूं तो मैं यह जोड़ देता था कि आपको निकाला दिन भर के लिये। पहले भी कई माननीय सदस्यों के लिये माननीय महीलाल माननीय सुखपाल पांडेय, माननीय शिवकुमार पांडेय तथा और भी माननीय सदस्यों ने जब वैसा किया तो मुझे यह करना पड़ा था। माननीय वंशीधर पांडेय से जितना प्रेम मैं समझता हूं मुझे है उतना और कम लोगों से है। लेकिन मैंने समझा कि अगर मैं उस दिन माननीय वंशीधर पांडेय जी के साथ ही उतनी कड़ाई न किये होता तो अपनी आत्मा के सामने मैं एक अभियुक्त हो जाता क्योंकि फिर कोई भी सदस्य यह यहां अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता था और यह कह सकता था आपने निष्पक्षता का परिचय नहीं दिया है। 'इंगित' शब्द का प्रयोग मैंने उस दिन भी किया था और मैं बार-बार करता हूं सदन के अवमान के लिये। अब अगर आप उसका पुनरीक्षण चाहते हैं तो मैं उस 'इंगित' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा अवमान के लिये, किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करूंगा। उस दिन जब मैं एक सूचना सदन को दे रहा था तो माननीय शिवकुमार पांडेय जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं खड़ा

था, मैंने कहा कि अभी नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि आप ज्यादती कर रहे हैं, फिर कहा कि आपकी ज्यादती के खिलाफ में जा रहा हूं। मैंने कहा कि आप जा नहीं सकते क्योंकि यह अवमान है सदन का। माननीय गुप्त जी उस दिन नहीं थे। जब श्री पांडेय लौट आये तो माननीय नारायण-दत्त दिवारी जी ने क्षमा याचना की। बाद में माननीय शिवकुमार पांडेय जी ने भी क्षमा मांगी। उस वक्त कुछ हंसी हुई विपक्ष की तरफ से मेजें भी थपथपायी गयीं, मैं उस वक्त पीठा-सीन अधिकारी था, मैंने समझा कि सम्पूर्ण सदन ने मेरे इंगित करने की व्यवस्था को स्वीकार किया है। यही लोकतंत्र का ढंग भी है।

श्री रामगोपाल संड—

आप अध्यापक रहे हैं आपने इसे अच्छी तरह से समझा दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह खेद का प्रकाशन कर रहे हैं या प्रसन्नता का प्रकाशन कर रहे हैं। (हंसी)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, कभी-कभी आदमी अपने मूड में किसी की बेवकूफी पर खूब हंसता है और कभी सजा दे देता है। (हंसी)

श्री बासुदेव—

मैं किसी माननीय सदस्य की बात का जवाब नहीं दे रहा हूं और न ही भाषण देने के लिये खड़ा हुआ हूं और यह मर्यादित भी नहीं होगा कि मैं एक सदस्य के धरातल पर उतर कर हर सवाल का जवाब दूं। माननीय रामविलास पांडेय जी ने मेरे बारे में कुछ कहा और माननीय बांकेलाल जी ने कहा कि मैं शेर हूं....

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैंने यह कहा कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने स्वयं यह कहा था एक दिन उनकी मां ने उनको शेर का मांस खिलाया था और वे उसके कारण कभी-कभी गुस्से में आ जाते हैं। उनके कहे हुए शब्दों को ही मैंने उनको याद दिलाया था।

श्री बासुदेव—

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने यहां अपना बयान दिया था कि मैंने जिन्दगी में खटमल सांप, बिच्छू तक नहीं मारा, कुत्ते का कान तक नहीं काटा और शेर की मिसाल देते हैं (व्यवधान) अगर आप सही समझते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इसी सदन में जब पुलिस के जूतों से सदन की गरिमा रौंदी जा रही थी तो मैंने ही वह तेजस्विता निश्चय ही दिखाई थी और म आज कहना चाहता हूं माननीय गुप्त जी से उस दिन समझता था गुप्त जी कहेंगे—इनको निकालो, अब बहुमत हमारा है, किन्तु वैसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जो आज बात गुप्त जी ने कही उस दिन भी आवेश और उत्तेजना के अलावा कुछ नहीं कहा। यह कहा कि सदस्यों को हलवाहा समझते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हलवाहा तो बहुत बड़ा आदमी होता है। वह इतना बड़ा आदमी है.....

एक सदस्य—

वह तो बात अब खतम हो गई।

श्री बासुदेव—

खैर, मैं उसमें नहीं जाता। मैं कुछ दिनों से यह जरूर चाहता था कि कुछ अध्ययन वगैरह हो रूलिंग आदि का। इसके और तरीके हैं। जिन तरीकों से हम इस सदन में बहस की परिधि को बढ़ा सकते हैं, तो उन सब तरीकों को मैं हमेशा ढूंढता रहा हूं। आपने आज जो कृपा करके समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। यह स्थान तो नहीं था मेरे लिये, लेकिन आपने कह दिया, इसलिये घोषणा कर दी—यह घोषणा है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो सदन के इस समय सेवक हैं ।

श्री वासुदेव—

अधिक नहीं कहना चाहता । आपने हुक्म दिया, इसलिये सदन के सामने यह शब्द प्रस्तुत कर दिये ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, १९७२†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग–२ की विज्ञप्ति संख्या २२(४)–२ १४–ख–६७, दिनांक १७ मार्च, १९७२ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, १९७२ को, उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, १९७२ की धारा १८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) नियमावली, १९७१†

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३१, २–६९–१ (ङ) दिनांक ३० अप्रैल, १९७१ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) नियमावली, १९७१ को, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम १९५३ की ५४ की धारा उप धारा (५) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) नियमावली १९७१†

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अभिसूचना संख्या ३१/१–७०/१–ङ, दिनांक १५/१७ नवम्बर, १९७१ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) नियमावली, १९७१ को, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

✓ धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन सम्बन्धी पत्र

श्री अध्यक्ष—

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद का जो प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया था, उसके सन्दर्भ में राज्यपाल महोदय का उत्तर आया है, जिसे मैं सदन के सम्मुख पढ़कर सुनाए देता हूं ।

"प्रिय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पत्र दिनांक १३ अप्रैल, १९७२ के लिये जिसे आपने, श्री उपाध्यक्ष ने, तथा सदन के सचिवों ने स्वयं आकर मुझे भेंट किया, अनुग्रहीत हूं । मैंने विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण २० मार्च, १९७२, को दिया, उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की ३१ मार्च, १९७२ की बैठक में तद विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यवाद की जो अभिव्यक्ति की है, उसे मैंने परम संतोषपूर्वक प्राप्त किया । उसमें निहित भावना के लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं ।"

---

†छापी नहीं गई ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री ऋषिपाल सिंह जी का प्राप्त हुआ है और वह अखबार में छपा है कि 'विधायक चोरी में जेल भेजा गया' इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसको मने अस्वीकार किया है, क्योंकि यह शीर्षक भ्रमात्मक है---इसमें किसी का नाम नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

इसमें विजयपाल सिंह का नीचे नाम है। इस शीर्षक को मैंने पढ़ा है। विजयपाल सिंह ने मुझे दिखाया था और शीर्षक से ऐसा लगता है कि वह विधायक के लिये लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष---

दूसरा यह है, मन्त्रियों द्वारा विविध वक्तव्य।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

अध्यक्ष जी, मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था।

श्री अध्यक्ष---

वह तो अभी देखा नहीं है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम 56 में जो कामरोको प्रस्ताव है उसमें से किसी को स्वीकार नहीं किया। यह प्रश्न बजट के वक्त उठाया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है, शाहजहांपुर पुवायां रेंज में, वन विभाग में बिना परमिट के काट दिया गया। अगर आप नहीं दिलायेंगे तो लाखों रुपये का नुक्सान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय वन मन्त्री। यह मूव नहीं करेंगे वन मन्त्री शायद ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

जी हां, पेश नहीं कर रहे हैं।

१९७२-७३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १८-शिक्षा

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)---

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18-शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 97,91,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं चाहूंगा अधिक से अधिक समय शिक्षा के ऊपर माननीय सदस्यों को मुझे सुझाव देने में मिले। फिर भी कुछ बातों की चर्चा करना आवश्यक चाहूंगा।

[डाक्टर राम जी लाल सहायक]

स्वतंत्रता के पूर्व १९४५–४६ में शिक्षा का बजट २.५७ करोड़ रुपये था, जो उस समय के पूरे बजट का लगभग दस प्रतिशत था। १९५०–५१ में जब से हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ उस समय पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में शिक्षा का बजट ७.३७ करोड़ रुपये थे जो पूरे बजट का १४.१ प्रतिशत था। आज जो शिक्षा का बजट है वह सम्पूर्ण बजट का २१.१ प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार १९७२–७३ में, स्वतंत्रता के पूर्व जो शिक्षा

(इस समय १ बजकर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

पर व्यय हो रहा था, उसमें लगभग ४४ गुनी की वृद्धि हुई है जबकि पूरे प्रदेश के संपूर्ण बजट में १९ गुनी वृद्धि हुई है।

इस समय शिक्षा के बजट में जो प्राविधान है उसमें प्रारम्भिक शिक्षा पर ४१ प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा पर २२ प्रतिशत, उच्च शिक्षा पर ६ प्रतिशत, प्राविधिक शिक्षा पर ३ प्रतिशत, अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर १२ प्रतिशत, तथा विभिन्न स्तरों पर अन्तरिम सहायता एवं वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु १६ प्रतिशत देने का प्राविधान है।

मान्यवर, शिक्षा की बुनियाद, हमारी प्राइमरी शिक्षा है। प्रदेश में, देश में भी प्राइमरी स्तर की शिक्षा का प्रबन्ध हो रहा है और बहुत सी संस्थायें व्यक्तिगत रूप में ऐसे विद्यालय चला रही ह जिनमें नरसरी और किंडरगार्टेन तरीके की शिक्षा दी जा रही है। सरकार या शासन की ओर से, इस ओर भी जागरूकता है। विभाग ने आगरा और इलाहाबाद में २ राजकीय नर्सरी ट्रेनिंग कालेज खोले हैं जो इन विद्यालयों की अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण करते ह। शासन स्वतः भी कुछ पूर्व प्राथमिक संस्थाओं को प्रयोगात्मक रूप से चला रहा है। तथा लगभग ५० संस्थाओं को सहायता देता है। लाखों की धनराशि व्यय की जा रही है।

१९५०-५१ में प्राइमरी स्कूलों की संख्या ३२ हजार थी। ७०-७१ में यह संख्या बढ़ कर ६२,३०० हो गयी। ७२-७३ में प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों में ११० स्कूल खोलने का प्राविधान है और इस प्रकार प्राइमरी स्कूलों की संख्या ६२,४१० हो जायगी। कक्षा एक से पांच के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ५०-५१ में २८ लाख थी और अब वह १ करोड़ १३ लाख हो गयी है। पिछले २० वर्षों में स्कूलों की संख्या दुगुनी हो गई लेकिन छात्रों की संख्या में चार गुनी वृद्धि हुई है। १९५०-५१ में प्राइमरी कक्षाओं में बालकों की संख्या २४ लाख थी और बालिकाओं की संख्या ४ लाख थी। १९७१-७२ में यह बढ़ कर ७० लाख और ४३ लाख हो गयी और इस प्रकार बालकों की संख्या में केवल तीन गुनी वृद्धि हुई और बालिकाओं की संख्या में ११ गुनी वृद्धि हुई। स्कूलों में बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुये उनको सम्भालने के लिये अध्यापकों की संख्या में भी काफी वृद्धि करनी पड़ी। १९५०-५१ में प्राइमरी अध्यापकों की संख्या ७० हजार थी और अब वह बढ़कर २ लाख २८ हजार हो गई है।

प्राइमरी स्कूलों के भवनों की दशा बहुत खराब है अतएव इस क्षेत्र में केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की के सहयोग से एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया है जिसके द्वारा कम कीमत में एक प्राइमरी स्कूल की इमारत खड़ी हो सकती है। इस आधार पर फिलहाल हमने रायबरेली, लखनऊ तथा उन्नाव के जिलों में कुल १२ नमूने के भवनों को बनाने का निर्णय किया है। विशेषज्ञों की सम्मति पर प्राइमरी स्कूलों के भवनों के लिये पहले स्तर में ५ हजार रुपये के स्थान पर साढ़े ८ हजार रुपये कर दिया गया है जिससे कि इसमें एक अच्छी इमारत प्राइमरी स्कूल के लिये बन सके। वर्ष १९७१-७२ में भवन रहित स्कूलों में भवन निर्माण के लिये ५ करोड़ रुपये का एक विशेष प्राविधान किया गया था।, १९७२-७३ में ५१ भवनों की दशा सुधारने तथा ६३ नये भवन बनाने का प्राविधान है।

हमारी यह चेष्टा है कि प्रदेश में अवसर की कमी के कारण कोई भी बच्चा बिना पढ़ा न रह जाय विशेषकर गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की समान सुविधायें प्राप्त हों। इस हेतु हम काफी संख्या में पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं। उनको स्कूली ड्रेस भी दे रहे हैं तथा ३० जिलों में बच्चों के लिये पुष्टिकर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी की गई है। मेधावी छात्रों के लिये शिक्षा की अच्छी से अच्छी सुविधायें उपलब्ध हों इसके लिये प्रत्येक जिले में केन्द्र की मदद से एक आदर्श विद्यालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। इसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिये मेधावी छात्रों के लिये शिक्षा की अच्छी से अच्छी सुविधायें उपलब्ध हो सकें इसके लिये प्रत्येक जिले में केन्द्र की मदद से एक एक आदर्श विद्यालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। इसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिये विशेष व्यवस्था होगी। प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन व विकास के लिये इस स्तर के स्कूलों के अधिग्रहण करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है और इस दिशा में अन्य आवश्यक कदम शीघ्र उठाये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर सम्भालने के लिये अध्यापकों की संख्या निरन्तर बढ़ाई जा रही है। १९७१-७२ में हमने १५,२२० अध्यापक और रखे हैं। इसके अतिरिक्त जहां पहले अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता मिडिल स्तर तक की रहती थी उसे बढ़ा कर हाई स्कूल तथा इण्टर तक की गई है। अब अगले वर्ष ऐसे ग्रेजुएट लोगों को, जो बेकार हैं, प्राइमरी स्कूलों में रखने का विचार हो रहा है।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण में भी सुधार किया जा रहा है। इसके लिए अधिक योग्यता प्राप्त एवं उच्च वेतन-क्रम के अध्यापक दीक्षा विद्यालयों में रखे गये हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है।

प्राइमरी स्कूलों में अब काफी मात्रा में बाल साहित्य दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में जहां एक ओर अच्छे बाल साहित्य की रचना होने लगी है वहां स्कूलों में भी बच्चों के लिए सरल बाल साहित्य अच्छे पैमाने पर उपलब्ध हो रहा है।

प्राथमिक शिक्षा में नये अनुसन्धान कार्य हमारे शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रारम्भ किये जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति १०० बालक जो कक्षा १ में भरती होते हैं उनमें कुल ४० छात्र ही कक्षा ५ तक पहुंच पाते हैं और ६० बच्चे बैठ जाते हैं। इस बात की कोशिश की जा रही है और इस सम्बन्ध में अनुसन्धान किये जा रहे हैं कि जहां इतने बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं वहां कक्षा ५ तक जाते-जाते क्यों इतने बच्चे छोड़ देते हैं। इस पर विशेष अनुसन्धान किये जा रहे हैं जिससे इस भारी क्षति को रोका जा सके।

विज्ञान की शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में कृषि तथा सरल विज्ञान के रूप में पढ़ाई जाती रही है। अब हम अगले सत्र से यूनीसेफ तथा एन० सी० ई० आर० टी० की सहायता से कक्षा ३ से विज्ञान की शिक्षा नवीनतम पद्धति से प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इस हेतु कक्षा ३ व ६ के लिये विज्ञान के नये पाठ्यक्रम का प्राविधान किया जा रहा है। इससे हमारे बच्चों को विज्ञान का अच्छा ज्ञान हासिल हो सकेगा। विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने हेतु इस वर्ष २४०० अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण देने का प्राविधान किया गया है जिससे वे अन्य अध्यापकों को विज्ञान की ट्रेनिंग दे सकेंगे। इस वर्ष हमें यूनिसेफ ने लगभग साढ़े सात लाख रुपये के मूल्य का कागज छपी हुई विज्ञान की पुस्तकों एवं गरीब व पिछड़े वर्ग के छात्रों को वितरण हेतु दिया है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा अपने दायित्व को निर्वाह करने में क्रियाशील हो रहा है और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारे प्रदेश में इस क्षेत्र में अच्छी स्थिति है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी स्तर पर छात्र संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस प्रकार ४१ लाख से ९० हजार तक विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा के स्तर से जूनियर हाईस्कूलों में जाते हैं। सन् १९५०-५१ में प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों की संख्या २,९०० थी जो

[डाक्टर रामजी लाल सहायक]

अब बढ़कर ९,००० हजार हो गई है। इसमें लगभग २,४०० बालकों व ५०० बालिकाओं के विद्यालय थे। उनकी संख्या क्रमशः अब ७,००० और २,००० हो गई है। इस प्रकार बालकों के जूनियर हाई स्कूलों की संख्या तिगुनी और बालिकाओं की संख्या १० गुनी वृद्धि हुई है। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर सन् १९५०-५१ में २३,८०० थी, अब यह बढ़कर १९७१-७२ में ६३,००० हो गई है। इस स्तर पर अगले वर्ष १,००० और अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है जिससे कि बढ़ती हुई छात्र संख्या को सम्भाला जा सके।

प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल सरकारी, स्थानीय संस्थाओं द्वारा और प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित हो रहे हैं। १९७२-७३ में शासन जिला परिषदों को १९० जूनियर हाई स्कूल और खोलने हेतु अनुदान देगी। इसके अतिरिक्त प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित ८५ स्कूलों को प्रारम्भिक अनुदान देने का भी प्राविधान है।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर १९७१-७२ में २९१ प्राइवेट स्कूलों को प्रारम्भिक अनुदान दिये गये तथा २७७ नये स्कूल खुले। सामान्य विज्ञान की शिक्षा के उन्नयन हेतु ३८१ विद्यालयों को अनुदान दिया गया। कृषि शिक्षा के सुधार तथा विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के पुस्तकालय की स्थापना हेतु भी अनुदान दिये गये। सन् १९७२-७३ में १०० बालक तथा ९० बालिकाओं के स्कूल खोले गये।

बालिकाओं की शिक्षा की प्रोन्नति हेतु अनुवर्ती कक्षाओं की योजना चालू की गई है। अब तक प्रदेश में १३५० अनुवर्ती कक्षायें खोली गई हैं जो बालिकाओं के लिये जूनियर हाई स्कूल का स्वरूप धारण कर लेगी। १९७२-७३ में ४० और अनुवर्ती कक्षाओं के खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने निश्चय किया है कि जूनियर हाई स्कूल स्तर तक की सभी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। अब तक कुछ विषयों की पुस्तकों का ही राष्ट्रीयकरण था लेकिन आठवीं तक जितने विषय पढ़ायें जाते हैं उन सब की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय इस हेतु एक कमेटी बना दी गई है जो अब हमारी इन नयी मान्यताओं के सिद्धान्तों के अनुरूप और देश की राष्ट्रीय एकात्मिकता और भावात्मक विचारों के अनुकूल पुस्तकों को लिखेगी और शासन ऐसी पुस्तकों को छपायेगा और उनके वितरण की व्यवस्था करेगा।

माध्यमिक स्कूलों के २५ स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिये जाने की योजना है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थाओं ने विशेष योगदान दिया है। १९५०-५१ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ९८७ थी जिसमें ८३३ बालकों के और १५४ बालिकाओं के विद्यालय थे। यह संख्या बढ़कर अब ३,३६२ हो गई है। इसमें २,७८३ बालकों और ५७९ बालिकाओं के विद्यालय हैं। इस प्रकार बालकों की संस्थाओं में ३ गुनी वृद्धि हुई और बालिकाओं की संस्थाओं में ४ गुनी वृद्धि हुई।

इस स्तर पर १९५०-५१ में कुल छात्रों की संख्या १,८५,००० थी जिसमें १,७२,००० बालक और १३,००० बालिकायें थीं। अब यह संख्या ११,३३,००० पहुंच गयी है। इसमें ९,१३,००० बालक और २,२०,००० बालिकायें हैं। जहां बालकों की संख्या में लगभग ५ गुनी वृद्धि हुई वहां बालिकाओं की संख्या में १७ गुनी वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट है कि बालिकाओं की शिक्षा में विशेष प्रगति हो रही है।

अध्यापकों की संख्या में भी इसी प्रकार की वृद्धि हुई है। १९५०-५१ में इस स्तर पर अध्यापकों की संख्या ९,००० थी जिसमें केवल ७७ प्रतिशत प्रशिक्षित थे। यह संख्या बढ़कर अब ४८,७३० हो गई है और इसमें प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत ९२ हो गया है।

माध्यमिक शिक्षा में द्रुतगति से प्रसार होने के फलस्वरूप यह सम्भव नहीं हो पा रहा है कि सभी नवीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान की सूची पर लाया जा सके फिर भी १९७१-७२ में १४७ को प्रारम्भिक अनुदान दिया गया तथा इस वर्ष २५० विद्यालयों को और अनुदान देने का प्रस्ताव है ।

गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा अनावर्तक अनुदान दिये जाते हैं। इनमें विशेष कर भवन एवं सज्जा अनुदान, क्रीड़ा स्थल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान तथा विज्ञान प्रयोगशाला एवं विज्ञान उपकरण हेतु अनुदान मुख्य है। वर्ष १९७२-७३ में ९६ विद्यालयों को अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु ११९ विद्यालयों को पुस्तकालय हेतु, १३ विद्यालयों को क्रीड़ा स्थल हेतु तथा ६४ विद्यालयों को विज्ञान उपकरण एवं विज्ञान प्रयोगशाला हेतु अनुदान देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय की स्थापना हेतु ७७ विद्यालयों को अनुदान दिया जायगा। ६० विद्यालयों को दक्षता अनुदान भी देने का प्राविधान है।

इस वर्ष हमारे प्रदेश में बाढ़ का बड़ा भारी प्रकोप हुआ। तो नये रूप में हमने ऐसे विद्यालयों को जो बाढ़ क्षेत्र में थे, बाढ़ ग्रस्त हुये थे उनको २,५०,००० रुपये के विशेष प्राविधान की व्यवस्था की है। वर्ष १९७१-७२ में १०० ऐसे विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान दिया गया है।

गत वर्ष बालिका विद्यालयों को बस खरीदने हेतु १८ विद्यालयों को अनुदान दिया गया। इस वर्ष ११ विद्यालयों में बसों की व्यवस्था करने हेतु अनुदान दिया जायगा।

मान्यवर, जहां हमारे इन तीनों स्तरों के स्कूलों में छात्र, छात्राओं और शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है वहां हमारा ध्यान इस ओर भी है कि हमारे जो अध्यापकगण हैं उनकी सुख-सुविधा का भी प्रबन्ध किया जाय। १९७१-७२ का वर्ष इस दृष्टि से अभूतपूर्व था कि इसमें अध्यापकों के कल्याणार्थ कई विशिष्ट कार्य किये गये। सरकार द्वारा गैर सरकारी स्कूलों को अध्यापकों के सीधे वेतन वितरण की व्यवस्था की गयी और इसके लिये एक अधिनियम पास किया जा चुका है अध्यापकों के लिए अन्य सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष महंगाई भत्ता स्वीकार किया गया है। समस्त अध्यापकों को दो बार अन्तरिम सहायता दूसरे सरकारी कर्मचारियों की भांति ही दी गई है। बोर्ड के उत्तर पुस्तिकालयों के जांचने हेतु पारिश्रमिक तथा परीक्षा के समय कक्ष निरीक्षण की दरें बढ़ा दी गई हैं। शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी राजकीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था की जा चुकी है। शासन द्वारा गठित वेतन आयोग गैर सरकारी विद्यालयों के वेतनमानों के बारे में भी विचार कर अपनी संस्तुति देगा।

हमारे इन तीन स्तरों के अध्यापकों में जो कोई असमानता रह गई है ऐसे मसले भी हमने वेतन आयोग के सामने प्रस्तुत कर दिये हैं। जब वह अपनी संस्तुति देगा तो शासन उस पर विचार कर के प्रबन्ध करेगा। हमको बराबर ध्यान रखना होता है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार किस पैमाने पर हो रहा है। इस सम्बन्ध में हमने कुछ कदम उठाये हैं, जैसे पाठ्यक्रम का संशोधन किया, २४ सौ विज्ञान के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, विज्ञान पुस्तकों की बड़े पैमाने पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, विज्ञान का नवीन प्रशिक्षण तैयार किया गया है, यूनिसेफ के जरिये अध्यापकों की सहायता की जा रही है, विज्ञान के अध्यापकों के लिये एक विज्ञान निदेशिका पुस्तक भी तैयार हुई है जो छप गई है और अध्यापकों को दी जा रही है।

बोर्ड आफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडियट के विकेन्द्रीकरण के लिये काफी दिनों से विचार चल रहा था। उसका हमने विकेन्द्रीकरण शुरू कर दिया है। मेरठ में उसका एक कार्यालय खुल चुका है और उसमें कुछ लोग पहुंच भी गये हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

माननीय मंत्री जी यह भी स्पष्ट कर दें कि वहां जो विकेन्द्रीकरण किया गया है उसको आपने किस आधार पर किया है, उनके वेतन क्या होंगे, उनकी मंहगाई क्या होगी।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

पहले भाषण होने दें उसके बाद स्पष्टीकरण मांगे।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया वह कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यह निर्णय ले लिया गया है और जो विस्तार की चीजें हैं वह निश्चित की जा रही हैं। मैं जानता हूं कि उन्हें जानकारी है कि पुराने बोर्ड के और अब जो नया है उसके वेतन में कुछ फर्क है लेकिन हमारी चेष्टा है कि वह अन्तर रहने नहीं देंगे। हम बराबर इस चेष्टा में हैं कि सब का वेतन एक सा रहे। उसकी रूप रेखा बन रही है।

हाई स्कूल और इण्टरमीडियट की परीक्षा अब समाप्त हो गयी है लेकिन हर वर्ष कई प्रकार की शिकायतें मिलती हैं नकल करने की भी और कुछ वारदातों की भी। हमारा ध्यान इस ओर बराबर रहा है कि परीक्षा पद्धति का स्वरूप बदला जाय, उसमें सुधार किया जाय। इसी बात को विचार में रखकर इस बार इलाहाबाद में एक गोष्ठी हुई। काफी विद्वानों ने उसमें भाग लिया और यह विचार किया कि परीक्षा पद्धति को किस रूप में बदलें। नये प्रकार के प्रश्न पत्रों पर भी विचार हुआ। अभी और गोष्ठी इस विषय पर होने जा रही है। जब उनके द्वारा कुछ निर्णय लिये जायेंगे तब शासन अपनी बात बता सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कक्षा ९, १०, ११ १२ की हिन्दी पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण हेतु बोर्ड ने निश्चय किया है और अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है। उस पर निर्णय लिया जा रहा है।

भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय की तरफ से एन० सी० ई० आर० टी० के तत्वावधान में भावात्मक एकता के दृष्टिकोण से विभिन्न पुस्तकों की समीक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है। हमने भी अपने यहां एक कार्यालय, एक अधिकारी और उसके सहयोगी नियुक्त कर दिये हैं जो यह कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा यह निश्चय लिया गया है कि एक विषय में असफल होने वाले विद्यार्थी भी बोर्ड की पूरक परीक्षा में बैठ सकने के अधिकारी होंगे।

पिछड़े व पर्वतीय क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु मान्यता व अनुदान देने के नियमों में शिथिलता देने की नीति अपनाई गई है। यह चेष्टा है कि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक शिक्षा बढ़े। राजकीय स्कूल भी अधिकतर ऐसे ही क्षेत्रों में खोले जाने का प्राविधान है।

५०–५१ में प्रदेश में ६ विश्वविद्यालय थे जबकि इस समय ११ विश्वविद्यालय हैं तथा अगले वर्ष उत्तराखंड में एक और विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय है। उसका विधेयक प्रवर समिति के सामने है जहां उस पर विचार हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि इसी सत्र में हम उसे माननीय सदस्यों के सामने ले आयेंगे।

इसी प्रकार ५०–५१ में प्रदेश में बालकों के ३४ और बालिकाओं के ६ डिग्री कालेज थे जबकि अब इनकी संख्या क्रमशः १९६ और ५५ है। इस प्रकार बालकों के डिग्री कालेजों में लगभग ६ गुनी और बालिकाओं के डिग्री कालेजों में लगभग ९ गुनी वृद्धि हुई है।

उच्च शिक्षा के स्तर पर भी बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति हो रही है १९५०-५१ में विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में क्रमशः १३ हजार व १६ हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे जबकि अब इनकी संख्या ३७ हजार व एक लाख १२ हजार हो गई है। उच्च शिक्षा के विकास तथा उन्नति के लिये निदेशालय का सुदृढ़ीकरण करने के लिये शासन ने निश्चय किया है और डिग्री कालेजों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने हेतु भी विचार किया जा रहा है और उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। इसके अलावा सरकार पिछड़े क्षेत्रों में कुछ नये डिग्री कालेजों के खोलने के लिये भी विचार कर रही है। डिग्री कालेजों को सुदृढ़ करने के लिये सरकार द्वारा विकास अनुदान देने की भी व्यवस्था है। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में २८ डिग्री कालेज अनुदान की सूची पर लाये गये तथा ३० योग्यता और ३०५ विकास अनुदान दिये गये। ३५ कालेजों में शारीरिक शिक्षा अधीक्षक की नियुक्ति का निश्चय किया गया है और अल्मोड़ा डिग्री कालेज का प्रान्तीयकरण किया गया।

इसके अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा तथा प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिये अतिरिक्त शिक्षा निदेशकों के पदों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया जा चुका है। गढ़वाल में बालकों के एक नये मंडल की स्थापना का भी प्रस्ताव है। निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक रखे जायेंगे तथा उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) का पद बनाया जा रहा है जिससे संस्कृत विद्यालयों की देख-रेख हो सके। विज्ञान की शिक्षा के देखभाल के लिये निदेशालय में तथा मंडलीय स्तर पर विज्ञान प्रोन्नत अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर १६ सह विद्यालय निरीक्षक, २२ अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक तथा समुचित मात्रा में अन्य निरीक्षक वर्ग की नियुक्ति की जायेगी। अब तक यह बात नहीं थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर जिले में विज्ञान अधिकारियों को भी रखें।

इस बात की बराबर कोशिश की जा रही है कि विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा में प्रश्न-पत्र आयें और उनकी शिकायत थी कि पुस्तकें हिन्दी में नहीं मिल रही हैं जिससे पूरी शिक्षा नहीं दे पाते हैं और विद्यार्थियों को कठिनाई होती थी इसलिये हमने पिछले वर्ष हिन्दी ग्रंथ एकेडेमी की स्थापना केन्द्रीय सरकार की सहायता से की है। अभी तक इस एकेडेमी के द्वारा १० विषयों की पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। जिनमें कुछ पशु पालन पर हैं, कुछ कृषि पर हैं और कुछ विज्ञान के ऊपर हैं। हमारी चेष्टा है कि हिन्दी ग्रंथ एकेडेमी ऐसे विषय पर पुस्तकें प्रकाशित करें जिन पर पुस्तकें मिलती नहीं हैं।

वाराणसी में एक हिन्दी संस्थान की स्थापना की जा रही है जो हिन्दी भाषा के अध्यापकों को एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगा और पाठ्यक्रम संबंधी अनुसंधान करेगा इससे हिन्दी अध्यापक अच्छी हिन्दी पढ़ा सकेंगे।

उर्दू भाषा की उन्नति के लिये एक उर्दू एकेडेमी की स्थापना की गई है जो उर्दू पुस्तकों के प्रकाशन की भी व्यवस्था करेगी। शासन द्वारा हिन्दी की भांति उर्दू पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कृत किये जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। शिक्षा निदेशालय में एक उप निदेशक (उर्दू) की नियुक्ति की गई है जो बड़े नगरों तथा उर्दू भाषा भाषी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार उर्दू के पढ़ाने की व्यवस्था करेगा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। अभी तक योजना के प्रथम तीन वर्षों में १०७७ उर्दू अध्यापक नियुक्त किये जा चुके हैं। इसके अलावा उर्दू की तरक्की और विकास के लिये एक सलाहकार उर्दू समिति की स्थापना की जा रही है जो समय-समय पर शासन को सलाह देगी।

[डाक्टर रामजीलाल सहायक]

सरकार प्रदेशीय शिक्षा दल के पुनर्गठन पर विचार कर रही है ताकि शारीरिक शिक्षा तथा युवक कार्यक्रम अधिक प्रभावी रूप से संचालित हो सकें। प्रदेशीय शिक्षा दल को सुदृढ़ करने के लिये एक योजना बनाई गई है जिस पर विचार किया जा रहा है।

सरकार द्वारा माउंटेनियरिंग शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये अनुदान भी दिये जाते हैं। नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, उत्तरकाशी के अतिक्ति नैनीताल स्थित इस प्रकार की एक प्राइवेट संस्था को भी साज-सज्जा हेतु अनुदान दिया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा

श्रीमन्, प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत १९६१ में १७.६ था जो १९७१ में २१.६ हो गया है और अखिल भारतीय स्तर पर वह २९.४ हो गया है।

प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के निम्न चार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं—

१—किसान साक्षरता योजना—यह योजना इस समय १७ जिलों में चल रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में १,८०० प्रौढ़ शिक्षित करने का लक्ष्य होता है। वर्ष १९७२–७३ में तीन और जिलों—झांसी, नैनीताल तथा सहारनपुर में इस योजना को चलाने की प्रस्तावना है।

२—ग्राम शिक्षण आन्दोलन—इलाहाबाद के फूलपुर ब्लाक में ग्राम शिक्षण आन्दोलन प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत ब्लाक के प्रत्येक गांव में शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

३—नगरपालिकाओं की प्रौढ़ शिक्षा योजना—नगरपालिका मेरठ, इलाहाबाद, आगरा तथा कानपुर द्वारा प्रौढ़ों की रात्रि पाठशालायें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की सहायता से चलाई जाती हैं।

४—शिक्षा प्रसार विभाग का प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम—शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा भी प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के दो केन्द्रों पर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें लगभग १०० प्रौढ़ों को शिक्षित किया जाता है।

सरकार ने निरक्षरता उन्मूलन हेतु और इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु एक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद् का गठन किया है। जो प्रौढ़ शिक्षा के विषय में उसको प्रभावी बनाने हेतु सरकार को सलाह देगी।

पिछले वर्ष हुए पाकिस्तानी आक्रमण में घायल हुए सैनिकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां, निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता देने के आदेश दिये गये हैं। इनको बोर्ड की परीक्षाओं में भी कतिपय सुविधायें प्रदान की गयी हैं। श्रीमन्, अब तक यह प्राविधान था कि आठवीं कक्षा के पास करने के दो वर्ष बाद ही कोई महिला हाई स्कूल की परीक्षा में बैठ सकती थी लेकिन सैनिकों की विधवाओं के लिये यह कर दिया गया है कि बिना ८वीं कक्षा पास किये हुए भी वे हाई स्कूल की परीक्षा में बैठ सकती हैं।

शैक्षिक बेरोजगारी

आज प्रदेश में शैक्षिक बरोजगारी एक बहुत भारी भयावह शक्ल में हमारे सामने है। यह समस्या भयानक रूप में हमारे सामने है। इसके लिये प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगार अध्यापकों को छोड़ कर शिक्षित बेरोजगारों को कार्य देने में शिक्षा विभाग का सहयोग विशेष उल्लेखनीय है। लगभग १५ प्रतिशत शिक्षित बेकारों को कार्य देने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है। चौथी योजना के प्रथम ३ वर्षों में प्राइमरी स्कूलों में ही ३२ हजार से अधिक अध्यापक नियुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त अन्य स्तरों पर भी अध्यापक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी रखे जाते हैं। ७२–७३ में ७,१३२ अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है।

इस प्रकार की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किया गया था उसकी संस्तुति है कि हर स्तर यानी प्राइमरी, हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट तथा उच्चस्तरीय शिक्षा के स्तर पर पुस्तकीय ज्ञान के साथ किसी शिल्प, उद्योग या कला की शिक्षा भी दी जाय तथा शारीरिक श्रम भी करवाया जाय। कार्यक्रम पहले प्रशिक्षण विद्यालयों के छात्राध्यापकों के माध्यम से हो जिससे वह प्रत्येक ग्राम में कार्यक्रमों का संचालन कर सकें।

इस प्रकार से शिक्षा के सभी स्तरों पर सर्वतोमुखी विकास एवं उन्नयन के कार्यक्रम बनाये गये हैं।

प्राविधिक शिक्षा

मान्यवर, पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी दूर करने के लिये काफी पहले ही सरकार की ओर से प्राविधिक शिक्षा का प्राविधान किया गया था। इसके लिये एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, रुड़की है, ६ इंजीनियरिंग डिग्री कालेज हैं, १५ राजकीय पालीटेक्निक, १५ सहायता प्राप्त पालीटैकनिक और ६ विशिष्ट संस्थान। पिछले वर्ष प्रवेश संख्या बहुत कम हो गयी थी लेकिन इस बार ३५ नये पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं जिनके कारण प्रवेश अधिक हुआ है। जो छात्र इन संस्थाओं से सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा लेकर आते हैं उनको सरकार की ओर से ऋण देने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा जो छात्र दूसरे प्रदेशों और विदेशों से भी प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करके आते हैं उनको भी ऋण दिये जाने का प्राविधान है।

औद्योगिक सम्पर्क परिषद् का भी गठन किया जा रहा है। यह प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और उद्योगों के मध्य सम्पर्क स्थापित करेगा। जब विद्यार्थी इन संस्थाओं से निकलें तो उन्हें उद्योग धन्धों में लगाया जा सके। इस बात का सुझाव है कि यह समिति इन कोर्सेज में उत्तीर्ण व्यक्तियों को रोजगार दिलायेगी। यह भी हमारी कोशिश है कि ट्रेनिंग के साथ ही विद्यार्थियों में व्यावहारिक और उत्पादन करने की शक्ति भी बढ़े और उनका रुझान टेक्निकल क्षेत्र में बढ़े। यह ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर चमोली और नैनीताल में चलाये जायंगे और इलाहाबाद में एक पहले ही चल रहा है। यह संक्षेप में मैंने विभाग के कार्यों की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि चाहे वह एक ओर विभाग के कार्यकलापों की आलोचना करें वह कृपया ऐसे सुझाव भी हमें दें जिन से सब प्रकार की शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में हम सक्षम हो सकें।

श्री मोहन लाल कपूर––

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता था। अभी बजट सेशन में सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि वह प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस समय इस पर अपने विचार प्रकट नहीं किये कि वह कौन सी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेंगे, जो निजी क्षेत्र वाले स्कूल हैं, या जिन को नगरपालिका या जिला परिषद् चलाती है उनका करेंगे? उन की इस विषय में क्या रूप रेखा है, कौन सी स्कीम को लाने जा रहे हैं इस पर वह कृपया प्रकाश डाल दें।

डाक्टर रामजी लाल सहायक––

उपाध्यक्ष जी, ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद माननीय सदस्य मेरी बात सुन न सके। मैंने कहा था कि नीचे के स्तर की शिक्षा के अधिग्रहण करने का निर्णय शासन ने लिया है, उस की रूप रेखा अभी तैयार नहीं है, वह अभी बन रही है, वह बनेगी और उसके अनुसार काम होगा और उसके लिये कानून में भी तरमीम होगी और बहुत सा काम अभी उस दिशा में बाकी है। वह बाद में बताया जायगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सभी लोगों के लड़कों के लिये एक ही प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था कराने, केवल बड़े लोगों के लड़कों के लिये चलने वाले स्कूलों को तोड़ने, हाई स्कूल तक की शिक्षा को मुफ्त किये जाने, शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाई जाने जिससे पढ़ाई के बाद वे उस का सदुपयोग कर सकें, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किये जाने आदि के लिये सुझाव देना व सरकारी नीति की आलोचना करना है।

मान्यवर, अभी आप के सामने माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आंकड़ों का एक बड़ा जाल बिछाया। मैं आप से कह देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की सरकारों की ओर से पिछले २५ साल से इस तरह का आंकड़ों का जाल बराबर बिछाया जाता रहा है और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अभी तक कोई सुधार इस बीच में नहीं हुआ है। जहां यह सरकार यह आंकड़े पेश करती है वहां आप इस के कार्यों को भी देखें। जो असली कार्य होने चाहिये उनकी ओर इस सरकार का ध्यान नहीं जाता। यह जो हमारा भारतीय संविधान है उस की धारा ४५ में लिखा है कि "राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था–समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।" हमारा भारतीय संविधान सन् १९५० से देश में लागू है लेकिन आज तक इस धारा का पालन नहीं किया गया जब कि दस साल के भीतर यानी सन् १९६० तक के १४ साल तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिये थी। आज सन् १९७२ तक भी यह उस काम को नहीं कर सके। जैसा कि हम कहते हैं कि यह कांग्रेसी सरकार वचनभंगी, कर्मभंगी और संविधान भंगी है और इस के द्वारा प्रदेश की जनता का भारी नुकसान हो रहा है।

इसी के साथ-साथ जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं, उनके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह तस्लीम किया है कि सारे देश में जब साक्षरता २९ प्रतिशत है, अपने प्रदेश में केवल २१ प्रतिशत साक्षर व्यक्ति हैं। यह सबसे बड़े कलंक की बात है कि २५ वर्ष के बाद जब से हमने आजादी पायी थी, अपने प्रदेश में २१ प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर बन पाये हैं। और ये जो इनके आंकड़े हैं, इसमें भी मुश्किल से १० या १२ प्रतिशत व्यक्ति होंगे जो ठीक से पढ़े लिखे हों बाकी तो अपने दस्तखत ही करना जानते होंगे। इसलिये शिक्षा के मामले में मैं समझता हूं कि जितनी अन्य तरक्की की मदें हैं, जितने रास्ते हैं, उनमें सबसे ज्यादा गिरावट इस कांग्रेस के शासन काल में हुयी है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् १९४७ से १९७२ तक देश में १५ प्रतिशत साक्षरता में वृद्धि हुयी है जिसका अर्थ यह होता है कि हर साल में इस देश में आधा फीसदी साक्षरता बढ़ती है वहां इस प्रदेश में साक्षरता कुछ रेंगती हुयी आगे चल रही है। वहां निरक्षरता छलांग मार कर तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारा दुर्भाग्य है कि आज इस प्रदेश की साक्षरता और निरक्षरता दोनों साथ-साथ बढ़ रही हैं। मान्यवर, इस सरकार की ओर से इसका कोई समाधान नहीं होता है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है हम सब यहां के निवासियों को सोचना पड़ेगा। दुनिया में हम सबसे पीछे हैं यह सब लोग जानते हैं लेकिन अपने देश हिन्दुस्तान में हम कितने पीछे हैं, यह इस बात से स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र में ३३ प्रतिशत साक्षरता है, गुजरात में ३९ प्रतिशत, पंजाब में ३३ प्रतिशत, तामिल नाडु में ३९ प्रतिशत पश्चिमी बंगाल में ३३ प्रतिशत और केरल में ६० प्रतिशत लोग साक्षर हैं और उत्तर प्रदेश में केवल २१ प्रतिशत हैं। इस देश के एक सूबे में ६० प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हों उसी इस देश में हमारे प्रदेश में वह संख्या २१ प्रतिशत है। देश के स्तर पर भी जो इस प्रदेश का स्तर है उसके लिये मैं इस कांग्रेसी सरकार को नालायक और निकम्मी कह देना चाहता हूं क्योंकि ये शिक्षा के स्तर को अन्य प्रदेशों की बराबरी पर भी अभी तक नहीं ला पाये हैं।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा लम्बा बजट रखा है लेकिन १९७०–७१ में करीब ४ १/२ रुपया प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर खर्च हुआ था। इतने कम खर्चे से इस प्रदेश के निरक्षर लोगों को, इतने पिछड़े लोगों को शिक्षित करना बिल्कुल असम्भव बात है। इन्होंने बड़ी

पंचवर्षीय योजनायें चला रखी हैं, मै उनका भी नक्शा आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १९ करोड़ के करीब धनराशि स्वीकृत हुयी थी; द्वितीय योजना में १६ करोड़ ४९ लाख खर्च के लिये रखा गया था खर्च हुआ केवल १४ करोड़ २१ लाख रुपया; तृतीय योजना में ४६ करोड़ ८१ लाख रुपया रखा गया लेकिन खर्च हुआ केवल ४३ करोड़ ६० लाख। इस प्रकार से यह द्वितीय और तृतीय योजना हमारे प्रदेश में सरकार ३ १/२ करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पायी। इन योजनाओं पर यदि यह सरकार इतना धन नहीं खर्च कर पायी जो शासन की नालायकी के अलावा और क्या बात हो सकती है। यह ३ १/२ करोड़ रुपया आपने लैप्स कर दिया, यह सबसे बड़ी अकर्मण्यता है। यह एक सबसे बड़े अभियोग की बात आपके लिये है कि आपने साढ़े तीन करोड़ रुपये शिक्षा पर व्यय नहीं किये और यह कहते हैं कि शिक्षा में बड़ी तरक्की हो रही है और इस साल तो यह सरकार पूरे तरीके से नकली समाजवादी हो गई है। समाजवाद बढ़ गया है और पिछड़े दिनों जो शिक्षा पर तृतीय योजना में खर्च किया गया था, वह ६६ प्रतिशत था और चतुर्थ योजना में भी ६६ प्रतिशत का व्यय है प्राथमिक शिक्षा पर है और माध्यमिक शिक्षाओं पर तृतीय योजना में भी १५ प्रतिशत, चतुर्थ योजना में १७ प्रतिशत व्यय किया गया और विश्वविद्यालय स्तर पर १० ही प्रतिशत व्यय किया गया। और अन्य शिक्षा कार्यक्रमों पर १० ही प्रतिशत या सात प्रतिशत रहा। जितना यह सरकार समाजवाद का नारा लगाती है उतनी ही यह सरकार पीछे चलती जा रही है। इससे यह स्पष्ट मतलब होता है कि अभी शिक्षा मंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया उससे पोल खुल जाती है। इनका कहना यह है कि इस वर्ष ११० नई प्रारम्भिक पाठशालायें खुलेंगीं और जबकि १९७२ में ३४५ नई पाठशालायें खोली गई और उसमें १५२२० नये अध्यापकों की नियुक्ति हुई और यह सरकार जो अपने को समाजवादी कहती है यह १९७३ में केवल ११० नये प्राथमिक पाठशालायें खोलेंगी और २०१० अध्यापकों की नियुक्ति करेगी जब कि पिछले वर्ष १५ हजार अध्यापकों की नियुक्ति और ३४५ नये भवनों का निर्माण हुआ था। तो इससे भी यह लगता है कि यह सरकार शिक्षा में आगे नहीं जा रही है बराबर पीछे चलती जा रही है, हमारे इस उत्तर प्रदेश में सवा लाख गांवों में प्राथमिक पाठशालायें केवल ६१ हजार हैं। इसका मतलब यह है कि अभी इतनी ही और पाठशालयें इनको खोलनी हैं जब कि ये हर साल ११० पाठशालायें खोलेगें उसके हिसाब से छः सौ वर्ष पूरे लगेंगे और इन छः सौ वर्ष में मैं मंत्री जी को तो कहता नहीं हूं यह सरकार पता नहीं कहां चली जायेगी। आप देखें कि कितनी तेजी के साथ ये अपने शिक्षा के कार्य क्रम चला रहे हैं। छः सौ वर्षों में ये पूरी प्राथमिक पाठशालायें खोल पायेंगे। यह इनकी योग्यता है और यह इनकी कार्यशैली है। जिसके आधार पर ये कार्यक्रम चला रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मान्यवर हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में दस हजार के पीछे ३४७ आदमी ऊंची कक्षाओं में पढ़ने जाते हैं और हमारे यहां केवल दस हजार के पीछे २३ ही आदमी ऊंची कक्षाओं में पढ़ने जाते हैं। इस पर ये कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गये हैं। जापान में प्रति दस हजार पर ५९२ आदमी अखबार पढ़ते हैं जब कि अपने यहां प्रति दस हजार पीछे १३ आदमी ही अखबार पढ़ते हैं। हमारे यहां उन चीजों को बातों को जान नहीं पाते जिनको भारी संख्या में दूसरे देशों के आदमी जानते हैं। और यही कारण है कि वे आगे तरक्की करते चले जा रहे हैं। इनका यह कहना कि प्राइमरी स्कूलों के बारे में और प्राथमिक शिक्षकों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यह सही नहीं है। मेरे पास जागरण अखबार है--उसकी कटिंग है।

(इस समय १ बजकर ५५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रियासत हुसैन पीठासीन हुये)

उसमें लिखा है कि--४२ हजार प्राथमिक पाठशालाओं--- विद्यालयों की दशा शोचनीय है। यह अखबार का कहना नहीं है--यह कहना है शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, डा० डी०डी० पन्त का। यह बात उन्होंने इलाहाबाद में कही और उन्होंने कहा कि ४२ हजार स्कूलों में अध्यापकों की आधी संख्या है और भवन अपर्याप्त है अपर्याप्त भवनों से ही काम चलाया जा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह शिक्षा निदेशक कह रहे हैं। म इस मामले

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

में पन्त जी की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इस सरकार की पोल तो खोल दी है। यह शिक्षा मंत्री जी तो गुपचुप रहते हैं। जनता के सामने कोई असली बात बताते नहीं शिक्षा निदेशक ने इस बात को साफ बताया है कि इस प्रदेश में ४२ हजार ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें मास्टर नहीं है, जिनमें इमारतें नहीं हैं। सब पेड़ों के नीचे लगते हैं और सब कम अध्यापकों में चलते हैं। इस पर इनको सोचना चाहिये कि किस तरह की स्थिति है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और बता देना चहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों के भवनों के लिये बड़ा हल्ला मचता है। अभी हमारे कानपुर में पिछले वर्ष १० लाख रुपया जो प्राइमरी पाठशालओं के भवन बनाने के लिये दिये गये थे, लैप्स हो गया। जब मंत्रीजी लैप्स कर देते हैं तो जिला परिषद् का अध्यक्ष भी लैप्स कर देता है लेकिन मंत्री जी ने इस तरफ कुछ नहीं सोचा क्योंकि मान्यवर, चोर-चोर मौसेरे भाई। आज कानपुर में १,१०३ प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें से ७०० स्कूलों में दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे हैं जो पेड़ के नीचे लगते हैं, रास्तों के ऊपर लगते हैं, जिनमें इमारतें नहीं हैं, जहां कोई बैठने की जगह नहीं है। तो क्या फायदा है जब आपके ११०० स्कूलों में से ७०० स्कूल पेड़ के नीचे लगें, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मंत्रियों के लिये बंगले बनाये जाते हैं, मुख्य मंत्री के मेहमानों के लिये एक घर बन गया २-३ लाख रुपये की लागत से, लेकिन हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं वह पेड़ के नीचे लगेंगे, यही इनका इन्तजाम है। इस पर सोचना पड़ेगा इन लोगों को।

आप हल्ला मचाते हैं और शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्य मंत्रीजी ने भी अपनी स्पीच में कहा कि हम उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेकार लोगों को काम देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षित बेकार लोगों को काम देने के लिये क्या करेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने तो कह दिया कि हमने एक योजना बना दी है ५४ करोड़ रुपये की और दिल्ली सरकार को भेज दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या पटवारी हैं जो नक्शा बनाकर कलेक्टर के पास भेजा करता है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पटवारी है और दिल्ली की सरकार कलेक्टर है इन्होंने योजना बनाकर वहां भेज दी। कितने दिन यह योजना लटकी रहेगी, यह लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कही जा रही है। आपने योजना बनाकर दिल्ली भेज दी दिल्ली की रानी क्या करेगी, यह किसी को पता नहीं है। तो इस प्रकार की योजना से क्या फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में १,८५,००० शिक्षित बेकार हैं। १००-२०० आदमी की बात नहीं है, लाखों की बात है और अशिक्षित बेकारों की संख्या करोड़ों में है जैसे भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, हरिजन, लेकिन जो पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं उनकी भी संख्या शर्मनाक है और उस पर यह फरमान है कि १,८५,००० शिक्षित बेकार लोगों में से ७० हजार लोगों को यह काम देंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बाकी १ लाख १५ हजार लोग कहां चले जायेंगे। आप देखें मान्यवर, बेकारी मिटाने के लिये ये कहते हैं कि इस देश का नक्शा बदल रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, १९५५ में अपने इस देश में ५५ लाख लोग बेकार थे, १९६५ में एक करोड़ पचास लाख लोग बेकार हो गये और सन् १९७५ तक उनका कहना है कि ४ करोड़ आदमी बेकार हो जायेंगे। इस देश में २० करोड़ आदमी काम करते हैं और उनमें से ४, साढ़े चार करोड़ आदमी बेकार हो जायेंगे, क्या हालत हमारे देश की होगी, यह देश और प्रदेश किस प्रकार से प्रगति कर सकता है। इसके लिये उन्होंने कोई इन्तजाम नहीं किया है।

कहा जाता है कि बेकारी दूर की जायेगी यहां पर भी यह सवाल उठता है और दिल्ली में भी, पर यह हो कैसे। संसार में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर बेकारी है, अमरीका में भी बेकारी है परन्तु वहां पर हर बेकार को १४२.२५ रु० प्रति सप्ताह बेकारी एलाउन्स दिया जाता है। जो आदमी बेकार है उसको २० रु० रोज मिलता है, यह अनिवार्य है और साथ ही यह भी आश्वासन है कि २६ सप्ताह में ही उसको कोई न कोई काम दे दिया जायगा। अगर यह सरकार बेकारी भत्ता देने की हमारी मांग मान लें तो इनको भी कोई ऐसा प्रावीजन करना होगा जिससे सबको

काम मिले। आप इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। अगर सरकार बेकारी भत्ता नहीं देती है तो वह लोगों को बेवकूफ बनाती है। लेकिन आगे आनेवाला समय इसको बेकारी को बरदाश्त नहीं कर सकेगा। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के बारे में शिक्षा देते हैं। अभी ४ अप्रैल को कानपुर में शिक्षा मंत्री जी ने भाषण दिया उसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा में परिवर्तन करके उसको इस प्रकार से बनाया जाना चाहिये जिससे जीविका के साधन उपलब्ध हो सकें जिससे देश समृद्धिशाली बन सके। आप जब शिक्षा मंत्री हैं तो आपको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये। इससे लगता है आप शिक्षामंत्री नहीं हैं। आपको कहना चाहिये कि हम इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था कायम कर रहे हैं और यह हो गया है। आप को स्पष्ट रूप से परिवर्तित नीति की घोषणा करनी चाहिये। आप कहते हैं कि शिक्षा की नीति बड़ी खराब है वह ठीक होनी चाहिये। इसको कौन ठीक करेगा? सवाल उठता है है कि आप मंत्री हैं और आपको मंत्री की तरह से बातचीत तथा भाषण करना चाहिये। यह अगर मगर या होना चाहिये से काम चलनेवाला नहीं है और न तो इससे प्रदेश का कल्याण होनेवाला है। आपको कहना चाहिये कि हम यह काम करने जा रहे हैं या हमने यह काम कर दिया है। चाहिये, अगर या मगर तो २५ वर्षों से चल रहा है और उससे हमारा प्रदेश नीचे गिरा है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्पष्ट रूप से नीति की घोषणा करें कि अब आगे वह क्या करने जा रहे हैं।

हमारे भाई जगदीश गांधी यहां बैठे हैं। वह जानते हैं कि शिक्षा शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षालय का मेल अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जब तक इन चारों में कमी मौजूद है तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इन चारों चीजों को आप समान रूप से मजबूत करें तभी हमारे यहां किसी प्रकार का उत्थान हो सकता है अन्यथा नहीं। जब इन चारों पर समान दृष्टि होगी तभी शिक्षा का महल अच्छा महल बन सकेगा। आप पता नहीं कहां सोते रहते हैं। आपका जो एजूकेशन कोड है वह १९०४ का बना हुआ है। इसे अंग्रेजों ने बनाया था और मालूम होता है कि आप भी अंग्रेज के रास्ते पर चल रहे ह और उनके खान्दानी है, इसलिये वह काम कर रहे हैं जो अंग्रेज आपक सुपुर्द कर गये थे। मालूम होता है कि अंग्रेजों का राज्य है और आपका नहीं। आप का ध्यान इस तरफ न हो, यह बड़े शर्म की बात है। मेरा कहना है कि एजूकेशन कोड को नये तरीके से बनाये। नई परम्परायें उसमें रखें और नये तरीके से उसको करें। अभी तो आपने जाल बट्टा बिछा रखा है। आपन माध्यमिक शिक्षा परिषद् का तमाशा बना रखा है। आपन उनके शिक्षक एवं शिक्षार्थी के ऊपर लाद दिया है जिससे उनका मनोबल गिरे और जाहिर हो कि शिक्षक लोग शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। यह जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् है, आप उसका विकेन्द्रीकरण करें और जरूरत पड़े तो उसको हटा भी दें क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको इन शिक्षकों पर भरोसा करना चाहिये। यह हमारे बच्चों के लिये प्राइमरी शिक्षा से लेकर ऊंची शिक्षा देकर कुर्बानी और समाज सेवा कर रहे हैं आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद् उन लोगों पर नियंत्रण कर रही है और इनको हांक रही है जैसे कि कलेक्टर पटवारी को हांकता है। यह शिक्षा में कलंक की बात है। यह जो प्राथमिक विद्यालय हैं वह दुनियां में कहीं अलग नहीं चलाये जाते, यह केवल हिन्दुस्तान में ही है। एक से पांच तक की पढ़ाई यहां अलग की जाती है। इसकी आप बुनियाद कमजोर रखना चाहते हैं। आप धड़ और सर अलग-अलग रखना चाहते हैं। यहां प्राइमरी शिक्षा पड़ों के नीचे होती है और विश्वविद्यालय की शिक्षा महलों म होती है।

मुझे २० मिनट का समय और मिल जाय। उसमें मैं अपनी बात कह सकूंगा। मैं शिक्षा के बारे में शिक्षा मंत्री को शिक्षा देना चाहता हूं। आज इन्होंने प्राइमरी शिक्षा को अलग कर बुनियाद कमजोर कर दी है। जिससे काम चलने वाला नहीं है। आप ऐसा करें कि इससे शिक्षा में समानता आये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है और कुछ करना चाहते

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]
हैं तो १०, ५ वर्ष के लिये जितने कालेज हैं, जितने पोस्ट ग्रेजुयेट कालेज हैं, और विश्वविद्यालय हैं उनको १० वर्ष के लिये बिलकुल बन्द कर दें जब तक कि इस प्रदेश का बच्चा-बच्चा शिक्षित न हो जाय। इसके लिये आप में हिम्मत होना चाहिये तभी कुछ हो सकता है। आज आप एम० ए०, बी० ए० पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। इन्टरमीडिएट पास को सरकारी जगहों में नौकरी मिलना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं है। वह मारे-मारे घूम रहे हैं। बेकार हैं।

आप एम० ए०, बी०ए० की शिक्षा देते हैं और वे छात्र एम०ए०, बी० ए०करने में चार-चार, पांच-पांच साल फंसे रहते हैं। मैं कानपुर विश्व विद्यालय की बात बताना चाहता हूं। ५० छात्र कानपुर विश्वविद्यालय के सरकारी नौकरी के लिये सेवा आयोग की परीक्षा में गये और ५० में से एक भी विद्यार्थी पास नहीं हो सका। इसके अलावा १८ अन्य प्रदेशों के प्रथम श्रेणी के एम० ए० विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई जगह नहीं मिल सकी।

श्री राजमंगल पांडेय—
यह कानपुर के लोगों का दोष है कि शिक्षा का. . . .

चौधरी रामपाल सिंह यादव—
दोष इस नालायक सरकार का है। दोष उस पार्टी का है जिस पार्टी से पांडेय जी बोल रहे हैं।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—
माननीय सदस्य भी तो संविद सरकार में रह चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि वे भी नालायक हैं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—
'संविद' सरकार ने जनहित के तमाम काम करके दिखा दिये। आप नालायक सरकार में है....

श्री अधिष्ठाता—
अब आपका समय हो चुका है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—
मान्यवर, मुझे और समय दीजिये। कटौती के प्रस्ताव पर मैं बोल रहा हूं। पूरे विरोधी पक्ष की ओर से।

श्री अधिष्ठाता—
अभी और माननीय सदस्यों को बोलना है। आपका आध घंटे कटौती के प्रस्ताव पर काफी है।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—
आध घंटे नहीं, श्रीमन्, एक घंटे की आवश्यकता है। अभी उर्दू के बारे में भी कहना रह गया है।

श्री अधिष्ठाता—
आपको आध घंटे के अन्दर सब कुछ रखना चाहिये था।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—
माननीय सदस्य काफी तैयारी करके आये हैं। बोल लेने दीजिये श्रीमन्।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

श्रीमन्, हाई स्कूल के करीब ९ लाख विद्यार्थी परीक्षा दे देते हैं और इंटर के करीब ४ लाख परीक्षा देते हैं। इस तरह से करीब १३ लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं और ४०, ४५ फीसदी पास होते हैं और ५०, ६० फीसदी फेल हो जाते हैं। इस फेल होने का कौन सा कारण है। जो ४० फीसदी पास होते हैं, उनमें से १० फीसदी फर्स्ट क्लास में आते हैं। इसलिये मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि आपका जो शिक्षा का माध्यम है, वह बिल्कुल गलत है। इस माध्यम से हमारे विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। आप देखते हैं कि पास होने के लिये स्कूलों में चाकू चलते हैं। अध्यापकों की हत्या होती है। विद्यार्थी पास होना चाहते हैं, आप उनको फेल करना करते हैं। इन दोनों बातें में बहुत भारी संघर्ष खड़ा हो गया है इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। विचार करके अवश्य कोई रास्ता निकालना होगा। शिक्षा परिषद् द्वारा जो इम्तिहान की प्रणाली है वह गलत है उसको आपको बन्द कर देना चाहिये। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी आपको शिक्षकों पर ही छोड़ देना चाहिये जिनके ऊपर आपने शिक्षा देने का भार डाल रखा है। उन्हीं के द्वारा हर तीसरे और छठे महीने परीक्षा होना चाहिये तथा वर्ष में सभी परीक्षाओं के अंक जोड़ कर उनको पास करना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि आप किसी भी बच्चे को छात्र को फेल न करें। (व्यवधान) यह बहुत गलत तरीका है कि यदि किसी विद्यार्थी ने ५ विषयों में से ४ विषय पास कर लिये हैं और एक विषय में वह ४ नम्बरों, १० नम्बरों से फेल है तो सभी विषयों में उसे फेल माना जाता है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

यह जो फेल होते हैं उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन एस० एस० पी० का है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

यह आपकी शिक्षा प्रणाली का दोष है। मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि विद्यार्थी जिस विषय में फेल हो उसी विषय में आप उसे फेल घोषित कीजिये, जिनमें पास है उसमें पास घोषित कीजिये। फिर नौकरी आप एक विषय की देते हैं, पढाते हैं ५ विषय। मैं कहता हूं कि जिस विषय में विद्यार्थी का दिमाग लग रहा है उसी विषय को उसे पढ़ने दीजिये और उसी में उसको नौकरी दीजिये। मगर नौकरी तो आप किसी को देते नहीं, उसको फंसाये रहते हैं और उसका जीवन बरबाद करते हैं। वह न घर का रहता है न घाट का रहता है।

अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई आप बिल्कुल बन्द कर दीजिये। दो प्रतिशत ही लोग आपके प्रदेश में अंग्रेजी जानने वाले हैं और बहुत ज्यादा रुपया आप अंग्रेजी की पढ़ाई आदि पर खर्च कर रहे हैं। जो आपने पब्लिक स्कूल्स है जिनमें बड़े-बड़े आफिसरों, राजा-महाराजाओं के ही बच्चे पढ़ते हैं इनको आप बन्द कर दीजिये। अगर आपको सही मानी में समाजवाद लाना है तो यह तभी आयेगा जब कि एक भंगी का बच्चा और राष्ट्रपति का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। आज आपके यह पब्लिक स्कूल्स अफसर स्कूल बन गये है। इनको बन्द कीजिये।

आप कहते हैं कि हम उर्दू की तरक्की कर रहे हैं। मगर पिछले वर्ष आपने जहां ५ लाख रुपया उर्दू के लिये रखा था, इस वर्ष आपने साढ़े ३ लाख ही रखा है। डेढ़ लाख क्यों कम कर दिया। वैसे पांच लाख रुपया उर्दू शिक्षा के लिये कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं आप उर्दू को प्रदेश की दूसरी भाषा बना देते हैं। क्यों नहीं हर स्कूल में आप उर्दू के अध्यापकों को रखते हैं और उर्दू की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करते हैं? आप इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को धोखा दे रहे हैं। आप उनको लाईमन-जूस दे रहे हैं, जिससे वे आपकी जय जयकार करते रहें। लेकिन इस धोखाधड़ी से काम चलने वाला नहीं है। मेरा कहना

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

है कि इस प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू होनी चाहिये उसको पढ़ाई में दूसरा स्थान दें । हर स्कूल में उर्दू के अध्यापकों का आप इंतजाम करें । आप क्यों इस तरह से प्रदेश के अल्पसंख्यकों को बरगलाना चाहते हैं, आपने इसीलिये उर्दू के लिये पहले वर्ष ५ लाख रुपया रखा और अगले साल उसे साढ़े तीन लाख कर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

अभी हमें १० मिनट आप और दें । १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा के दायरे में रहना चाहिये और इसके लिये जितने पैसे की जरूरत हो, वह खर्च करना चाहिये सरकार को । प्राइमरी स्कूल में भी हर गांव में नहीं है, कहीं तीन गांव में एक स्कूल है । हर गांव में एक स्कूल आवश्यक रूप से खुलना चाहिये । उनमें जो वहां के कारीगर और कलाकार हैं, उनकी नियुक्ति होनी चाहिये उन्हीं स्कूलों से संबंधित किया जाना चाहिये तब लड़के अपनी पढ़ाई में मन लगा सकेंगे । विश्वविद्यालयों में भी आप को प्राइमरी स्कूल संबंधित कर देने चाहिये । विश्वविद्यालय वाले शिक्षक और छात्र वहां जायें और जगदीश गांधी भी वहां जायें । यह नहीं कि यहां लखनऊ में बैठकर सिटी मांटेसरी स्कूल खोल लिया और सारा अनुदान चला गया जेब में ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी—

सिटी मांटेसरी स्कूलों को एक पैसा भी सरकार से प्राप्त नहीं होता है । सिटी मांटेसरी स्कूलों को चलाने के लिये मैं किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेता हूं । आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, फिर अनाप शनाप आरोप लगायें ।

(श्री रामलखन शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री त्रिवेणी राय—

जो आपके पास लिस्ट भेजी है, उस हिसाब से आप डूंगर सिंह बिष्ट को समय दें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इन शब्दों के साथ, मैं शिक्षा की मांग पर कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर वे गम्भीरता से विचार करें और शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करके प्रदेश की शिक्षा को एक नई दिशा दें ।

*श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने शिक्षा पर, शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया है । शिक्षा किसी भी राष्ट्र को उठाने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है । किसी भी देश में यदि इस प्रकार की शिक्षा लाई जाये कि वहां के निवासियों में आदर्श नागरिक भावना और राष्ट्रीय भावना पैदा हो और उनका सर्वांगीण विकास हो, तो वह देश एक दिन अवश्य उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा । शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास । यदि किसी शिक्षा से सर्वांगीण विकास नहीं होता है तो यह मानना पड़ेगा कि यह निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है । अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने अपने बजट भाषण में बहुत सी ऐसी उपलब्धियों का वर्णन किया है, जो उत्तर देश में लागू की गई हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता है कि इनको प्रदेश के प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक विद्यालय पर लागू करने का प्रयत्न किया जायेगा । इस सदन में आज से ४ साल पहले इस बात की मांग की जा रही थी कि चूंकि अध्यापकों का शोषण होता है, उनको उचित वेतन, उचित समय पर नहीं मिलता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस सरकार ने अध्यापकों के वेतन के लिये एक निश्चित तिथि निर्धारित कर दी है, प्रत्येक अध्यापक को २० तारीख को पहले महीने का वेतन उपलब्ध हो जायगा। मान्यवर, यह निश्चित है कि जो शोषण अभी तक अध्यापकों का हो रहा था वह बन्द हो गया इसलिये कि अब सीधे तौर से बैंक से पैसा मिल जाता है, जब कि पहिले डेढ सौ, पौने दो सौ रुपये दे कर, दो सौ, ढाई सौ रुपये पर हस्ताक्षर करा लिये जाते थे। इसमें एक त्रुटि है। मंत्री जी उस पर ध्यान दें। वह यह कि प्रत्येक मास जो यहां से अनुदान स्वीकृत किया जाता है उससे दिक्कत पड़ती है। प्रत्येक मास वहां के क्लर्क और प्रिंसिपल को बिल पास करवाना पड़ता है और बैंक में जाना पड़ता है। इसमें काफी समय लगता है और अपव्यय होता है। जब यह मालूम है कि एक वर्ष में किसी अमुक पाठशाला को इतने धनराशि की आवश्यकता है, तो उतना धन अग्रिम रूप से उस पाठशाला को दे दीजिये, जिससे ऐसा न हो कि जनवरी का वेतन मार्च में मिले और फरवरी का वेतन अप्रैल में मिले। इससे कठिनाई दूर हो सकती है। इसमें अपव्यय या राजस्व विभाग को कोई दिक्कत होने की बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों को पेंशन देने की योजना बनायी है। लेकिन उसमें त्रुटि यह है कि १९६४ के बाद जो अध्यापक रिटायर हुये हैं, उनको सरकार पेंशन देती है, १९६४ के पूर्व जो प्रधान अध्यापक या अध्यापक रिटायर हुये हैं उनको सरकार पेंशन नहीं देती है। मैं मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार करें कि १९६४ के पूर्व जो अध्यापक रिटायर हो गया है वह ज्यादा निर्बल है। उसके पास आर्थिक साधन नहीं है जिससे अपना जीवन यापन कर सके। १९६४ के बाद रिटायर होने वाले अध्यापक फिर भी कुछ जीवन यापन के लिये दो-चार ट्यूशन कर लेते हैं। मंत्री जी इस पर विचार करें। मुझे जो आंकड़े प्राप्त हुये हैं उनके हिसाब से दो-ढाई हजार अध्यापक उत्तर प्रदेश भर में हैं जो १९६४ के पहले रिटायर हुये हैं। उसमें से बहुत से मर गये हैं, बहुत से मरणासन्न हैं और जब तक योजना को लागू करेंगे तब तक हजार पांच सौ और खत्म हो जायेंगे। वह उन अध्यापकों के लिये वह इस प्रकार का विशेष फंड निकालें जिससे उनको भी पेंशन मिल सके।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जैसा एक विरोधी दल के सदस्य ने कहा जो आपने योजना बनायी है, जूनियर हाई स्कूल के राष्ट्रीयकरण के संबंध में आपने बताया कि उसका पूरा नियम नहीं बनाया है। नियम बन जाने पर माननीय सदस्यों को मालूम हो जायगा कि जूनियर हाई स्कूल कहां और किस के अधिकार में जायेंगे। उसके साथ यह भी सुझाव रखा है कि सदस्यगण अपने सुझाव भी पेश कर सकते हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जिला परिषद् के स्कूल बहुत जल्द लिये जायं। लेकिन जूनियर हाई स्कूल प्रबन्धकों के द्वारा चल रहे हैं या किसी इंटरमीडिएट कालेज या हायर सेकेंडरी स्कूल से संबंधित हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये क्योंकि यदि कुछ स्कूलों का राष्ट्रीयकरण हुआ और कुछ स्कूलों का नहीं हुआ तो उनकी शिक्षा के स्तर में, उनके पाठ्यक्रम के स्तर में अन्तर आयेगा और अन्त में उसका प्रभाव शिक्षण संस्थाओं पर, बालकों पर पड़ेगा जो हायर सेकंडरी स्कूल पास करके निकलेंगे।

यदि राष्ट्रीयकरण किया जाय तो उन सभी जूनियर हाई स्कूलों का किया जाना चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थायें चला रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा कि यह जो पाठ्य पुस्तकों का मामला है इस संबंध में जो कमेटी है जो पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करती है और जो कक्षा ६,७ तथा ८ में चलती हैं उनके लेखकों का ज्ञान उतना नहीं होता जितना होना चाहिये और वे केवल सिफारिश की बिना पर अपनी पुस्तकों का निर्धारण करा लेते हैं। मैं चाहूंगा कि जूनियर हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शिक्षा तक की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और उन पुस्तकों को उन विद्वान लेखकों से लिखवाया जाय जिनका असर विद्यार्थियों पर अच्छा पड़ सके।

[श्री राम चरण त्रिपाठी]

अभी यादव जी ने उर्दू के विषय में कुछ कहा। मैंने कई स्कूलों में पूछा कि वहां उर्दू पढ़ाई जाती है। बच्चों ने कहा नहीं। मैंने पूछा क्या बात है मालूम हुआ कि जिला परिषद् के स्कूलों में इसलिये उर्दू की पढ़ाई नहीं की जाती है कि वहां ४० छात्रों का होना आवश्यक है। मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ४० छात्र कहां से आयेंगे जब कि न वहां कोई उर्दू का अध्यापक है, न उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था है। अगर उर्दू की शिक्षा वहां शुरू की जाय तब तो लोगों में दिलचस्पी हो सकती है और ४० के स्थान पर ८० विद्यार्थी नाम लिखाने को तैयार हो सकते हैं लेकिन जब तक इस विषय का वहां कोई विद्यार्थी नहीं है और उर्दू का अध्यापक नहीं होगा तब तक कोई भी संरक्षक अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं भेज सकता।

एक बात मुझे यह कहनी है कि जिस हिसाब से प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों का तथा उनमें बालक बालिकाओं का प्रतिशत है उसको देखते हुये आगे चल कर न तो बालकों की और न बालिकाओं की शिक्षा हो पाती है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ६२.९० प्रतिशत बालक और ३६.४५ प्रतिशत बालिकायें पाठशालाओं में दाखिला लेते हैं और उसके बाद जूनियर हाई स्कूल में ६ से ८ तक की कक्षाओं में वह प्रतिशत १३.४० प्रतिशत और ३.४९ प्रतिशत क्रमशः रह जाता है और ९ से लेकर १२ कक्षा तक वह अनुपात ७.७१ और १.५९ प्रतिशत रह जाता है। सोचना पड़ेगा आखिर यह गिरावट क्यों हो जाती है? इसका एक कारण यह है कि जो आंकड़े प्राइमरी स्कूलों के सरकार के पास भेजे जाते हैं वे कदाचित् सही नहीं हैं क्योंकि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक बालक बालिकाओं के नाम फर्जी लिख लेते हैं और इस प्रकार जब ६ से ८ तक की शिक्षा का नम्बर आता है तो वही प्रतिशत घट जाता है और आगे की शिक्षा में वह गिरावट और बढ़ जाती है। कुछ वर्ष पूर्व राधाकृष्णन रिपोर्ट इस संबंध में पेश हुयी थी और उसमें कहा गया था कि अगर इस देश को प्रगति की ओर ले जाना है तो स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

बालक शिक्षित होकर किसी आफिस में काम करेगा या कहीं और नौकरी करने लगेगा किन्तु प्रदेश का कल्याण तभी संभव है जब कि स्त्रियों को भी शिक्षा मिले और वे भी इससे लाभ उठायें। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दें और यह देखें कि प्रदेश में कहां-कहां पर स्त्री शिक्षा की कमी है। देहातों में एक-दो तहसीलों के बीच एक भी लड़कियों के पढ़ने के लिये पाठशाला नहीं है और जहां हैं भी वहां पर किसी प्रकार के समुचित पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम एक तहसील में एक जूनियर हाई स्कूल बालिकाओं के लिये होना आवश्यक है जिससे वे भी शिक्षा ग्रहण कर उससे लाभ उठा सकें।

मान्यवर, मैं एक बात माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बारे में भी कह देना चाहता हूं कि इस माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विकेंद्रीकरण होना चाहिये। आज से काफी वर्ष पूर्व लाख डेढ लाख इस माध्यमिक शिक्षा परिषद् से परीक्षा देते थे और इस वर्ष १० लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। इस प्रकार १० लाख परीक्षार्थियों का एक जगह से प्रबन्ध का होना काफी कठिन है। इसलिये यह सही है कि उसका विकेंद्रीकरण हो। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो पूर्वी जिले हैं उसका संचालन पूर्व में ही यानी इलाहाबाद द्वारा ही हो और वहीं से इन जिलों का संबंध रहे और पश्चिम में मेरठ से संचालित हो। ऐसा नहीं होना चाहिये कि इधर के जिलों का संचालन उधर के जिलों से और उधर के जिलों का इधर से संचालन हो।

मैं एक बात और यह कह देना चाहता हूं कि जो ग्रांट्स स्कूलों को मिलती है उसमें बड़ी धांधलेबाजी होती है। मुझे माननीय मंत्री जी क्षमा करेंगे, मैं अपनी जानकारी से यह कह देना चाहता हूं कि कार्यालयों में परसेंटेज फिक्स हो रखा है कि एक हजार की ग्रांट

के लिये १०० रुपया और २००० रुपये की ग्रांट के लिये २०० रुपये देने पर ग्रांट दी जाती है। इस प्रकार जो अनियमितायें और भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के संबंध में माननीय मंत्री जी ध्यान दें। मैंने कई बार माननीय मंत्री जी से और राज्य मंत्री जी से भी तथा रिकाग्निशन कमेटी के चेयरमैन से हमारे यहां जो गांधी मेमोरियल हायर सेकेंड्री स्कूल को मान्यता देने के संबंध में जिक्र किया था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि उस स्कूल को मान्यता देने के संबंध में एक भी शर्त अधूरी नहीं रह गई है। इस स्कूल को सन् १९५८ में हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में मान्यता दी गई थी और आज सन् ७२ हो गया है, उसको इंटरमीडिएट की मान्यता नहीं दी गई है। मैंने इस संबंध में कई कोशिशें भी की हैं और इस संबंध में जानना चाहा है कि आखिर इसका कारण क्या है तो मुझे मालूम हुआ है कि उसमें कुछ लेन देन की बात है जिससे उसको मान्यता नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि विभाग में जो इस प्रकार की गड़बड़ियां है उनको दूर करने का कष्ट करें।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार में जब तक शिक्षित बेकार रहेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक लाख पच्चासी हजार अशिक्षित और बेकार हैं किन्तु मैं कह सकता हूं कि इससे दूनी संख्या में इस प्रदेश में लोग बेकार हैं और वह इसलिये हैं कि उनकी शिक्षा ही गड़बड़ है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक शिक्षित समाज तथा विद्वानों की एक समिति बनाई जाय और उसमें प्रदेश की शिक्षा के विषय में आमूल परिवर्तन की बात सोचें। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राय बरेली में भाषण देते हुये इस बात को माना है कि जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली है वह त्रुटिपूर्ण है उसको दुरुस्त करने की बड़ी जरूरत है। अतः माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत में इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया है। और अनुदानों के मुकाबले में शिक्षा का अनुदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके जरिये ही हमारे देश और प्रदेश की उन्नति हो सकती है। मंत्री जी को यह दूसरी बार मौका मिला है कि वह हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हुये हैं और इन २५ सालों में पहले ही व्यक्ति हैं जो एक ऐसे समाज के अंग है जो सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ा हुआ है और उसी वर्ग का नेतृत्व करते हैं और उनको शिक्षा विभाग मिला। कितनी शिक्षा में उन्नति हुई, कितने स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कालेज डिग्री कालेज खुले और क्या अन्य तरक्कियां हुयी उनके अलावा मैं एक मूल-भूत प्रश्न पर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि शिक्षा में कोई स्कूल खोलन, साक्षरता बढ़ा देने से या सबके पढ़े-लिखे हो जाने से कोई फल मिलने वाला नहीं है जब तक इसकी पद्धति में कोई आमूल-चूल परिवर्तन न हो।

आज हम सभी और मंत्री जी भी देखते हैं कि समाज के पिछड़े हुए दलित वर्गों पर अत्याचार होते हैं और एक अलग वर्ग बन गया है विधान के जरिये से–यह शेड्यूल्ड कास्ट है, यह पिछड़े वर्ग हैं यह दूसरे वर्ग का हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। आज ऐसी परिपाटी बन गयी है कि फलां व्यक्ति उस वर्ग का है, उसकी यह जाति है। यहां तक कि शिक्षण संस्थाओं में जितनी भी प्रदेश की हैं उन सब में यह हाल है कि वे भी कौम और बिरादरी के नाम पर चलती हैं और उसके हिसाब से उनका मन और उनके जो व्यवस्थापक और संस्थापक ह उनका मन और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का मन बनता है और यह फीलिंग शुरू से पैदा हो जाती है कि फलां आदमी फलां वर्ग का है, वह उस वर्ग का है और तीसरा उस वर्ग का। और मंत्री जी वास्तव में शिक्षा परिवर्तन चाहते हैं और जैसा कि उनका कथन है और कानपुर वगैरह में और अन्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

जगह जैसे उनके भाषण हुए उनका शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन का विचार है तो मेरा सुझाव है अगर वह कर पायें हो सकता है उनकी मजबूरियां हों या हो सकता है कि वह न चाहते हों करना, दोनों में कौन सी बात है मुझे पता नहीं । लेकिन जो आपकी यह प्रथा है कि स्कूलों में नाम लिखा जाता है तो नाम के सामने "शर्मा, वर्मा, "सिंह, "पंत" इत्यादि लिखा जाता है । अगर इस प्रणाली को यों बदल दें कि पूरे प्रदेश में एक अक्षर का नाम होगा, जैसी कि आपके यहां पुरानी परम्परा थी जिसको आप ईश्वर मानते हैं उनका भी एक ही अक्षर का नाम था, जैसे कि शिव थे, महेश थे, विष्णु थे और राजाओं में विक्रमादित्य, अशोक और देवताओं में भी एक अक्षर के नाम थे । बजाय इसके कि मंत्री जी और बात में समाजवाद लावें, इसमें तो कोई पैसा भी नहीं लगेगा, कोई फायनेंस खर्चा नहीं जुटाना पड़ेगा, इतना ही कर दें कि एक अक्षर का नाम सब का कर दें, एक सी अक्षर लिखा जायगा नाम में दो अक्षर नहीं जुड़ेंगे । तो मेरा यकीन है कि अभी नहीं तो १०-२० साल बाद इस बात का असर पड़ेगा और कोई पहचान नहीं पायेगा कि अमुक विद्यार्थी या अध्यापक किस वर्ग का है और जो प्रदेश और देश के लिये एक बहुत बड़ी समस्या भी है कि छुआछूत को कैसे खत्म किया जाय इसका भी समाधान हो सकेगा । इसका सब से बड़ा उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग पर है । माननीय मंत्री जी इसी पीड़ा से हमेशा ग्रसित रहे हैं जो मैं भी महसूस करता हूं और उन्होंने भी महसूस किया होगा, अब तो नहीं, क्योंकि अब तो मैं भी एम०एल०ए० हूं और आप मंत्री हैं लेकिन जब पढ़ते होंगे तब यह महसूस हुआ होगा । तो उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है ।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं जो रामपाल सिंह जी ने भी दिया था कि प्रदेश में एक सी होनी प्रणाली होनी चाहिये एक सी किताबें होनी चाहिये, चाहे वह प्राइमरी एजूकेशन हो चाहे मान्टेसरी एजूकेशन हो, चाहे पब्लिक एजूकेशन हो । कई तरह का जो एजूकेशन प्रदेश में चल रहा है उससे मैं समझता हूं कि वर्ग भेद या जाति भेद और बढ़ता जायगा क्योंकि जिनके पास पैसा है वह अच्छे स्कूलों में जायेंगे, उनको अच्छे मास्टर और अच्छी बिल्डिंग मिलेंगी और वे यह महसूस करेंगे कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी दशा, अधिष्ठाता महोदय, आप भी देहात से आते हैं, शिक्षा मंत्री भी देहात से आते हैं, आपने देखा होगा कि उन अध्यापकों और छात्रों की क्या हालत है जिनके तन पर एक फटी कमीज है, मास्टर के पैर में जूती भी नहीं है और सिर पर टोपी भी नहीं है । वे क्या बच्चों को पढ़ायेंगे और क्या बच्चे पढ़ेंगे । बैठने को कहीं जगह नहीं है । क्या आप उन बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि वे अच्छे स्कूलों के लड़के का मुकाबला कर पायेंगे । मेरा यकीन है कि कभी नहीं कर पायेंगे । उनके बच्चे पढ़ लिख कर भी बहुत हुये तो गांव के लेखपाल हो गये या प्राइमरी स्कूल के अध्यापक बन गये । हम लोग भी जो यहां आये तो कोई कम्पिटीशन में कम्पटीट करके नहीं आये जनता की मेहरबानी थी कि चुन कर आ गये । अगर कहीं कम्पिटीशन से असेम्बली में भरती होती तो मेरा यकीन है कि न मंत्री आते, न अधिष्ठाता महोदय आप ही आ पाते सिर्फ बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लड़के ही यहां बैठते । तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि एक सी शिक्षा प्रणाली उनको प्रदेश में लागू कर देनी चाहिये। पता नहीं कि मंत्री जी ने न कभी इस तरह का सुझाव रखा और अगर रखा है तो उनकी बात मानी नहीं गयी है क्योंकि हमारा मंत्रि-मंडल भी कोई कम रुढ़िवादी नहीं । कहने को तो बहुत कहते हैं, बड़े घड़ियाल के आंसू बहाते हैं कि हम हरिजनों का बहुत भला करने वाले ह लेकिन वह कहन मात्र को है, करन को नहीं । तो मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह साहस के साथ इन चीजों का पालन करें भले ही उसमें मुसीबत आती हो । डाक्टर अम्बेदकर भी वैस ही समय में आय थे और उन्होंन मंत्रिमंडल छोड़ा था । कोई ऐसी बात नहीं है कि हम एम०एल० ए० या मंत्री पैदा ही हुये हों । सच्ची बात कहने में कभी हिचक नहीं होनी चाहिये, कोई देखे या न देखें जनता जरूर देखेगी ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इधर जितनी जल्दी कदम उठा सकें उठायें। उनकी प्रगति होगी। मैं अपने लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि इससे उनके समाजवाद पर ही बढ़ोत्तरी होगी। जब माननीय चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इस ओर कदम उठाया था कि जो शिक्षा संस्थायें कौम के नाम पर हैं उनको एड नहीं दी जायेगी। इससे काफी सुधार हुआ। एक वर्ग की संस्था होती है तो उसका असर पड़ता ही है। इससे अभी नहीं तो कुछ साल बाद एकता हम में होगी।

शिक्षा प्रणाली के संबंध में हमारे यादव जी ने कहा कि एजूकेशन कोड १९०४ का है लेकिन मैं कहता हूं कि इनकी पूरी शिक्षा प्रणाली ही अंग्रेजों की है। उन्होंने इसलिये इसको रखा था कि वे हिन्दी समझते नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की एजूकेशन दो जिससे क्लार्क्स पैदा हों। यह शिक्षा क्लार्क्स पैदा करने वाली है। आजादी के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वही घिसी पिटी प्रणाली, वही एक्जामिनेशन का तरीका, वही किताबें, वही डायरेक्टोरेट का रवैया और वही नौकरशाही और मंत्री जी का दबदबा है। वही सब ज्यों का त्यों है तो हम कैसे समझे कि शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन हुआ है या तरक्की हुयी है। यह बात दूसरी है कि आपने कुछ पैसा लगा दिया तो कुछ लोग पढ़ गये और वे क्लार्क बनने के लिये एप्लीकेशन लेकर आपके पास आ गये।

हमारे प्रदेश में डाक्टर, इंजीनियर, एम०ए०, बी० ए० करोड़ों पढ़े-लिखे बेकार हैं आज बेपढ़े लिखे को ५ रुपये मिल जाते हैं और पढ़े-लिखे को मुश्किल से ३ रुपये मिलेंगे क्योंकि वह काम क्या करेगा? फावड़ा वह चला नहीं सकता तथा मिट्टी वह ढो नहीं सकता है। इसलिये शिक्षा के ढांचे को ही बदलने की जरूरत है।

मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ डिवीजन में है। उसी जिवीजन से सैना में सब से ज्यादा भर्ती होती है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में मिलिटरी एजूकेशन न रखकर इलाहाबाद में रखी गई है। इसको आप इलाहाबाद में क्यों केंद्रित रखना चाहते हैं। यहां पर भी मिलिटरी एजूकेशन होनी चाहिये। दूसरी बात यह है और पिछले साल भी मैंने कहा था कि आगरा और बरेली में पागलखाने हैं। उनमें से कम से कम एक को कहीं और ले जाइये। सब डिवीजनों में यूनिवर्सिटी और कालेज हैं लेकिन बरेली डिवीजन में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और न कोई मेडीकल कालेज है। यह क्यों निगलेक्टेड कर रखा है? इधर भी मेडीकल कालेज या यूनिवर्सिटी का प्राविधान किया जाय जिससे उधर के लड़कों को इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर न जाना पड़े। हमारे पास वैसे ही कोई उद्योग नहीं हैं और जो संस्थायें खुल गई हैं वे अपने एफर्टस से खुल गई हैं, सरकार के रहमों करम से नहीं खुल गई है। वह नैनीताल और गोरखपुर में तो खोली जायगी लेकिन मुरादाबाद और मेरठ में नहीं खोली जायगी।

श्रीमन्, इस सरकार की एक स्वल्पाहार योजना है। इससे क्या लाभ होने वाला है। अगर आप कुछ करना ही चाहते है तो कुछ ऐसा कीजिये कि आमूलचूल परिवर्तन हो। यह तो इसी प्रकार से हो जायगा जिस प्रकार से पिछले २५ सालों से आप शिड्यूल कास्ट वालों को रिजरवेशन देते चले आ रहे हैं लेकिन आज तक उनका १८ फीसदी तो पूरा हुआ नहीं। न रिजववेशन पूरा हुआ और वे आगे ही बढ़ पाये। इसी प्रकार आपकी इस स्वल्पाहार वाली योजना से क्या होगा। कुछ भ्रष्ट अध्यापक खा जायेंगे और जो ईमानदार होंगे तो लड़कों के हाथ भी जो पड़ेगा उससे क्या लाभ होगा। इस प्रकार से ऐसी योजनाओं पर पैसा खर्च करके जनता को गुमराह करना ठीक नहीं है। इस प्रकार खाली हवा की बातें आपको नहीं करनी चाहिये।

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

बहुत से ऐसे हाई स्कूल और इंटर कालेज हैं जिनको १०–१० साल हो गये मान्यता प्राप्त हुए लेकिन उनको अभी तक एड नहीं दी गयी है । किसी को तो २ साल में सरकारी सहायता दी जाती है और किसी को ५–१० साल में भी नहीं दी जाती । आप कहते हैं कि उनका परीक्षाफल ही डाउन है लेकिन आप तो पहला परीक्षा फल देखते नहीं हैं आज का देखते हैं । अगर आप उनको सहायता प्रदान कर देंगे तो मास्टर लोग भी अच्छा पढ़ायेंगे और लड़के भी अच्छा पढ़ेंगे ।

इसके अलावा कालेजों में प्रिंसिपल की पोस्ट हैं उनको आपको प्रान्तीयकरण करने पर विचार करना चाहिये । ये लोग पार्टीबन्दी का बहुत बड़ा कारण होते हैं । मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के जो झगड़े आये दिन होते रहते हैं, वे इससे समाप्त हो जायेंगे । इस ओर सरकार को जल्दी ही कोई कदम उठाना चाहिये ।

इन सुझावों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और जो सुझाव मैंने दिये हैं आशा है माननीय मंत्री जी उन पर विचार करेंगे ।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । अधिष्ठाता महोदय, आपने सुना होगा जाट माने अच्छा किसान होता है । देहात में एक किस्सा चला आता है कि एक दिन एक तेली और एक जाट आपस में बातें करते चले जा रहे थे । माननीय रामपाल सिंह को कहीं मिल गये । बातें करते-करते जब जाट ने बेसिरपैर की बातें करना शुरू की तो तेली ने कहा कि जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट । तुरन्त ही जाट ने कहा––तेली रे तेली तेरे सिर पर कोल्हू । तेली ने कहा कि तुक तो मिली नहीं तो जाट ने कहा कि तुक नहीं मिली तो क्या हुआ भारी तो हो गया । कोल्हू अधिक भारी तो है । इसी प्रकार से रामपाल सिंह जी की बात भारी जरूर हो सकती है लेकिन सत्य नहीं है । क्योंकि वे स्वयं इस बात को जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है । सन् ४५–४६ में जो शिक्षा का बजट था उससे अब वह कई गुना अधिक हो गया है । सन् ४५–४६ में जहां ढाई करोड़ का ही बजट था वहां इस वर्ष शिक्षा मंत्री जी ने ९७ करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है .....

श्री जगदीश गांधी––

जी नहीं, इस साल १ अरब ११ करोड़ का बजट है ।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट––

वही सही । इसीलिये मैंने कहा कि यह बिलकुल गलत बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार समाजवादी कदम नहीं उठा रही है और प्रगति नहीं हो रही है । इस बात को हमारे चौधरी राम पाल सिंह जी दिल से जानते हैं लेकिन उन्हें तो कहना था इसलिये उन्होंने यों ही अपना फर्ज अदा कर दिया । हमारी जो यह मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थायें हैं उन की संस्था सन् ४५–४६ में ३७१ थी और आज उनकी तादाद करीब ३,४०० के हैं । इन संस्थाओं को सरकार सहायता देती है और आप समझ सकते हैं कि कितनी गुना सहायता अब पहले से अधिक दी जाती है । उनमें सरकार का खर्च बराबर बढ़ा है । लड़कों की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हुई, और इस तरह से शिक्षा का प्रसार प्रदेश में हो रहा है, इससे ही आप प्रगति का अन्दाजा लगा सकते हैं । सन् ४५–४६ में हमारे यहां विश्वविद्यालयों की संख्या केवल ५ थी और आज हमारे यहां ११ विश्वविद्यालय हैं और अगर उत्तराखंड में एक और खुल जायगा तो वह १२ हो जायेंगे । इस तरह से ढ़ाई गुनी संख्या विश्वविद्यालयों की हो चुकी है । यह क्या कम सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में प्राथमिक पूर्वमाध्यमिक शिक्षा का प्रान्तीयकरण.

किया जा रहा है और योजनागत और योजनेतर दोनों में मिलाकर ४४-४५ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। जिस कार्य की जिला परिषदें और नगर पालिकायें कम आय के कारण ठीक प्रकार संचालन करने में असमर्थ सी हो रही थी उस बोझ को आज सरकार अपने ऊपर लेने जा रही है। इसके लिये हम मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद न दें तो क्या दें? वास्तव में वह धन्यवाद के पात्र हैं। चौधरी रामपाल सिंह को भी उनका आभारी होना चाहिये था।

एक खास बात यह हुई कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का लगातार आन्दोलन चल रहा था और उनकी जो मांग थी कि उनके वेतन का वितरण सरकार द्वारा होना चाहिये। त्रिपाठी जी ने सही बात कही, है कि प्रबन्धक समितियां कम वेतन देती हैं और अधिक वेतन पर हस्ताक्षर कराती हैं। उन्होंने भी दस्तखत किये होंगे, वह स्वंय शिक्षक रह चुके हैं यह उनका अनुभव है। लेकिन यह सही है कि सरकार ने वेतन वितरण का भार अपने ऊपर लिया है और उसका ३ करोड़ रुपया इस पर अतिरिक्त व्यय होगा। यह क्या शिक्षा मंत्री जी का कम सफल प्रयास है? इसके लिये सरकार और मंत्री महोदय निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और मैं मंत्री जी को और समाजवादी सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिये जो तेजी से कदम उठाये गये हैं उनसे हमारे निराश सदस्यों को भी आशा होगी और उन्हें आशावान होना चाहिये। हमें निश्चित रूप से उन पर भरोसा है। केवल निराशावादी होने से हम किसी तरह से भी आगे नहीं आ सकते, हमारे विरोधी दल के सदस्यों को भी आशा करना चाहिये क्योंकि हम इस दिशा में तेजी से आगे आ रहे हैं। हमारे मंत्री जी शिक्षाविद् हैं और सारे जीवन भर उन्होंने शिक्षा संस्थाओं की सेवा की है और वह अच्छी तरह से जानते है कि किर तरह से शिक्षा का प्रसार हो और किस तरह से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और क्षेत्र को उठाया जाय। समाजवादी सरकार की बात कही जाती ह, हमारी समाजवादी सरकार के समाजवादी कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जो कार्य २५ साल में नहीं हो सका वह अब १ वर्ष में ही होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि २-३ साल में २४ साल की शिक्षा में हो रही जो खाई है, उसको पूरा कर देंगे। दुर्भाग्य से संविद के जमाने में मैं भी उसमें से एक मंत्रि-मंडल का सदस्य था। उन्होंने अपने समय में उ० प्र० सरकार की आमदनी बेतुकी की टांग खीचीं। उन्होंने समझा था कि हमको तो रहना है नहीं, समस्या को उलझा कर चले जावो।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, ये ही उस समय उस सरकार के सदस्य थे इसलिये कोई काम नहीं हुआ।

श्री डूंगरसिंह विष्ट--

मुझे शिक्षा मंत्री जी से एक बात अवश्य कहनी है। यदि समाजवाद का कदम बढ़ाना है तो शिक्षा के स्तर को समान करना पड़ेगा, यह बात सही है। हमें चाहिये कि हमारे यहां पर जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उनको बन्द करें, जहां पर एक अलग तरीके से शिक्षा दी जाती है जिसके कारण मध्यम वर्ग के लोगों का नुकसान होता है। आज जो हमारे यहां पर आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस० की परीक्षायें होती हैं, उनमें वे ही लोग कामयाब होते हैं, जो अंग्रेजी फर्राटे से बोलने वाले हों भले ही उनकी इतिहास व नागरिक शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान शून्य हो। इससे हमारे जो गांवों में गुदड़ी के लाल होनहार लड़के हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। मेरे विचार में सब जगहों पर एक तरह की शिक्षा होगी तो उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

एक बात और मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो हिन्दी के बड़े समर्थक व पोषक हैं और अपने मुख्य मंत्री जी से जिन्होंने स्पष्ट घोषणा की है इस सदन में, निवेदनपूर्वक बताना चाहता हूं कि आज की जिलाधिकारियों द्वारा मंत्रियों के प्रोग्राम हैं वे भी अंग्रेजी में ही आते हैं,

[श्री डूंगरसिंह बिष्ट]

यह बड़े खेद की बात है । एक बार मुझे याद है अभी हाल में ही एक अधिकारी ने कहा कि मैं अंग्रेजी में अच्छी तरह से लिख सकूंगा । अगर आप हिन्दी में बोलेंगे मैं उसे अंग्रेजी में लिख लूंगा ।

एक बात यहां पर माध्यमिक परिषद् के विकेन्द्रीयकरण की आयी । यह बात सही है कि विकेन्द्रीयकरण किया जाय और श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से तो यह प्रार्थना करूंगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् को ही समाप्त कर दिया जाय और इस बात में मैं अपने माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं इसको मंडलीय स्तर पर निदेशक के अधीन कर दिया जाय कि जिस प्रकार से जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा का होता है । उसी प्रकार उप शिक्षा निदेशकों के उत्तरदायित्व में माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की परीक्षायें कराने में कोई दिक्कत नहीं है बल्कि आज की बेइमानी नहीं होगी ।

दूसरे मुझे यह कहना है कि शिक्षा का गठन सन १९२१ के एक्ट की धारा ३ के अनुसार अजीबोगरीब किस्म से होता है । कहीं चेम्बर कामर्स व कहीं खांडसारी व्यापारी संघ आदि से सदस्य आ जाते हैं । मेरे विचार में यह गलत बात है । पहले माध्यमिक परिषद् से १० सदस्य होते थे और यूनिवर्सिटी से २ सदस्य होते थे उस समय विश्वविद्यालय तीन चार ही इस प्रदेश में थे । लेकिन अब यूनिवर्सिटी के ११ सदस्य कर दिये गये हैं यानी प्रत्येक विश्व-विद्यालय से एक एक सदस्य आता है । मैं समझता हूं कि इसमें माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की बहुतायत होनी चाहिये और यूनिवर्सिटी के केवल २ ही रहने चाहिये । और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के रूप में विधायकों को रहना चाहिये ।

हाई स्कूल व इन्टर शिक्षा की मान्यता में जहां तक एन्डाउमेंट का सम्बन्ध है मैदानी क्षेत्रों में २० हजार की जमीन का मकान प्राभूत पर माना जाता है यह पहाड़ी इलाकों तथा बुन्देलखंड में आधा होना चाहिये । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसको मान लें । और वे खुद ही इन विचारों के समर्थक हैं ।

पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं के प्राभूत के लिये और भी एक सुझाव मेरा है कि वन पंचायतों और ग्राम पंचायतों के द्वारा ६५० रुपये जमा करने की गारेन्टी लिखकर मिल जाती है---तो उसको प्राभूत जमा होने की शर्त मान लेना चाहिये । इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश युवक कल्याण कोष के लिये दो लाख चालीस हजार रुपये का प्राविधान है पिछले साल तो इसमें खर्च ही नहीं हुआ इस साल जिसमें से एक या सवा लाख रुपये खर्च होगा । मुझे दुःख है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी युवक को इस कोष से सहायता देकर पर्वतारोहण आदि के लिये इसके लिये मौका नहीं दिया जाता है इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे इस ओर गौर करेंगे इसके अलावा उत्तराखंड विश्वविद्यालय, जो हमारे कलेजे की चोट है जिसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाना चाहिये था, उसके लिये भी पर्वतीय क्षेत्र को सरपास करके मेरठ और कानपुर में तो विश्व-विद्यालय खोल दिये गये हैं और उत्तराखंड को जहां का तहां छोड़ दिया गया है । मुझे मालूम हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है । मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा विधेयक को सदन में पेश कर देंगे और वे जल्दी से जल्दी इसी सत्र में जुलाई में उत्तराखंड विश्वविद्यालय चालू कराने की व्यवस्था करा देंगे ।

अन्त में मैं नैनीताल जिला परिषद् के अध्यापकों की तरफ माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे अध्यापकगण इतनी भीषण गर्मी में अनशन कर रहे हैं । मुझे खुशी है कि माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से उनको आश्वासन भी दिया गया है । उनके वेतन के आठ लाख रुपये बकाया पड़े हुए हैं अध्यापकों को सात माह से वेतन नहीं मिला है । माना कि राष्ट्रीय-करण के बाद आप देंगे लेकिन छः सात मास का रुका हुआ उनका वेतन अविलम्ब दिया जाना

चाहिये। पालीटेकनिक नैनीताल में प्रबन्ध क समिति में गैर सरकारी सदस्यों में नैनीताल के विधायक को भी रखा जाना चाहिये। यह मेरा सुझाव है। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, अभी जो कटौती का प्रस्ताव शिक्षा के अनुदान पर हुआ है उसका अनुमोदन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं शिक्षा मंत्री के प्रस्तुत अनुदान के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। शिक्षा मंत्री ने बड़े ही मोहक शब्दों के जाल में प्रदेश के बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित किया लेकिन बड़े दुःख का विषय है मान्यवर कि शिक्षा का स्तर इस प्रदेश और देश में निरन्तर गिरता चला जा रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, छात्रों में अनुशासनहीनता प्रबल हो रही है। इस गिरते हुए स्तर और अनुशासनहीनता की ओर तथा बेरोजगारी पर हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था संसद में भी इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया गया है और आपको ध्यान होगा कि संसद में अधिकांश सदस्यों ने अपना रोष और चिन्ता व्यक्त की और साथ ही साथ यह सुझाव भी दिया है कि एक समिति का गठन करके शिक्षा को किस प्रकार ठीक से संचालित किया जाय। इस विषय पर अपने विचार दिये हैं।

अपने देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है इसमें जो शिक्षा का स्तर है और शिक्षा की जिस प्रकार प्रगति हो रही है वह चिन्ता का विषय बना हुआ है। वह चिन्ता का विषय क्यों बना हुआ है, वह इसलिये चिन्ता का विषय बना हुआ है कि अधिकतर कालेजों और स्कूलों से निकलने वाले छात्र टैक्नीकल स्कूलों से निकलकर ओवरसियर और इंजीनियर होकर बेरोजगारी की स्थिति में भटक रहे हैं। विद्यार्थियों में निरन्तर फैली हुई अनुशासनहीनता, नित्यप्रति विश्वविद्यालयों में हड़तालें, उनसे उत्पन्न अराजकता और कहीं पर विद्यार्थियों द्वारा आचार्यजनों का अपमान उन पर लाठी-डंडों का प्रहार के प्रति देश की पढ़ी लिखी जनता के प्रति कहा इस ओर चिन्तातुर होना स्वाभाविक है। मैं इस दिशा में शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे देखें कि हमारे प्रदेश में और देश में गिरती हुई शिक्षा की स्थिति को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। कोठारी कमीशन की एक रिपोर्ट है। उस कमीशन ने बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार पच्चीस वर्षों से इस प्रदेश को शिक्षा ले जा रहे थे उसमें यदि क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वे इस विधान सभा के माननीय सदस्यों, देश की पढ़ी-लिखी जनता और विद्वान पुरुषों, विद्वज्जनों और आचार्य जनों को बैठाकर एक योजना बनावें। इस योजना के क्रियान्वित करने, क्रियान्वयन में कौन सी कठिनाई आ रही है? सर्व प्रथम, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा की जो प्रारम्भिक प्रणाली है जिसमें बालकों को शिक्षा देते है वह है प्राइमरी शिक्षा। प्री-प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा को सभी लोग स्वीकार करते हैं। आज ग्रामीण अंचलों में हालत यह है कि ८० प्रतिशत पाठशालाओं के भवन ध्वस्त हैं, विद्यार्थी किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। वर्षा हुई कि विद्यालय बन्द और अध्यापक घर चले गये। उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिये टाटपट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इन शिक्षा संस्थाओं में अपने बच्चों को पढ़ा कर संतुष्ट नहीं होता। आपने कहा कि हम प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण के लिये ८,५०० रु० देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि देने और क्रियान्वित करने की जो इकाई है, बड़ी कठिनाई में पड़ी हुई है। यह हमारे जिले की ही बात नहीं है प्रत्येक जिले का यह समाचार है कि जिला परिषद् को भवन निर्माण के लिये जो धनराशि मिलती है, उससे भवन निर्माण नहीं होता और लैप्स हो जाती है। ८,५०० रु० जो आप भवन निर्माण के लिये देंगे वह किसी और को न देकर आप स्वयं अपने किसी विभाग द्वारा, पी० डब्ल्यू० डी के द्वारा भवन निर्माण करायें तभी आप भवन निर्माण करा सकते हैं।

श्री जगन्नाथ राव]

आपने कहा कि प्री-प्राइमरी स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों को आप खोल रहे हैं। प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये ये १०–१५ स्कूल स्थापित करके आप कितने लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्या आप इन बढ़ती हुई आबादी में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। मैं साग्रह निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें और सोचें कि आप किस प्रकार प्राइमरी शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकेंगे।

आपने एक बात और कही माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के बारे में। माध्यमिक शिक्षा में आपके द्वारा प्रदेश में ३ प्रकार की शिक्षा संचालित होती है। एक तो सरकारी स्कूलों के द्वारा एक गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के द्वारा और तीसरे वे स्कूल हैं जो बिलकुल स्वतंत्र हैं जिन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाता है। सरकारी स्कूलों में और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में जो वेतन की असमानता है, उसको आप दूर नहीं कर सके हैं। आप यह जो गैर सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की प्रान्तीयकरण की बात थी, वह नहीं कर सके हैं जिससे उनका स्थानान्तरण हो सके और गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा सरकारी स्कूलों की शिक्षा के वनिस्बत अधिक खर्चीली है। अतः आप उनको यह सुविधायें दें जो सरकारी स्कूलों में मिलती है। तीसरे प्रकार के वे स्कूल है जो स्वतंत्र हैं और उनमें वही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो सम्भ्रान्त परिवार के हैं और बड़े लोग हैं। आज उनके अन्तर राष्ट्रीयता को भावना नहीं पायेंगे क्योंकि वे अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं।

मेरे इस सम्बन्ध में दो सुझाव हैं। पहला सुझाव यह है कि हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट में जब ये बच्चे परीक्षा दें तो सामान्य हिन्दी के साथ नहीं बल्कि हिन्दी के साथ दें और उसके बाद तभी यूनिवर्सिटी में एडमीशन करें। अगर आप ऐसा प्रबन्ध कर सकें तो बच्चे मातृभाषा में पढ़ना आरम्भ कर देंगे। दूसरा सुझाव यह है कि यूनिवर्सिटी में नीचे के स्तर से बहुत से मेधावी छात्र हैं जो अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, वे मेधावी छात्र हैं परन्तु उनको किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन न मिलने के कारण आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है। शहर के रहने वाले, ऊंचे-ऊंचे कालेजेज और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र यह समझते हैं कि वे अन्य छात्रों से ऊंचे हैं और ग्रामीण अंचलों के जो छात्र हैं वे छोटे हैं, उनको वे हीन भावना से देखते हैं। आपको इसको भी चेक करना होगा। यह बहुत आवश्यक है। आपने गत २५ वर्षों में इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है। इस प्रकार की भेद करने वाली भावना और बलवती हुई है। यदि इन विद्यालयों को समाप्त करने की दिशा में आपने कोई कदम नहीं उठाया तो यह भेद बढ़ता ही जायगा और इससे हमारी बहुत अधिक हानि होगी। यदि आपका कानून इन पब्लिक स्कूलों को बन्द नहीं करता है, उनके अन्दर राष्ट्रीय भावना नहीं पैदा करता है तो इससे हमारे देश का बहुत अधिक अहित हो सकता है। आपको यह करना होगा कि क्लास १० व १२ तक यह अनिवार्य हो जाय कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने देश का साहित्य और इतिहास अवश्य पढ़ेगा। इसके लिये आपको पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा, वह आप करें। एक बार मैं नैनीताल में एक कन्वेन्ट स्कूल में गया। मैंने वहां के एक छात्र से पूंछा कि शिवाजी कौन थे? उसने क्या उत्तर दिया कि "शिवाजी वाजए ग्रेट माउटेंन रैट।" फिर मैंने पूछा कि क्लाइव कौन था? उसका उत्तर उन्होंने यह दिया कि "क्लाइव वाज एक ग्रेट पैट्रियाट आफ इंग्लैण्ड"। आप यह देखिये कि हमारे देश के इतिहास का उनको कितना ज्ञान है और इंगलैण्ड के बारे में वह क्या जानते हैं। आप अन्तर देखें? इस प्रकार की चीजें अपने देश के साहित्य और इतिहास के प्रति अश्रद्धा की भावना को उत्पन्न कर रही हैं। साथ ही अपने को ऊंचा समझने की भावना भी उनमें है और अन्य दूसरों को हीन समझने की भावना है। इस प्रकार से हमारे आज के छात्र अपने देश को किस प्रकार से गौरवान्वित कर सकेंगे।

विद्यालयों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसके लिये एक मान्यता समिति है। उसके सदस्य बैठकर मान्यता देने का कार्य करते हैं परन्तु उसके बाद पुनः आपके यहां आता है और फिर से उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। इस प्रकार से दोबारा उसी काम को करने की आवश्यकता आपको क्यों है जब आपने एक रिकगनीशन समिति बनाई है तो उसकी संस्तुतियों को ही अन्तिम मान लें, उसी निर्णय को आप कर लें।

यह जो परिषद है उसको ग्रामीण अंचलों जैसे कि बुन्देलखंड, पर्वतीय पूर्वी जिले आदि में मान्यता दिये जाने के कार्य को अन्यान्य शहरों में दिये जाने वाली मान्यता की शर्तों में अन्तर करना पड़ेगा। हमारे ग्रामीण अंचलों में बालक ६, ६ और ८,८ मील से पढ़ने के लिये आते हैं। वहां पर विज्ञान की शिक्षा का बहुत अभाव है और जिन विद्यालयों में इसकी शिक्षा दी जाती है वहां पर बहुत दूर दूर से बालक आते हैं। विशेषरूप से वर्षा के दिनों में तो उनके लिये यहां आना और भी दुरूह हो जाता है। साथ ही अन्य और भी उनके साथ दिक्कतें हैं जिनके ऊपर आपको विचार अवश्य करना होगा। इस कारण आप इसको भी ध्यान में रख कर मान्यता देने में कुछ अन्तर अवश्य रखें। अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब अनुदान की बात होती है तो जो डाइरेक्ट्रेट के बाबू हैं लोग उनके पास ही पहुंचते हैं। वहां पर यह तय हो जाता है कि मान्यता की १० या कुछ प्रतिशत रकम उसको मिल जायेगी तो मान्यता और अनुदान दोनों ही उसको अति शीघ्र मिल जायगा। मैं कितने ही इस प्रकार के विद्यालयों को बतला सकता हूं जहां पर इस प्रकार की चीजें होती हैं। आपके इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को इस तरफ बहुत अधिक जागरूक होना होगा। बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय हैं जहां की दीवालें नहीं हैं या फिर दीवाले हैं तो छत नहीं है। आपने ऐसे बहुत से विद्यालयों को मान्यता दी है जहां कुछ नहीं है और उनको मान्यता नहीं दी है जहां पर सभी कुछ है पर मान्यता नहीं मिली है लेकिन जो विद्यालय मान्यता की शर्तें पूरी कर चुके हैं उनको मान्यता देने में दिक्कत हो रही है, तो इसको आप सोचें। विश्वविद्यालय में जहां उच्च शिक्षा है आये दिन यह स्थिति आ रही है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों में रोज हड़ताल और कठिनाई आ रही है। उनका आपको सामना करना पड़ता है। अगर कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिया था वह कार्यान्वित कर दिये गये होते तो शायद ऐसा नहीं होता। यह स्थिति इसलिये आ रही है कि यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध में छात्रों, अभिभावकों और अधिकारियों के अन्दर समन्वय नहीं रक्खा गया है। युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने भी इसके लिये सिफारिश की है कि युनिवर्सिटी में शिक्षा कैसे संचालित की जाय। इसमें आप छात्रों का भी सहयोग प्राप्त करें और प्रशासन में उनको सम्मिलत करें। तभी आप जो खाई बढ़ गई है उसको पाट सकते हैं।

आप मुझे ५ मिनट और समय दे दें।

मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल गया है। इसका मैं एक ही उदाहरण दूंगा। खीरी में एक राम सहाय अध्यापक हैं। २८ साल से सर्विस कर रहे हैं। वह सीनिआरिटी जूनिआरिटी के चक्कर में जूनियर कर दिये गये हैं यह कह कर कि वह उम्र में दूसरे अध्यापक से कम हैं। आप देखिये इस प्रकार से धांधली हो रही है। इसमें हेड्स आफ डिपार्टमेन्टस भी हैं। इसकी आप व्यवस्था करें। सरकार के जो सरकारी डिग्री कालेज हैं उनके लेक्चरार्स लोक सेवा आयोग से अप्रूव नहीं कराये गये हैं और उनकी सर्विसेज कन्फर्म नहीं हुई हैं। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। आप शिक्षा में आमूलचूर परिवर्तन करने के लिये तैयार हों और शिक्षा की दिशा इस तरह से करें कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक हो, कृषि की ओर ध्यान रहे, टेक्निकल शिक्षा की ओर ध्यान रहे। व्यवसायिक शिक्षा जब बालक छोटी कक्षाओं में हो तो उसको रुचि के अनुसार दी जाय। आपका वैक्षानिक शिक्षा की ओर जब ध्यान होगा तभी देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकेंगे। एक बात मुझे यह कहनी है कि बालक की शिक्षा उसकी मातृ भाषा में होना

[श्री जगन्नाथ राव]

अनिवार्य किया जाना चाहिये और मातृ भाषा में स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाय। पाठ्य पुस्तकों के बारे में मुझे यह कहना है कि यह पुस्तकें विद्यार्थियों के लिये अच्छे से अच्छे लेखकों, कवियों से लिखवानी चाहिए जिससे उनके अन्दर राष्ट्रभक्ति की भावना जाग्रत हो। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

श्रीमन्, मैं शिक्षा मंत्री जी के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जिस प्रकार का आप पेड़ चाहते हैं, उसी तरह का बीज बोना पड़ता है। आप सही बीज बोयेंगे तो सही पेड़ निकलेगा, सही उसकी हिफाजत करेंगे तो वह सही पेड़ बनेगा। अगर उस बीज की हिफाजत ठीक से न करेंगे तो वह पेड़ टेढ़ा ही रहेगा। यही बात शिक्षा के बारे में भी है। आदमी की ठीक ग्रोथ नहीं हो सकती है, जब तक कि उसके दिमाग को सही शिक्षा न दी जाय। मैंने बहुत सारे भाषण इस बारे में सुने। क्रिटिसिज्म बहुत सुनी। लेकिन क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है। कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना बहुत सुना। मेरे शिक्षा के संबंध में थोड़े ओपीनियन हैं जिन्हें मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीमन्, पहली बात शिक्षा के बारे में यह है कि ये जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटस हैं, उनमें बहुत गड़बड़ी है। जो वहां टीचर्स ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं वे इस लायक नहीं हैं कि ठीक शिक्षा स्कूलों में दे पायेंगे।

(इस समय ३ बजकर ३२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूस जब तक रिओरियेन्टेट नहीं होंगे तब तक हमारी शिक्षा का तरीका ठीक नहीं हो सकता है। आज वे ही लोग हमारे लड़के और लड़कियों को शिक्षा देते हैं जिनको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल पाती है। शिक्षा पढ़ाने वाले ज्यादातर आज सेकण्ड या थर्ड डिवीजनर्स ही होते हैं। वे क्या शिक्षा दे पायेंगे दूसरों को। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि जिसको आप टीचर्स ट्रेनिंग दें, उसका पहले टेस्ट देख लें। उसके बाद ही उसको ट्रेनिंग दें।

इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग में केवल दो सब्जेक्ट्स पर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन उनको स्कूलों में कई सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं। उनको क्लास में साइन्स, गणित, हिस्ट्री और जाग्रफी आदि विषय पढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि वे इन सब्जेक्टस पढ़ाने के लायक हों।

इसमें एक बात यह भी है कि इन टीचर्स को स्कूलों में फीस भी लेनी पड़ती है। किन्तु वे ठीक से इस काम को नहीं कर पाते हैं और उनका काफी समय इस काम में खराब हो जाता है। मैं इस बात को देख चुका हूं। इस काम में उनका बहुत काफी समय खराब होता है और करेप्शन भी होता है। मेरी राय में शिक्षा मंत्री जी इस बात पर गौर करें और क्लासेज में इन टीचर्स के जरिये से फीस लेना बन्द हो। इससे उनका जो समय फीस लेने में जाता है, वह पढ़ाई में खर्च होगा। फीस लेने का काम किसी फीस बाबू को सौंपा जाय। कोई क्लर्क इस काम के लियेरखा जाय इससे उनका काफी समय बरबाद होने से बच जाया करेगा। टीचर्स के लिये यह खास जरूरी है कि वे इस लायक हों कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। मेरी नालेज में है कि ९० फीसदी टीचर्स ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं।

दूसरी बात मैं एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में कहना चाहता हूं। आज हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है। मैं हाई स्कूल बोर्ड की बात बताऊं। अभी-अभी हमें मालूम हुआ है कि हाई स्कूल के हिन्दी के पेपर की कापियां क्राफटस टीचर को जांचने के लिये दी गयीं। हिस्ट्री की कापियां पी० टी० मास्टर के पास गयीं। ज्योमेट्री की कापियां

आर्ट्स मास्टर के पास गयीं। इस तरह एग्जामिनेशन पेपर जायेंगे तो वे क्या मार्किंग करेंगे। हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडियेट बोर्ड का रिजल्ट निकलने के बाद मेरी एक स्टेशन मास्टर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पारसल आफिस में हाई स्कूल की कुछ आन्सर बुक्स के बंडल अभी तक पड़े हैं जिन्हें लेने के लिये कोई नहीं आया और रेजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। अब आप ही सोचिये कि रेजल्ट क्या लाटरी डाल कर निकाला गया उन बच्चों का जिनकी आनसर बुक्स जंची तक नहीं और जो पारसल आफिस में ही पड़ी रहीं। तो इस सिस्टम में बड़ा भ्रष्टाचार है।

दूसरी बात यह कि रोल नम्बर एक जगह सेन्ट्रल आफिस में रहना चाहिये और कापियों पर उनकी जगह कोड नम्बर दिये जाने चाहिये। रोल नम्बर होने से स्टूडेंट पता लगा कर कि उनकी कापियां किस एग्जामिनर के पास गयीं हैं एप्रोच कर लेते हैं। कोई किसी की चिट्ठी लेकर चला जाता है तो कोई किसी की सिफारिश लेकर चला जाता है। मुझे मालूम है कि एक लड़का जो बी० ए० भी पास नहीं कर सकता, वह हिन्दी में एम० ए० फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास कर दिया गया केवल सिफारिश के बल पर। तो इस एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलिये, और रोल नम्बर की जगह कोड नम्बर आन्सर बुक्स पर लिखिये।

कट मोशन मूवर ने पब्लिक स्कूल्स की बात कही। मैं उनको एजूकेट नहीं कर सकता यह उन्होंने अपनी इग्नोरेन्स की वजह से कही। उनको उनके बारे में यह जानकारी ही नहीं है कि पब्लिक स्कूल्स का क्या स्टैन्डर्ड है। इन स्कूलों में कोई सरकारी ग्रान्ट नहीं मिलती। कोई सरकारी पैसा उनको नहीं दिया जाता है। अब जो फीस दे सकता है वह वहां अपने बच्चों को पढ़ाता है। इसमें क्या आब्जेक्शन किया जा सकता है। हमारे कटमोशन मूवर साहब हमारे साथ चलें और वहां की पढ़ाई का स्टैन्डर्ड वे स्वयं देखें और फिर अपनी राय दें।

आखिर में मैं शिक्षा मंत्री से और सरकार से कहना चाहता हूं क्योंकि हिन्दी इस हाउस की भाषा है। हिन्दी एज ए स्टेट लैंग्वेज ठीक है। लेकिन कोठारी कमीशन ने कह दिया है इंगलिश एशेंसियल है फार दी लाइब्रेरी लैंग्वेज। इंगलिश इंटरस्टेट यूथ के लिये और आउटसाइड दी कंट्री भी अंग्रेजी भाषा ही आवश्यक है, वह वेरी एशेंसियल है। बिना उसके काम नहीं चल सकता है। यह सब वर्क हिन्दी नहीं कर सकती है। आप हिन्दी से सिर्फ अपना काम नहीं चला सकते हैं। हिन्दी सिखायेंगे और इंगलिश नहीं सिखायेंगे, तो जब तक वह देश की सारी सब लैंग्वेज की नालेज न पाले, इंटर कम्युनिकेशन बिलकुल नहीं रहेगा। यदि आप देश के छोटे-छोटे हिस्से बनाना चाहते हैं तो आप हिन्दी को लेकर बैठे रहिये। कोई तामिलनाड वाला आयेगा तो न आपकी भाषा समझेगा न आप उसकी समझेंगे। तो इस तरह से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले लोगों में कान्टेक्ट कैसे हो पायेगा। आपके पास कोई कांस्ट्रक्टिव चीज है नहीं, इसीलिये आप डिस्ट्रक्टिव बात करते हैं और अंग्रेजी का डंडा लिये घूमते हैं अंग्रेजी को हटाओं और हिन्दी को स्थान दो।

श्री रामगोपाल सिंह (जिला इलाहाबाद)—

यह हमारी उदारता है कि हमने आपको एक एंग्लो इंडियन को सदन का मेम्बर नामिनेट यहां पर कर दिया है और आप हम लोगों को गालियां दें।

श्री ए०सी० प्राइस—

बगैर अंग्रेजी के आप हिन्दुस्तान के बाहर पढ़ नहीं पायेंगे। मैं सिर्फ जनसंघ के लिये

(व्यवधान)

नहीं सबके लिये कह रहा हूं। अभी एक पहाड़ी क्षेत्र वाले कह रहे थे कि मैं जानता नहीं पब्लिक एजूकेशन चीज क्या है। तो बगैर सोचे समझे बोलना बहुत गड़बड़ बात है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। हमारी सरकार ८ क्लास तक की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। जब मैं कभी कबेल टाउन्स के बाहर जाता हूं तो वहां देखता हूं कि जिला परिषद् और

[श्री ए० सी० ग्राइस]

महापालिका के स्कूलों की हालत बहुत खराब है, वे बिलकुल करप्ट हैं, उनमें कोई पढ़ाई नहीं हो रही है । ४० बच्चे से ज्यादा एक स्कूल में बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन वहां ६०–७० और ८० तक रहते हैं । इस तरह से पढ़ाई बिलकुल पास्बुल नहीं है । आप ८ क्लास तक के स्कूलों को लीजिये, लेकिन सोच समझकर लीजिये । मेरी अपनी राय है कि आप ऐसे समस्त स्कूलों को तीन कैटेगरीज में बांट दीजिये । पहली में वे स्कूल रखिये जहां पर आप हन्ड्रेड परसेंट फीस दे रहे हैं । दूसरी श्रेणी में उनको रखिये जहां पर आप ग्रांट इन एड दे रहे हैं । इनको भी 'ए' और 'बी' दो में बांट दीजिये। 'ए' वे आते हैं जिनमें क्वालीफाइड टीचर्स हैं, अपना भवन है और पढ़ाई अच्छी और स्टैंडर्ड की है और बच्चे ४०–५० से ज्यादा नहीं जिन स्कूलों में एक क्लास में नहीं रखे जाते हैं । 'बी' ग्रेड में उनको रखिये, जहां क्वालीफाईड टीचर्स नहीं है, इन्तजाम ठीक नहीं है, पैसे की कमी है वगैरह वगैरह तो 'ए' ग्रेड के स्कूलों को आप बिलकुल न छुवें । केवल 'बी' वालों को लें और यही इतने ज्यादा होंगे कि इन्हीं का इन्तजाम करना आपके लिये डिफीकल्ट होगा । आप इनको कर नहीं सकेंगे । प्राईवेट इंस्टीट्यूशंस बिना सर्विस फीलिंग के नहीं चलाये जा सकते हैं । यदि आप नेशनलाईजेशन करेंगे तो कोई पब्लिक स्कूल नहीं खोलेगा ।

स्कूलों में अध्यापकों का प्राविडेंट फंड फंसा हुआ है । उसको आप जल्दी से जल्दी दिलाने की व्यवस्था कीजिये, क्योंकि इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं ।

वह लोग ठहरे हुये हैं, दो-दो तीन-तीन साल से । शिक्षा मंत्री को मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं, दो सौ आदमियों की जिनको प्राविडेंट फंड नहीं मिला है । मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं शिक्षा मंत्री उस तरफ ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मुझे शिक्षा मंत्री की बातें सुनकर बड़ी हैरत हुयी । हैरत इसलिये हुयी कि मैं इनकी किताब—शिक्षा की प्रगति—पढ़ रहा था । उसमें पहले वाक्य में "गुणात्मक" शब्द का प्रयोग हुआ है । लेकिन भाषण में गुणात्मक विकास के लिये कुछ भी नहीं कहा । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संख्या बढ़ाने से शिक्षा की प्रगति मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस प्रगति में भी यह बहुत पीछे हैं । मैं यह आंकड़े प्रस्तुत करता हूं । केरल में शिक्षा के है ६६.५४, महाराष्ट्र की है ५१.२८, मैसूर की है ४१.७८, पंजाब की है ४०.६। और आप कहां खड़े हैं ? आप हैं ३१.७४ और भारत में कुल है ३९.४। केवल सम्पूर्ण देश में ही पीछे नहीं है बल्कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनसे भी पीछे हैं । लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं । अगर शिक्षा को गुणात्मक बनाना है, तब तो कोई मतलब है, अगर केवल संख्या बढ़ानी है तो उसका कोई मतलब नहीं । उससे ऐसे ही नौजवान निकलेंगे जो आपका चरण चुम्बन करेंगे कि हमें नौकरी दो । इस सरकार ने शिक्षा के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है।

हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति आज भी, पचीस वर्ष के बाद कहता है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिये । कौन करेगा ? शिक्षा की प्रगति को देखकर मालूम होता है कि विदेशी और देशी सत्ताधारियों में केवल चमड़ी का अन्तर रह गया है और कोई अन्तर नहीं है । ऐसा लगता है कि राष्ट्र के निर्माता देश की जड़ों पर मट्ठा डाल रहे हैं । गांधी जी ने कहा था कि "सच्ची शिक्षा तो वही कही जायगी जो बालकों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों को प्रकट करती है, उनका विकास करती है। यदि उन्हें ऐसी शिक्षा मिले तो वह बकारी क लिये बीमा का काम दे सकती ह" । आज शिक्षा का आध्यात्मिक, बौद्धिक जीवन से कोई संबंध नहीं रह गया है, शिक्षा का शारीरिक श्रम से कोई संबंध नहीं रह गया है ।

जिस शिक्षा का जीवन से संबंध न हो, जिस शिक्षा का संबंध आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन से न हो वह कौन सा उत्पादन करेगी ? अगर शिक्षा में आमूल परिर्तन नहीं करेंग जो गांधी जी की योजना थी, वार्द्धा की, उसको नहीं अपनायेंग, अगर शिक्षा जीवन से और शारीरिक श्रम से संबंध न जोड़े तो ऐसी शिक्षा से कोई हल होने वा वाला नहीं है। अंग्रजी की बात कह कर प्राइस साहब रचनात्मक कार्यक्रम की ओर ध्यान दिलाते ह । प्राइस साहब हमको रचनात्मक कार्य सिखा रहे हैं । गांधी जी ने सारे विश्व को रचनात्मक कार्य सिखाया था और यह कहा था कि जिस प्रकार अंग्रेजो को भगा दिया उसी प्रकार अंग्रजी को भगा दो। (व्यवधान) ।प्राइस साहब बतायें कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा स्वदेसी भाषा न हो। क्या इंग्लैंड में या अमरिका म हिन्दुस्तानी सिखाई जा सकती है और उसे वहां की राष्ट्र भाषा बनाई जा सकती है ? मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि वह हरिजनों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने की बात करते हैं । वह जरा बतला दें कि हरिजनों का प्रतिशत क्या है शिक्षा में ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझे सम्बोधित करके भाषण दें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

हरिजन मंत्री होते हुये भी उन्होंने शायद कभी यह कोशिश नहीं की कि हरिजनों का प्रतिशत शिक्षा में क्या है? हरिजनों का प्रतिशत शिक्षा में बिलकुल नाम मात्र को है और यह व्यवस्था आज से नहीं ५ हजार वर्ष पहले से चली आ रही है जब मनु ने कहा था कि शिक्षा ब्राह्मण ही दे सकता है और क्षत्री, वैश्य उसे ग्राह्य करेगा तथा शूद्र उसे सुन भी नहीं सकता । इसलिये आज तक हरिजनों का शिक्षा में प्रतिशत नहीं के बराबर है। अभी पिछले वर्ष एक योजना चली थी । अनुसूचित जाति को उच्च शिक्षा देने के लिये बजट में प्राविधान किया गया था । जो प्राविधान दो-तीन वर्षों से हो रहा है उसमें क्या खर्चा हुआ? एक भी अनुसूचित जाति के छात्र को उच्च शिक्षा देने के लिये पैसा खर्च नहीं किया गया। हम इस पक्ष के नहीं हैं कि आज केवल योजना बना दें और राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण की बात कह दें । राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण ही है। जनतंत्र में शिक्षा के लिये आवश्यक है वह स्वावलम्बी हो । शिक्षा कौन देगा, गुरुजन देंगे । सरकार का काम है केवल धन देना । अगर सरकार शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध करेगी तो सरकारें बदलती रहती हैं, दृष्टिकोण बदलते रहते हैं और इस प्रकार शिक्षा में राजनीति का प्रवेश हो जायगा । इसलिये शिक्षा में राष्ट्रीयकरण की बात न की जाय ।

आज परिक्षार्थी शिक्षार्थी नहीं है । आज १०० में ९९ परीक्षार्थी नकल करते हैं और इसका कारण यह है कि नौकरी से डिग्री का संबंध जुड़ा हुआ है। जब तक यह संबंध रहेगा लड़कों में यह प्रवृत्ति रहेगी कि अच्छी डिग्री उनको मिलेगी तो अच्छी नौकरी वह पा जायेंगे और इसलिये उनमें नकल की प्रवृत्ति बढेगी इसलिये डिग्री और नौकरी का संबंध तोड़ों जब विभागों की सेवायोजकों की जरूरत पड़े तो आज आप इनकी परीक्षा लेते वे स्वयं परीक्षा प्रतियोगात्मक ले और उसके आधार पर नियुक्ति करें और कभी वे भी परीक्षा लेंगे । इसलिये जो परीक्षा की वर्तमान प्रणाली है उसको सरकार को तुरन्त बदल देना चाहिये और अन्य देशों की तरह जिस प्रकार मासिक परीक्षायें ली जाती हैं, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिये । इस ढंग पर आप परीक्षा लें तो प्रदेश का भला हो सकता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप डिवीजन भी समाप्त कर दें इससे यह होगा कि जो नकल करने की प्रवृत्ति कम हो जायेगी। सबके लिये पुस्तक परीक्षा में रखने की छूट होनी चाहिये ताकि जो योग्य लड़के होंगे उनका इसमें भी निखार होगा । तो ये सब बातें हैं शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की ।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

हम शिक्षा छात्रों को दे रहे हैं और वे गुमराह हो रहे हैं और गुमराह कौन करते हैं---नेता लोग । माननीय मंत्री जी और हमारे ऐसे लोग उनको राजनीति में वोट इकट्ठा करने के लिये लेते हैं । जिससे आज वे योग्य साबित नहीं हो रहे हैं । जिसकी पूर्ति के लिये आज देश को जरूरत है वह पूर्ति उनसे नहीं हो पा रही है इसका क्या कारण है । उदाहरण के तौर पर यदि आज देश को किसी मिस्त्री या इंजीनियर की आवश्यकता है तो उसे जर्मनी या रूस से मंगाना पड़ता है और वहां से आदमी आता है क्योंकि यहां के शिक्षार्थी को उसके योग्य नहीं समझा जाता । इसका कारण यह है कि यहां पर छात्रों के लिये कोई राह नहीं है । महात्मा गांधी ने ८ जनवरी, १९४२ को अपनी प्रार्थना सभा में स्पष्ट कहा था कि---"विद्यार्थियों का पक्ष एक है---विद्यार्थी तो विद्याभ्यास करते हैं, सारे मुल्क के लिये---अपने काम के लिये नहीं अपना पेट भरने के लिये नहीं---अपना काम निकालने का तो दूसरी तरह से ही हो सकता है पहले ऐसा होता था, आज तक ऐसा होता था लेकिन अब तो बागडोर हमारे हाथ में आ गई है तो विद्यार्थी ज्यादा चाहिये और सच्चे विद्यार्थी चाहिये---उनको सब की सेवा करनी चाहिये, विद्याभ्यास करना चाहिये, उसको अजम करना चाहिये और उनको इस पर अमल करना चाहिये । विद्यार्थियों के लिये समाजवाद है नहीं, कम्युनिजम है नहीं, कांग्रेस है नहीं---उनका एक काम है विद्याभ्यास करना जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, हड़ताल उनके लिये निकम्मी है---यह सबके लिये घातक है"। ये गांधी जी के शब्द हैं। आप कहते हैं कि यूनियन अध्यादेश समाप्त हो गया । मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि राजनीति में धोखाधड़ी के अलावा और क्या हो सकता है । जब बी०के०डी की सरकार थी उस समय माननीय चतुर्भुज शर्मा शिक्षा मंत्री थे उस समय शिक्षा पद्धति के लिये सारे प्लान बनाये गये थे आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं उनके सारे अधिकार लेना । एक हवा मचा दी गई कि चौधरी साहब ने यूनियनें खत्म करा दीं । चौधरी साहब यह चाहते थे कि विद्यार्थियों के लिये एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम बनाया जाय ताकि उनका भावी उत्थान हो सके । सांस्कृतिक कार्यकलापों से चौधरी साहब ने केंद्रीय यूनियन के अलावे चार यूनियनें विभिन्न कार्यों की प्रगति के लिये बनाई थी । किन्तु उसमें उल्लेख था कि २५ वर्ष तक के विद्यार्थी यूनियन में मांग नहीं लेंगे । उन्होंने यह भी कहा था कि २५ वर्ष तक के विद्यार्थी पदाधिकारी नहीं होंगे ।

श्री राजमंगल पांडेय---

एक स्पष्टीकरण चाहता था । एक वक्ता का यह कहना कि लड़कों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिये, यह ज्ञान मान्यवर, आपको बी०के०डी० में आने पर हुआ है या जब एस०एस० पी० में थे तब भी था ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

हमारे विचार पूर्ववत्, पहले से थे । जब मैं सोशलिस्ट पार्टी में था तब भी यही विचार थे और मैं शुरू से उसी विचार का हूं ।

माननीय मंत्री जी ने एक प्रौढ़ शिक्षा की स्कीम बना दी । किसान साक्षरता योजना, नगरपालिका में प्रौढ शिक्षा और ग्राम शिक्षा योजना---ये तीन प्रौढ़ शिक्षा योजनायें हैं । प्रतापगढ़ में यह नहीं होगी, बलिया में तो है ही नहीं और साढे सात लाख रुपया रख दिया । बड़ा आश्चर्य होता है। आप एक योजना बता दें इन तीन योजनाओं में से कि एक भी जगह जाकर आपने निरीक्षण किया हो और अगर किया तो उनको सही पाया ? मेरा दावा है कि ये योजनायें कागजी हैं इन्हें पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

नरसरी शिक्षा ले लीजिये । ग्राइस साहब ने कहा कि फीस देते हैं और पढ़ाई होती है । आप इतने वर्षों के समाजवादी बनते हो, ऐसी व्यवस्था तो पूंजीवादी देश अमेरिका में भी नहीं है । लड़कों में जन्म से ही शिक्षा में विषमता मत रखो, धन को तरक्की का माध्यम न बनाओ । पहले तो हमें देखना है कि नरसरी पर क्यों पैसा दिया जाय जो ऐसी

खर्चीली शिक्षा है कि ६ रुपये १० रुपये देकर ही कोई मां-बाप स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ग्रामीण स्कूल हैं, नगरपालिका है, टाउन एरिया में जो स्कूल हैं उन लड़कों की फीस तो लेते नहीं। एक-डेढ़ आना खर्चा करते होंगे। तो एक-डेढ़ आना खर्चा करें गरीब और ६ रुपया धनी का हो और तुम उन्हीं को पैसा देना चाहते हो। न गरीबों के स्कूल में टाट का इन्तजाम है, न भवन का इन्तजाम है। तो कोई भी समाजवादी समता में विश्वास करने वाला इनसान जो इनसान में विश्वास करता है वह कभी भी कबूल नहीं कर सकता कि छोटे-छोटे बच्चों में नरसरी शिक्षा के नाम पर धनी लड़कों के पढ़ाने के लिये अलग स्कूल, गरीब लड़कों के लिये अलग स्कूल। अगर जन्म से आपने यह अन्तर डाला तो गरीब और धनी में एका नहीं हो सकता तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कृष्ण और सुदामा की। एक ही स्कूल में पढ़े थे उस कारण ही जब कृष्ण के पास सुदामा जाता है तो उनका प्यार उमड़ पड़ा था और आंखों से आंसू बहते हैं। अगर ऊंच-नीच का भेदभाव बचपन से फैलाया और चाहो कि विषमता खत्म हो जायगी तो कभी खत्म नहीं होगी।

एक आपकी है "बाल आहार योजना"। ऐसा लगता है कि मंत्री लोगों के घर यह आता है या डाक्टर लोगों के यहां, लड़कों के गले में नहीं उतरता। मैं चुनौती देता हूं कल, परसों मेरे साथ चलें। स्वयं जाकर स्कूल के लड़कों से पूछ लें और गांव में जाकर अध्यक्ष से पूछ लें कि कहीं भी दिया जाता है? कहीं नहीं दिया जाता और इतना गबन होता है। यह ४ करोड़ रुपया की खाद्य सामग्री विदेशों से मंगाते हैं और कहते हैं कि आत्म-निर्भर हो गये हैं। विदेशों से इनको उपहार मिल रहा है, लड़कों का पेट पालने के लिये उपहार ले रहे हैं। यह तो दान ले रहे हैं विदेशों से और नीचे से ऊपर तक सब कर्मचारी खा जाते हैं और अपव्यय भी हो रहा है। १९७०-७१ में दिखाया गया है कि बांटने में ४०.०३ लाख रुपया खर्च हुआ। मैंने तो कभी बंटते देखा नहीं। तो अगर समाजवादी बनते हो तो अपनी शिक्षा की दिशा को बदलो। इसके लिये जरूरी है कि आपके हर विश्वविद्यालय के साथ छोटे उद्योग-धंधे, कृषि फार्म संबंधित हों। हमारे लड़के ने इन्टर पास कर लिया लेकिन वह खेती करना जानता नहीं। बी० ए०, एम० ए० पास कर लिया मगर छोटे उद्योग-धंधों के बारे में कोई जानता नहीं। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा जनोपयोगी हो तो अगर प्राइमरी से नहीं हो तो हर माध्यमिक विद्यालय को कुटीर उद्योगों से जोड़ना होगा। अगर यह नहीं करते तो जितना रुपया आप शिक्षा पर खर्च करते हैं वह सब बेकार है। बंगला देश का अभ्युदय आप लोगों ने कराया है। वहां सब चीज गड़बड़ थी। उसी तरह से यह देश उभड़ेगा और जैसा गांधी जी ने कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब खद्दरधारियों को जनता पकड़-पकड़ कर पीटेगी।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने शिक्षा जैसे अनुदान पर मुझको बोलने का अवसर प्रदान किया। शिक्षा राष्ट्र की आधारशिला होती है। वही राष्ट्र उन्नति करता है जिस राष्ट्र का शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है। फ्रान्स के महान सेनापति नेपोलियन "जब कभी अपने विद्यार्थियों से पूछते थे कि आपकी शिक्षा का क्या उद्देश्य है तो उनको उत्तर मिलता था कि शिक्षा का उद्देश्य हमारा केवल यही है कि हम चरित्रवान हों और हमको इस प्रकार की प्रेरणा मिले कि हम अपने देश के प्रति प्राण न्योछावर करने के लिये तैयार रहें जिससे संसार में हमारे राष्ट्र का सम्मान हो। परन्तु हमारे देश और प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है, जो लार्ड मैकाले द्वारा थोपी गयी है, जिसका उद्देश्य अपने स्वार्थों को सिद्ध करना था वह आज हिन्दुस्तान की जनता के लिये एक अभिशाप है। उसके द्वारा इस देश के नागरिकों को अनुशासनहीनता

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

मिली, इस देश के नागरिक पतन की तरफ बढ़ते गये जिसके कारण उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा । हमारे देश और प्रदेश के अन्दर शिक्षा को तीन भागों में विभक्त किया गया है । पहिला, प्राइमरी शिक्षा । जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्ति भली भांति परिचित है कि आज प्राइमरी शिक्षा का स्तर 'ना' के बराबर है । यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें तो कहीं पर बिल्डिंग नहीं है, यदि बिल्डिंग है तो उसके ऊपर छत नहीं है और यदि छत है तो बैठने के लिये फर्श नहीं है और यदि फर्श भी है तो अध्यापक नहीं है इसमें सरकार का भी दोष है और आपका (विरोधी पक्ष की ओर इशारा करके) आपका भी दोष है

श्री जगन्नाथ खन्ना—

माननीय सदस्य ने कहा कि यह हमारा दोष है । तो यह जो दल बदला वह भी हमारा दोष है क्या ?

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

जरा स्पष्ट कर दीजिये, उत्तर दे दूंगा ।

हमारी प्राइमरी शिक्षा के पतन का मुख्य कारण यह है कि उसके ऊपर जो हमारा व्यय हो रहा है वह बहुत कम है । जब कि दूसरे देशों में प्राइमरी शिक्षा पर बड़ी मात्रा में धन व्यय किया जाता है । दूसरे देशों में १:३ का अनुपात है जबकि हमारे यहां हिन्दुस्तान में १:२० का अनुपात है । इससे हमारे प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं । यह हमारी प्राइमरी शिक्षा का दोष रहा है कि हमारे शिक्षक अपने वेतन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं । इसलिये उन अध्यापकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूसरी तरफ देखना पड़ता है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे बजट में प्राविधान रखें जिससे इनको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान हो सके ।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत इंटर तक की शिक्षा आती है । यहां के अध्यापकों को भी अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के साधन नहीं मिल पाते हैं । जिसके कारण गतावरोध उत्पन्न होता रहता है । हमारा शिक्षक मांगता है कि यह हमारे लिये बड़ा भारी अभिशाप है क्योंकि किसी देश में ऐसा देखने में नहीं आता है । इसके ऊपर ठंढे दिमाग से सोचना होगा कि ऐसी समस्यायें हमारे यहां क्यों हैं ? इस देश का निर्माता दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाता है ? अगर वह दूध लेने जाता है तो वह भी उसको नहीं मिलता है क्योंकि दूध वाला कह देता है कि मास्टर साहब गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, परन्तु उसका कोई समय निश्चित नहीं है । आज कल जी० ओ० २० तारीख को वेतन देने का आदेश हो गया है लेकिन उसको २७ से पहले वेतन नहीं मिल पाता है । इसको सरकार को देखना होगा ।

जहां तक शिक्षा प्रणाली का संबंध है इसमें आमूल परिवर्तन करना होगा । एक पुराना ढांचा चला आ रहा है और हम लकीर के फकीर बनते चले आ रहे हैं जिससे आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है । पेपर के सेटिंग में भी पक्षपात बरता जाता है । यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स से इंटर का पर्चा सेट कराया जाता है । इंटर के अध्यापकों पर विश्वास नहीं किया जाता है और कहा जाता है कि वे लोग योग्य नहीं हैं । उसके ऊपर शंका की जाती है । यहां तक देखा है कि प्रान्तीय शिक्षा दल के कमांडर को भी कापियां एक्जामिन करने के लिये दी जाती हैं जब कि उनको न प्रैक्टिकल की और न थ्योरी की कापियां दी जानी चाहिये । वे लोग सब्जेक्ट की ए० बी० सी० भी नहीं जानते हैं । इस तरह का अन्याय ठीक नहीं है । कानपुर में डी० ए० वी० इंटर कालेज में इस साल १९७१ का अंग्रेजी पेपर ही लड़कों को दे दिया गया । सारी अथारिटीज को फोन किया गया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ और उनको वही पेपर करना पड़ा । हमारा बोर्ड बहुत बड़ा हो गया है उसमें १३ लाख विद्यार्थी बैठते हैं । इसलिये ये समस्यायें होती हैं । इस बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है । दिन प्रति दिन यूनिवर्सिटीज बढ़ती जा रही हैं और राजनीति के आखाड़े खुलते जा रहे हैं । जितनी यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगी उतनी अनुशासनहीनता बढ़ेगी । इसमें पीछे दो रायें

नहीं हैं आपने देखा होगा कि देश में जो कुछ विश्वविद्यालय थे तो हमारे लीडर्स भी कुछ थे और जब विश्वविद्यालयों की तादाद बढ़ गयी तो लीडरों की तादाद भी बढ़ गयी। क्योंकि हर विश्वविद्यालय के यूनियन का प्रेसीडेंट एक नया लीडर बन जाता है और सरकार के सामने एक नयी समस्या पैदा करता है। इसलिये सरकार को नये विश्वविद्यालयों की मान्यता देते समय ठंढे मस्तिष्क से सोच लेना चाहिये। जहां शिक्षा का उद्देश्य देश का आध्यात्मिक विकास करना है उसके साथ-साथ उसका उद्देश्य देश और प्रदेश के छात्रों को चरित्रवान बनाना भी है, उनको अनुशासित बनाना भी है।

मेरठ विश्वविद्यालय के बारे में मेरा कहना यह है कि वह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अभी कुछ ही समय पहले स्थापित हुआ और वहां सबसे पहले साइमेस्टर सिस्टम को चालू किया गया है। धनाभाव के कारण कुछ समस्यायें उसके सामने हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको अधिक से अधिक अनुदान दिलाने का प्रयत्न करें जिससे परीक्षा की नयी जो प्रणाली चलायी गयी है वह पूर्ण रूप से सफल हो सके।

दूसरी बात विश्वविद्यालय के संबंध में यह है कि कानपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और मेरठ विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों ने सरकार को सिफारिश की है कि उनको एम० ए० के अन्दर सैन्य अध्ययन की क्लासेज चलाने दिया जाय। अभी तक यह विषय केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पढ़ाया जा रहा है। जबकि सरकार जानती है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के काम में कितना हित हो सकता है। पता नहीं क्या कारण जिसकी वजह से उन को अनुमति इसके लिये नहीं दी जाती है। उसके लिये कह दिया जाता है कि उसको पढ़ाने में क्या लाभ है। गवर्नर साहब ने कह दिया कि इससे क्या लाभ होगा। जिस प्रकार से और विषय पढ़ाये जाते हैं और उनसे छात्रों को जो लाभ होता है वह इससे भी होगा। इस प्रकार की जो समस्यायें हैं, मंत्री जी को उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिये और इस विषय में निर्णय लेना चाहिये। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कानपुर, मेरठ और गोरखपुर विश्वविद्यालय में सैन्य अध्ययन में एम० ए० क्लास की पढ़ाई करने की अनुमति इसी वर्ष दी जाय।

हमारी शिक्षा की कोई प्लानिंग नहीं है। जब कि दूसरे देशों में शिक्षा की प्लानिंग की जाती है लेकिन हमारे देश में कहीं भी उसकी प्लानिंग होती नहीं है। विदेशों में प्लानिंग के आधार पर यह तय किया जाता है कि हमको कितने इंजीनियर की आवश्यकता है और कितने डाक्टर की आवश्यकता है और कितने छात्रों की उद्योग के लिये आवश्यकता है। इस प्रकार की प्लानिंग के बाद ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क को टेस्ट किया जाता है और जिस ओर विद्यार्थी की रुचि होती है उसी प्रकार की उसको शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि दूसरे राष्ट्रों में बेरोजगारी नहीं है किन्तु हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि २५ वर्षों की आजादी के बाद भी हमारे यहां शिक्षा की प्लानिंग नहीं होती है इसके कारण हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है। लड़के डिग्री लेकर बेकार फिर रहे हैं। खाली मस्तिष्क तो शैतान का घर होता है। जब उसको काम नहीं मिलेगा तो तोड़ फोड़ तो वह करेगा ही। उपाध्यक्ष जी, मैं प्रमाण स्वरूप ही कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारे यहां स्नातकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज ५० हजार स्नातक डिग्री लिये घूम रहे हैं और सरकार केवल एक वर्ष एक हजार विद्यार्थियों को काम दे पाती है। ४९ हजार हर साल बेकार रह जाते हैं। इसके लिये हमें योजना बनानी चाहिये कि विद्यार्थियों को टेकनिकल विषयों की ही शिक्षा दें जिससे बेरोजगारी न बढ़ सके। उन्हीं विषयों की शिक्षा हम दें जिनकी हमें आवश्यकता है। इसके लिये हमें टेकनिकल शिक्षा प्रणाली चालू करना होगा। सभी कालेज के व्यावसायिक शिक्षा दें, किसी में कुटीर धंधों की शिक्षा दें और किसी में मशीनरी बनाने की शिक्षा दें। इस प्रकार पढ़ने के साथ ही साथ वे छात्र दस्तकारी भी सीखते जायं। उस दस्तकारी से जो धन प्राप्त हो उससे ही वह अपना काम चलायें। पढ़ाने के लिये उनको किसी भी प्रकार का अनुदान देने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

आज वह सरकार के ऊपर निर्भर रहते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाय और व्यावसायिक शिक्षा की तरफ अधिक जोर दिया जाय। मेरी राय में पढ़ाई के घंटे कम और व्यावसायिक शिक्षा के घंटे अधिक होने चाहिये। आज हमारे यहां स्नातकों की संख्या बराबर बढ़ रही है। सन् ५०-५१ में उनकी संख्या ढाई लाख थी जो १९७० में बढ़कर २० लाख हो गई और अनुमान यह है कि सन् ७५-७६ तक उनकी संख्या ५० लाख हो जायगी। सोचने की बात यह है कि ५० लाख विद्यार्थियों का जब मस्तिष्क बिलकुल बदल जायगा और नौकरी की समस्या उनके सामने होगी और उनको जब कोई काम नहीं मिलेगा तो वह करेंगे क्या ? वह दूसरा रूप ले सकते हैं और उसका उत्तर-दायित्व हम सब पर होगा, चाहे हम सरकार पक्षमें हों या विरोध पक्षमें हों हम सब पर उसका उत्तरदायित्व होगा। वह हमारे ही बच्चे हैं हमें ठंढे दिमाग से सोचना चाहिये कि राजनीति से दूर होकर हम किस तरहसे इन विद्यार्थियों के भविष्य की ओर ध्यान दे सकते हैं, वही हमारे राष्ट्र निर्माता होने वाले हैं और जिनके कन्धों पर देश का भार आने वाला है।

इसके अतिरिक्त यह भी देखने की बात है कि आज हमारे यहां ग्रामीण शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है। भारतवर्ष की ८७ प्रतिशत जनता देहात में निवास करती है और देश के सभी रहने वाले उन्हीं के उत्पादन से पोषित होते हैं लेकिन उन ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है यदि आप उसको देखेंगे तो आश्चर्य होगा।

श्री जगन्नाथ लशा—

जमीन पैर के नीचे से तो खिसक सकती है लेकिन आंखोंके नीचे से कैसे खिसकती है ?

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

केवल १२ प्रतिशत विद्यार्थी ही हमारे यहां उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं जब कि ८७प्रतिशत जनता देहात में निवास करती है और उन पर केवल ८ प्रतिशत धन व्यय किया जाता है। इस तरह से आप कैसे उन क्षेत्रों का विकास कर सकेंगे। मेरा सुझाव है कि देहाती क्षेत्र की शिक्षा पर अधिक से अधिक व्यय किया जाय क्योंकि भारत का भविष्य नगरों पर नहीं वरन् देहात पर ही निर्भर करता है।

इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि मेरे टूटे फूटे सुझावों पर विचार किया जाय और मंत्री महोदय उनको कार्य रूप में परिणित करने की कृपा करें।

(श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम १८९ में (क) (ख) (ग) में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के ३ ढंग दिये गये हैं। तीनों का ध्येय अलग-अलग है। यहां इस समय एक प्रकार के कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है लेकिन (ग) में जो १०० रुपया कम करने का उद्देश्य है उसके प्रस्तावक को आप कब समय देंगे। तीनों तरह की कटौतियां अलग-अलग हैं। अगर एक ही प्रकार की सब कटौती होतीं तो सारे विरोधी दल के भाषण उस पर ही हो जाते लेकिन अलग-अलग कटौतियों पर आपको प्रस्तावकों को समय देना चाहिये। एजेंडे के नम्बर १३ पर मेरी कटौती है तो नियम १८९ (ग) के अनुसार हमारा समय कटौती रखने का कब आयेगा, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कटौती का प्रस्ताव तो प्रतीक है, एक ही लिया जाता है लेकिन उस पर सब को मौका मिल जाता है। आप को भी मौका दिया जायगा, आप भी उसके समर्थन में अपना मत व्यक्त करें

सकते हैं उसमें (कटौती प्रस्ताव) में लिखा हुआ है कि किसी भी मांग की राशि कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा।

चौधरी रामपालसिंह यादव—

श्रीमन्, क, ख और ग अलग-अलग हैं। यदि एक ही किस्म के प्रस्ताव हों तो सब मूल के हो जायेंगे लेकिन ये सब अलग-अलग हैं तो इनके लिए प्रस्तावक महोदय को समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जो नियम हैं मैंने पढ़ कर सुना दिया है। आपको समय दूंगा। उस समय आप रखियेगा।

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस शिक्षा के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी ऐसा समझता हूं कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यह ऐसा विषय है जिससे कि इस देश और इस प्रदेश का भविष्य बनने वाला है। इसलिए आपकी अनुमति से मैं भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हो गया हूं। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि इस आजाद देश में सबसे बड़ी जो चीज उपेक्षित रही, वह शिक्षा है। आजादी मिलने के बाद नहीं उसके बहुत पूर्व से जब-जब भी हमारे राष्ट्र के नेता इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हुए, उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस देश की शिक्षा प्रणाली को बदलना बहुत आवश्यक है। प्रायः यह विचार प्रकट किया जाता रहा है कि इस देश में जो शिक्षा चल रही है वह सिर्फ क्लर्क पैदा करने के लिए ही है। इसमें आमूल परिवर्तन, राष्ट्र के निर्माण के हित में बहुत आवश्यक है लेकिन इतने दिनों बाद आज तक क्या कोई मूलभूत परिवर्तन शिक्षा प्रणाली में हुए, क्या किसी भी स्तर पर यह सोचा गया कि यह जो ढांचा हमारी शिक्षा का है, उसको बदला जाय, जिसकी हम आलोचना करते हैं या अंग्रेजों द्वारा लादी हुई है, या गुलामी की शिक्षा देते थे? आज भी वह प्रणाली ज्यों की त्यों बनी हुयी है। बल्कि कुछ और विकृत हो गयी है। उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश के स्तर पर कोई नीति निर्धारित नहीं हुयी है। केन्द्र ने भी शिक्षा को कभी महत्व नहीं दिया है और कभी राष्ट्रीयस्तर पर पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए कोशिश नहीं की गयी है। हमारे प्रदेश में भी हालांकि बहुत ऊंचे किस्म के विचारक लोग शिक्षा मंत्री हुए लेकिन कोई भी मौलिक परिवर्तन करने में वे कभी सफल नहीं हुए या करने की कोशिश नहीं की। जब मैं पैदा हुआ था उस समय जो कैरीकुलम था वही आज भी बना हुआ है बल्कि उसमें कुछ थोड़ी से गड़बड़ी इस तरह से आ गयी है कि उसको और बदतर बना दिया है।

किताबें हर साल बदलती हैं लेकिन उनका स्तर ऐसा होता जा रहा है कि मुझे एक घटना का स्मरण करके बड़ा दुःख होता है। मैं एक दिन देहात के दौरे पर गया था। मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे अध्यापक जी पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को। ब्लैक बोर्ड पेड़ के तने में लगा हुआ था। उन्होंने उस पर कुछ लिखा हुआ था, मने उसको गौर से पढ़ने की कोशिश की। देखा तो उस पर अध्यापक जी व्याकरण पढ़ा रहे थे। देखा कि एक वाक्य उन्होंने उस पर लिख रक्खा है। जिसमें वे बता रहे थे कि कौन संज्ञा है और वे बिलकुल गलत बता रहे थे। मैं रुक गया और मने अध्यापक जी को बुलाया और पूछा कि आप तो पढ़े-लिखे आदमी हैं। ब्लैकबोर्ड पर जो लिखा हुआ है वह सही है। तो उस पर उन्होंने कहा कि सही तो मुझे भी नहीं मालूम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह]

होता लेकिन मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्या है। किताब उठा लाये। किताब में जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रेस्क्राईब्ड किताब—सरकारी प्रकाशन की है उसमें वह वाक्य बिल्कुल गलत लिखा हुआ था। उसकी संज्ञा गलत लिखी हुई थी। अध्यापक ने कहा कि मैंने नकल कर दी। यह किताब है, मैं क्या पढ़ाऊं। धांधली है आये दिन किताब बदल जाती है विभाग की तरफ से। नई किताबें रख दी जाती हैं। कोई देखता नहीं है कि क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है। इसको पढ़कर लड़के क्या सीखेंगे। मैं नहीं समझता कि यह कौन सी नीति है, कौन सी पालिसी है। यह तो मोटी सी मिसाल है। लेकिन मैं कुछ ज्यादा विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करना चाहता हूं।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

आप किताब का नाम तो बता दीजिये।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

कोई बेसिक रीडर रही थी...

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, किसी बेसिक रीडर में तो गलती नहीं है। बेसिक रीडर तो मैंने सब पढ़ी हैं। किसी में गलती नहीं ह किसी और पुस्तक में होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जानते हैं, आपने सब पढ़ी हैं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मुझे कौतूहल हुआ था, मैंने किताब मंगा कर देखी थी। अध्यापक ने किताब दिखाई, इसमें क्या गलती हो सकती है। आखिर यह तो मैंने एक मिसाल दी। लेकिन बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह कि शिक्षा विभाग ने यह तो जरूर कोशिश की कि क्वान्टीटी बढ़ाते जायं और शिक्षा का प्रसार हो। आप ज्यादा पढ़े, और और शिक्षा इस कदर बढ़ती गई—जैसा कि हमारे एक साथी कह रहे थे कि बराबर कालेजेज खुलते जा रहे हैं और बराबर लड़के पास होते चले जा रहे हैं भयंकर रूप से बेकारी है। हमारी समझ में यह नहीं आता कि तीसरी डिवीजन में लड़कों को पास क्यों किया जाता है,। थर्ड डिवीजन में पास करने का क्या मतलब ह। थड डिवीजन वालों को वान्ट में जगह नहीं मिलती है हर जगह सेकेंड या फर्स्ट डिवीजन को लिया जाता है। यह लिखा होता है कि थर्ड डिवीजन वालों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं ह। और सब से ज्यादा तादाद उनकी होती है। इससे अच्छा तो यह है कि ऐसे लड़के फेल हो जायं और सेकेंड और फर्स्ट डिवीजन में पास होने का उनको मौका हो। थर्ड डिवीजनर्स इतने बढ़ रहे हैं देश में उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं ह ....

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

लड़कों को फेल ही क्यों किया जाय कोई और तरीका बता दीजिये।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

थर्ड डिवीजन पास करने में क्या फायदा। वह तो हर जगह मारा जाता है और दुतकारा जाता है क्या फायदा, उसका कहीं एडमीशन भी नहीं होता है। थर्ड डिवीजन इन्टरमीडिएट पास बी० एस० सी० में भरती नहीं होता। उसको कम कर दिया जाय। बात यह है, मैं तो उस बात को मानता हूं महोदय—प्राचीन भारत में हर किसी के लिये इस बात की छूट नहीं थी कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मैंने पढ़ा ह ....

श्री रामगोपाल संड—

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दें कि क्या मंत्री लोग थर्ड डिवीजनर्स हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये मैं व्यवस्था को सुरक्षित रख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

मैं बता रहा था कि प्राचीन भारत में नालन्दा में प्रवेश करने के लिये एक द्वार पंडित हुआ करता था। वह पहले प्रवेश करने से एक परीक्षा लिया करता था। जब वह समझता था कि यह विद्यार्थी उच्च शिक्षा का पात्र है तो उसको आगे उच्च शिक्षा में भर्ती के लिये रक्खा जाता था अन्यथा उसको दूसरे मार्ग में मोड़ने की कोशिश की जाती थी। आप क्यों नहीं प्रतिबन्ध करते कि अच्छे विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करें और बाकी लोग टेक्नीकल लाईन में जायं। सब बी० ए० और एम० ए० की डिग्री लेकर बेकार घूमते हैं। दूसरी बात यह कि जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में क्यों नहीं विचार किया जाता। जब कि आये दिन छुरे निकलते हैं, नकल होती है। कितनी बड़ी प्राब्लेम हो जाती है। पी० ए० सी० तैनात करनी पड़ती है। अध्यापकों का जीवन सुरक्षित नहीं रहता है और शिक्षा प्रणाली उसी तरह से बनी हुई है। क्या जरूरत है इस तरह के इम्तहान की। इम्तहान लेना बन्द कर दिया जाय। जो विद्यार्थी रेगुलर सौ दिन में से अस्सी दिन जाता है उसको पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाय। इसी तरह से उसको पास कर दिया जाय।

हर चीज में कम्पीटीशन होता है। मेडिकल कालेज में भरती होना चाहते हैं तो मेडिकल कालेज इम्तहान लेना चाहता है। अगर उस कम्पीटीशन में कम्पटीट करता है तो उसको मेडिकल कालेज में लीजिये वरना कह दीजिये कि जाइये। आपका तो हर चीज में इस तरह से काम्पीटीशन होता है। परीक्षा लेने की क्या जरूरत है। अगर सौ दिन में बराबर अस्सी दिन रेगुलर क्लासेज अटेण्ड की हैं, पढ़ा है तो उसको पास कर दीजिये। अगर उसमें योग्यता होगी तो वह नौकरी पा जायेगा। स्थान मिल जायेगा नहीं तो नहीं सही। लेकिन कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना चाहिये। हमने देखा कि कई संस्थाओं में और विद्यालयों म यह भी प्रयोग किया गया है कि विद्यार्थियों से कहते हैं कि कोर्स की सब किताबें लेकर परीक्षा में आइये। कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके लिये भी तो अक्ल चाहिये कि परीक्षा में क्या पूछा गया है उसको छांट कर लिख दें। लेकिन इसमें इतना नियंत्रण लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ परीक्षा की प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक है वरना रोजमर्रा के झगड़ बन्द नहीं हो सकते।

दूसरी बात मैं यह समझता हूं कि आखिर यहां के विद्वान् लोग विदेशों में जाते हैं। वहां अध्ययन करते हैं। किस तरीक से वहां शिक्षा दी जाती है। यहां भारत सरकार ने कितने कमीशन बैठा दिये हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में सबकी रिपोर्ट है। इस तरह स इसमें परिवर्तन होना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर य कमीशन क्यों बनाये जाते हैं। वे लोग क्यों रिपोर्ट देते हैं। इतन बड़-बड़े शिक्षाविद् जो दुनिया को देख हुए हैं वे बताते हैं कि इस तरह की लाइन पर शिक्षा को चलाना चाहिये तो क्यों नहीं सरकार उनकी रीति को ग्रहण करती। क्यों नहीं उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात सोचते। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आखिर होगा क्या? आज जो दुर्दशा है। बड़े शहरों में कुछ अच्छे स्कूल भी

[श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह]

जहां थोड़े विद्यार्थियों को प्रवश मिल जाता है। बड़ा महंगा प्रवेश है वहां जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकता है। लेकिन जिलों के हेडक्वार्टर्स पर और देहातों में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। आप इससे परिचित होंगे ही। प्राइमरी एजूकशन की वहां क्या दुर्दशा है। जिला परिषदों के स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई होती है। म्यूनिसिपल बोर्ड क स्कूलों में किस तरह से पाई होती है। जो विद्यार्थी दाखिल हो जाते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है। यह सही बात है कि सरकार ने इरादा जाहिर किया है कि प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों तक सब विद्यालयों को वह ले रही है लेकिन वह कब तक पूरा होगा उसके बारे में सरकार ने कुछ बताया नहीं और मैं जहां तक समझता हूं वह नीति जरूरत स्वीकार कर ली है लेकिन अभी दो चार वर्षों में और छः वर्ष में हमको आशा नहीं कि सरकार सबको अपने अधिकार में ले लेगी। लेकिन कम से कम जिले के हेडक्वार्टर्स में कुछ एक अच्छे विद्यार्थियों के लिये सरकारी तौर पर स्कूल चलाये जाने चाहिये। जैसे कि हर एक जिले में एक इन्टरमीडिएट कालेज चलता है लड़कियों के लिये स्कूल चलते हैं—छोटे बच्चों के लिये कोई नमूने का स्कूल कहीं सरकार ने खोला है तो प्राइमरी शिक्षा पर जो सबसे आवश्यक चीज है और बुनियाद है उस पर तो कम से कम ध्यान है। गांधी जी ने अपने जमाने में यह प्रयोग किया था बुनियादी तालीम पर और उसी ढंग पर यह शिक्षा ली थी जिसकी आज यह दुर्दशा है। जब तक कि प्राइमरी शिक्षा जो सरकार का सबसे प्रमुख कार्य है उसकी बहुत ही अच्छी व्यवस्थित ढंग से प्रबन्ध नहीं होगा और हर एक विद्यार्थी को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने की सुविधा नहीं होगी, शिक्षा का स्तर कदापि ऊंचा नहीं उठ सकता। अगर प्राईमरी शिक्षा का सुधार न होगा, भले ही शिक्षा का प्रसार हुआ हो, तब तक हालत ठीक नहीं हो सकती। हमें प्राइमरी शिक्षा प्रोत्साहन देना होगा और शिक्षक कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, उसको देखना होगा लेकिन आज देखने वाला कोई नहीं है। यही कारण है जब बालक किसी न किसी तरह से इम्तिहान पास करके निकलते हैं तो उनको ऊंची शिक्षा में किस प्रकार से उनका सुधार हो सकता है। अगर प्राइमरी शिक्षा अच्छी नहीं हुई तो आगे वे सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसमें सन्देह नहीं है। इसलिय कम से कम सरकार अपना सबसे ज्यादा ध्यान प्राइमरी शिक्षा की तरफ लगावें।

आज शिक्षा विभाग पर इस प्रदेश के लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है, लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज तक अंग्रेजी का वही स्थान बना है जो आजादी के पहले था। पता नहीं किसी तरह से लोगों के मन से यह बात निकलती नहीं। आज भी इस जमान में जो हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्कूल हैं, उन्हें लोग अंग्रेजी स्कूल के नाम से कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। देश के स्वतंत्र होने के बाद भी अंग्रेजी को इतना अधिक प्रश्रय मिले और उसके साथ ही साथ और चीजें गौड़ समझी जायं यह बड़ अफसोस की बात है। अगर शिक्षा विभाग इस बात पर ध्यान दे और अंग्रेजी के महत्व को घटावे तो कुछ दिनों के बाद स्थिति बदल सकती है, लेकिन मौलिक रूप से इस पर कोई गौर नहीं हो सका। प्रचार तो बहुत होता है कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है लकिन आज भी शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी अंग्रेजी में अपना हुकुम निकालते हैं, पत्र व्यवहार होता है। अगर सरकार का कोई दूसरा विभाग थोड़ा बहुत करलें तो कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग में अंग्रजी इस रूप में चले तो यह अक्षम्य अपराध होगा। हिन्दी देश की नहीं प्रदेश की मुख्य भाषा है। यदि यह आग नहीं बढ़ेगा हिन्दी के सम्बन्ध में तो सारे देश में किस प्रकार से हिन्दी का प्रचार होगा। दूसरे प्रदेश जो अहिन्दी भाषी प्रदेश हैं वह हिन्दी को किस प्रकार से पूर्ण रूप से अपनायेंगे जब कि उत्तर प्रदेश में जो कि हिन्दी का मुख्य क्षत्र है उसमें इस प्रकार से उपेक्षा है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी यह जिम्मेदारी है कि वह हिन्दी को प्रोत्साहन दे, उच्च शिक्षा के लिय अच्छी पुस्तकें हिन्दी में जरूर तैयार की जायं। थोड़ा बहुत इस सम्बन्ध में काम हुआ है, कुछ थोड़ी सी पुस्तकें भी मैंने देखी हैं जो अच्छे लेखकों से लिखवा कर तैयार की गई हैं या जिनका ट्रान्सलेशन हुआ है।

लेकिन वह इतना नाकाफी है कि कभी भी छात्रों के आवश्यकता की पूर्ति हो नहीं सकती है। इसलिये अच्छे-अच्छे लेखकों से स्टैंडर्ड किताबें लिखवा कर शिक्षा विभाग तैयार करें जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेश भी जो हिन्दी को अपनाना चाहते हैं उनको भी सहायता मिल सके और उनके अन्दर राष्ट्रीय भावना पैदा हो सके। साथ ही वे आगे भी बढ़ सकें। मान्यवर मैंने जो बातें कहीं हैं वे सभी मेरे दिमाग में बराबर टकराया करती हैं परन्तु अपने प्रदेश को इस बात में अवश्य ही नेतृत्व करना चाहिये जिससे हमारी शिक्षा नीति में कुछ न कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो सके। हमको कुछ ऐसी बातें भी करना चाहिये। कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसी व्यवस्था बने जिससे हमारे प्रदेश का तो हित हो ही साथ ही साथ अन्य प्रदेशों को भी इससे कुछ मिल सके, कम से कम जो हिन्दी भाषी प्रदेश है। अगर हमारा उत्तर प्रदेश उसमें नेतृत्व नहीं करेगा, शिक्षा विभाग नहीं करेगा तो इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं अन्त में सिर्फ यह अपील करता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी से कि वह गम्भीरतापूर्वक इस बात को सोचें और प्राइमरी शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिये पूरी चेष्टा करें। साथ ही उसको जल्दी से जल्दी अपने नियन्त्रण में लें जो एक अच्छी बात होगी जिससे हमारे प्रदेश का हित होगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत कुल ४ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहला है श्री सजीवन लाल यादव का लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल। यह विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है और विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है। अगर उप कुलपति की आज्ञा के बिना वहां पर पुलिस गई है तब तो हम उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार कर सकते हैं। आप इसको अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री सजीवनलाल यादव (जिला उन्नाव)—

विश्वविद्यालय के उपकुलपति स्वायत्तशासी हैं लेकिन पुलिस तो नहीं है, वह कैसे चली गई?

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें या फिर माननीय सदस्य इस बात की सूचना दें कि बिना उप कुलपति की आज्ञा के पुलिस वहां गई थी। यों मैं पता भी लगा लूंगा। यह नहीं मालूम होता है कि बिना उप कुलपति की आज्ञा के कोई पुलिस का सिपाही यूनिवर्सिटी के अन्दर गया हो। आप पता लगा कर बता दें।

श्री सजीवनलाल यादव—

पुलिस को बुलाया नहीं गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न है श्री शम्भूनाथ चौधरी व श्री त्रिलोक चन्द्र का जिसमें कहा गया है कि बलिया में बाढ़-पीड़ित सहायता अनधिकृत व्यक्तियों को दी गई है। आपने लिखा है कि बड़ी धनराशियां दी गई हैं और यह भी है कि अधिकांश कांग्रेसी हैं और एम०एल०एज० और एम०पीज० हैं। इस प्रकार से आपने उन पर आक्षेप लगाया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। जो एम०एल०एज० और एम०पी० शहरों में रहते थे उन्होंने बड़ी-बड़ी रकमें ले ली हैं। इस प्रकार से नियम का उल्लंघन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिखा है कि इस प्रकार का ऋण जिन व्यक्तियों को दिया गया है उसमें से अधिकांश कांग्रेसी नेता हैं, एम पी० हैं और एम०एल०ए० हैं। यह उन पर आरोप है। आप इसका प्रश्न करें। एम०पी० और एम०एल०ए० कौन हैं और किस पार्टी के हैं। यदि यह पूछा जायगा। तब आपको बतलाना पड़ेगा और उससे उस एम०एल०ए० के अधिकार का हनन होगा, इसलिये नहीं लिया है।

श्री रामवचन यादव ने स्वयं लिखा है कि अफवाह है कि अधिकारी वर्ग की सुविधा के लिये भवन निर्माण हो रहा है। अफवाह पर आधारित है इसलिये नहीं लिया है।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्षेत्र समिति का प्रस्ताव गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पढ़े देता हूं:

जनपद आजमगढ़ में एक ब्लाक भवन का निर्माण गलत जगह पर हो रहा है। इसके लिये यह अफवाह है कि यह अधिकारी वर्ग की सुविधा के लिये किया जा रहा है। आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि अफवाह है। आप इस पर प्रश्न करें, क्योंकि अफवाह पर आधारित सूचना पर कुछ नहीं हो सकता है।

श्री रामवचन यादव—

बात सत्य है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम ने वाराणसी शहर और जिले में कानून व्यवस्था का समाप्त होना और डकैती एवं कत्लों में वृद्धि के बारे में लिखा है। आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यह मुख्य मन्त्री जी का जिला है और रोज अखबारों में आता है कि डकैती, चोरी और कत्ल हो रहे हैं, तो इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

घटना को लिखकर दे दें, तो विचार करेंगे।

श्री बशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

यह बड़ी लज्जा की बात है। मैंने भी प्रश्न किया है। तीन महीने से सारे हिन्दुस्तान के जिलों से सबसे अधिक कत्ल, चोरी वाराणसी में हुई है। आपको हम अखबार के कटिंग

दे देंगे। वाराणसी में शायद दो दिन बाद, तीन दिन बाद कोई न कोई बात हो जाती है। तो आप वक्तव्य के लिये इसको स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो निश्चित घटनायें हैं उनको बतला दें, तब हम स्वीकार कर लेंगे।

११ अप्रैल, १९७२ को श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री बंशीधर पांडेय को इंगित करने की घटना के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष की व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष—

अब व्यवस्था की जो घटना है उसमें मैंने अपने विचार वहां से व्यक्त किये थे और कहा था कि वहां से व्यवस्था नहीं दी जाती है, इसलिये चाहता था कि इसको औपचारिक रूप देने के लिये जब मैं इस कुर्सी पर आऊंगा तो अपनी व्यवस्था की बात करूंगा। मैंने स्वयं कहा था कि डिप्टी स्पीकर वहां से भाषण दे सकता है राय जाहिर कर सकता है, लेकिन उस पर अगर वह व्यवस्था देना चाहे तो उसके लिय यहां से कहना पड़ेगा। तो...

कई सदस्य—

ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह बड़ी लम्बी रिपोर्ट है।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मैंने विद्युत् परियोजना के अधिकारियों के बारे में नियम ५२ में लिखा था?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी उसको नहीं लिया गया है।

यह ४९ पृष्ठ की रिपोर्ट है और इसको मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं केवल सूची पढ़े देता हूं।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, हम ने मान लिया कि वह पढ़ा हुआ है।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, हम सबकी आप में श्रद्धा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक रूलिंग दे रहा हूं। इसमें आपके पूर्ववर्ती अध्यक्ष, जो पीठासीन अधिकारी हैं यहां के, पार्लियामेंट और हाउस आफ कामन्स के, आस्ट्रेलिया और कनाडा के वह सब इसमें ह। इसमें सिर्फ अवमान हुआ है, इसकी नोटिस दी जानी चाहिये या नहीं दी जानी चाहिये, उसके बारे में मैं कहूंगा कि मैं सिर्फ संकेत करता हूं कि यह अवमान है। अवमान शब्द कोई गम्भीर नहीं होगा तो उस पर नेताओं की जो राय है, कि उस पर सख्त या कड़ा रुख न अपनाया जाय। आप तो जानते हैं कि मैं उस 'मां' की तरह से हूं जो, चाहे उसका पुत्र सपूत हो या कपूत, लेकिन रोटी की बराबरी रखती है। उसमें कपट नहीं करती।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, ऐसी मां न बनियेगा जो कोहड़ा सर पर रखती है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इंगित शब्द तो बाहर निकाले जाने की अनुज्ञा से उत्पन्न स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिये। इंगित शब्द का अर्थ इस अर्थ में नहीं स्वीकार किया जाना चाहिये जबकि किसी अपमानसूचक प्रश्न को उपस्थित करने के लिये उत्प्रेरित हो। यानी जब हमको यह कहना होगा कि अवमान हुआ है, तब उस सम्बन्ध में कार्यवाही के लिये इंगित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। तो यह एक प्रश्न है। यह ४९ पन्नों में दिया हुआ है। यदि सभी माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसको साइक्लोस्टाइल करवा कर सबको दे दिया जायेगा। संक्षेप में ।

मैं व्यवस्था देता हूं कि चेयर की रूलिंग के विरुद्ध सदस्य द्वारा सदन का त्याग करना सदन का अवमान तथा स्पीकर का अवमान है। मैं अपनी पूर्व व्यवस्थाओं की पुष्टि करता हूं, जिसे कि मैंने पहले भी कई अवसरों पर दिया है। साथ ही मेरे पूर्ववर्ती विधान सभा के पीठासीन अधिकारियों, लोक सभा के स्पीकर और हाउस आफ कामन्स के स्पीकरों द्वारा समय-समय पर दी गई व्यवस्थाओं के हल सर्वथा अनुकूल भी हैं। भविष्य में, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता रहूंगा और सदन अवमान सम्बन्धी अनुशासनात्मक कार्यवाही पर स्वयं निर्णय करेगा।

जहां तक इंगित करने का सम्बन्ध है। बहिर्गमन करते हुये ऐसे सदस्य के लिये जिसने सदन का अवमान किया हो। शब्द इंगित प्रयोग करने का मेरा मात्र अभिप्राय सदन का ध्यान आकृष्ट करना था न कि उनको दंडित करने का।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, क्या यह रिवाइज्ड रूलिंग की शक्ल में होगी। यानी जो उससे पूर्व व्यवस्था जो थी, वह रिवाइज्ड हो गई न?

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह सवाल नहीं उठता।

जो फैसला अध्यक्ष और माननीय नेताओं ने पहले प्रश्न के बारे में किया है, उससे मैं सहमत हूं। जो सुझाव माननीय गुप्त जी ने दिये हैं। उससे मैं सहमत हूं। इंगित शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया जाना चाहिये था जिसमें नहीं किया जाना चाहिये, उसमें मेरी व्यवस्था है। इसलिये अब यह प्रश्न यहां समाप्त होता है।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१७ अप्रैल, १९७२।

'नत्थी 'क'

[देखिये नियमावली ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८२ पर।)]

हरदुआगंज

तालिका—अ

क्रम-सं०	विवरण		इकाई नं० १ जनन	इकाई नं० २ जनन
१	(१) ६८–६९	..	२४३.०१२×१०^{६}	४८.३१×१०^{६}
	(२) ६९–७०	..	२९७.०४×१०^{६}	३०९.१८×१०^{६}
	(३) ७०–७१–२	..	३४२.२८×१०^{६}	२१३.४१×१०^{६}
	(४) ४/७१ से ८/७१	..	१३२.३८×१०^{६}	१०५.२५×१०^{६}
२—ब्वायलरों की मरम्मत तथा नवीकरण पर खर्च—			रु०	रु०
	(१) ६८-६९	..	९३,३९५	९३,३९४
	(२) ६९-७०	..	२,६८,८३४	२,६८,८३४
	(३) ७०-७१	..	१,८५,६००	१,८५,६१९
	(४) ४/७१ से ८/७१	..	२,०४,१७२	२,०४,१७२

संसद पुस्तकालय

ओबरा थर्मल

तालिका —

क्रम-संख्या	विवरण	जनन (Units) इकाई नं० १	इकाई नं० २	इकाई नं० ३	इकाई नं० ४	इकाई नं० ५	प्रतिवर्ष में हुए खर्च का टोटल रु० ब्वायलरों पर मरम्मत तथा नवीकरण का खर्च
१—१९६७–६८	..	१३०.१९३×१०^{६}	२२.५३६×१०^{६}	..	..	..	४,१३,८२९–२८
२—१९६८–६९	..	२७९.३४२×१०^{६}	२४१.८८९×१०^{६}	१७३.४४२×१०^{६}	..	..	८,९१,२११–२४
३—१९६९–७०	..	११०.४३६×१०^{६}	२६०.५६२×१०^{६}	२८४.५०७×१०^{६}	१९०.७९३×१०^{६}	..	१,६१,५८१८–११
४—१९७०–७१	..	३२२.८८४×१०^{६}	३१२.७९६×१०^{६}	१८५.६०४×१०^{६}	३३७.२९३×१०^{६}	..	१,७१,२१४१८–५३
५—१९७१–७२ (९–९–७१ तक)	..	१००.०१३×१०^{६}	१००. ८३ ×१०^{६}	१४३.०१६×१०^{६}	१३१.९६०×१०^{६}	३३.९२९×१०^{६}	६,२८,०२३.६६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०० पर)

मेरठ में भांग व पोस्ते की ढोड़ी की दो दुकानों का आबकारी मन्त्री जी द्वारा २ फरवरी, १९७२ को किये गये निरीक्षण में पाई गई अनियमिततायें।

लाल कुर्ती में स्थित भांग व पोस्ते की ढोड़ी की दुकान में पाई गई अनियमिततायें—

१—६ पुड़ियां प्रत्येक पुड़िया में १–१ तोला अफीम।

४ पुड़िया प्रत्येक पुड़िया में ३ माशा अफीम।

८ पुड़िया प्रत्येक पुड़िया में १–१/२ माशा अफीम।

कुल १८ पुड़ियों में ८ तोला अफीम दूकान की गद्दी से बरामद हुई।

२—१६ पुड़िया प्रत्येक पुड़िया ३ माशा चरस।

४० पुड़िया प्रत्येक पुड़िया १–१/२ माशा चरस।

६ पुड़िया प्रत्येक पुड़िया ६ माशा चरस।

एक पुड़िया में २ तोला चरस कुल ६५ पुड़िया में १४–१/२ तोला चरस दूकान की गद्दी से बरामद हुई।

३—एक टिन कनस्टर में ४–३०० किलोग्राम भंग मिश्रित लड्डू और ८५० ग्राम घोटा भांग (अलग) दूकान की गद्दी से बरामद हुये।

४—दूकान पर भांग तथा पोस्ते की ढोड़ी का लायसेन्स नहीं था न ही मांगने पर उपलब्ध किया जा सका।

५—दैनिक बिक्री के हिसाब रजिस्टर भांग तथा पोस्ता की ढोड़ी के भी दूकान पर नहीं थी न ही मांगने पर उपलब्ध किये जा सके।

६—निरीक्षण के दौरान अफीम और चरस की खरीदारी के लिये भी लोग बराबर आते रहे जिससे प्रतीत होता है कि दूकान पर चरस, अफीम आदि के नाजायज बिक्री खुले-आम होती रही है।

छत्ता अली रजा (नील गली) म स्थित भंग व पोस्ते की ढोड़ी की दूकान में पाई गई अनियमिततायें—

(१) दूकान के तख्त पर दो किलो ग्राम घोटा भंग मौजूद थी।

(२) दूकान के तख्त पर २६ भांग के लड्डू वजनी ४०० ग्राम मौजूद थे।

(३) दूकान पर भंग का लाइसेन्स नहीं था। पोस्ते की ढोड़ी का भी लायसेन्स नहीं था। मांगने पर भी नहीं दिया जा सका।

(४) भंग के हिसाब रजिस्टर में ३० जनवरी, १९७२ की बिक्री तथा ३१ जनवरी, १९७२ से निरीक्षण के समय तक का हिसाब नहीं लिखा गया था। ३० जनवरी, १९७२ को हिसाब रजिस्टर में २४२ किलोग्राम भंग दूकान खुलते समय लिखी है। वास्तविक स्टाक दूकान का ३५.१२ किलो पाया गया। इस प्रकार २०६.८६ किलोग्राम भंग हिसाब से कम है। दूकान की दैनिक बिक्री औसतन १ से २ किलोग्राम तक प्रतिदिन रही है।

(५) पोस्ते की ढोड़ी का हिसाब रजिस्टर में भी ३० जनवरी, ७२ की बिक्री नहीं लिखी गई है और ३१ जनवरी, १९७२ से निरीक्षण के समय तक का हिसाब नहीं लिखा गया है।

(६) दूकान के तख्त पर बिछे गद्दे के नीचे से एक तोला प्राप्त हुई जिससे विक्रेता श्री गया प्रसाद—की निसानदेही पर दूकान के सामने की कोठरी नम्बर १८, छत्ता अलीरजा (नील गली) का ताला खोला गया तो इस कोठरी से निम्नलिखित नाजायज वस्तुयें बरामद हुयीं :—

(क) एक थैली में एक पुड़िया में २३० ग्राम चरस।

(ख) एक थैली में २५ पुड़ियों में ६–६ माशा की चरस की पुड़ियां, जिनका कुल वजन १५० माशा था।

(ग) एक थैले में २५ पुड़ियों में ३–३ माशा चरस—कुल चरस ७५ माशा।

(घ) एक थैले में ७५ पुड़ियों में १–१ माशा की चरस कुल ७५ माशा।

(ङ) एक थैली में १४ पुड़ियां, प्रति पुड़िया १–१/२ माशा अफीम व १० पुड़िया प्रति पुड़िया ३ माशा अफीम व ६ पुड़िया प्रति पुड़िया ६ माशा अफीम व दो पुड़िया प्रति पुड़िया एक तोला अफीम कुल ३२ पुड़ियों में २ तोला व ८७ माशा अफीम।

७—निरीक्षण के समय दूकान के तख्त पर घोटा भंग बनाने के लिए सिल-बट्टा रक्खा हुआ था। ग्राहक अफीम व चरस लेने वाले थे जिससे प्रतीत होता था कि दुकान पर चरस और अफीम व घोटा भंग नाजायज बिक्री खुलेआम होती है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५१ एल० ए०—१९७३—८४५ (मंग०)